तृतीय माला, खण्ड १६—अंक ४०

गुरुवार, ११ अप्रैल, १९६३
२१ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

(खण्ड १६ में अंक ३१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित *प्रश्न संख्या ८२१ से ८३५ .	३९८३–४००९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ८१९, ८२० और ८३६ से ८३८ . .	४०१०–१२
अतारांकित प्रश्न संख्या १७४५ से १७८८ और १७९० से १७९३ .	४०१२–३७
स्थगन प्रस्तावों तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाने के बारे में	४०३७
नागा विद्रोहियों द्वारा रेलवे लाइन का उड़ाया जाना और रेलगाड़ी पर गोली चलाया जाना	
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	४०३७–३८
समिति के लिये निर्वाचन	४०३८–३९
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था	
अनुदानों की मांगें	४०३९–८०
खान और ईंधन मंत्रालय	
डा० रानेन सेन .	४०३९–४०
श्री प्र० के० देव . .	४०४०–४२
श्री भागवत झा आजाद .	४०४२–४३
श्री रामेश्वर टांटिया .	४०४३–४५
श्री यु० सिं० चौधरी . .	४०४५–४९
श्री ज० रा० मेहता	४०४९–५०
श्री महेश्वर नायक	४०५०–५१
श्री हेम बरुआ	४०५१–५४
श्री पें० वेंकटासुब्बया	४०५४–५५
श्री दी० चं० शर्मा	४०५५–५६
श्री मरंडी	४०५६–५८
श्री तिम्मय्या	४०५८–६०

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा

गुरुवार, ११ अप्रैल, १९६३

२१ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

स्वास्थ्य बीमा योजना

†*८२१. **श्री महेश्वर नायक** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य बीमा की एक योजना तैयार की है और उस योजना को लागू करने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ;

(ख) उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने कोई निर्णय किया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १११/६३]

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या योजना में किसी ऐसे वित्तीय उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है जिसे कि भारत सरकार उस अवस्था में उठायेगी जबकि वह एसोसिएशन द्वारा बनाई गई योजना को सहायता देने का विचार करे ?

†**डा० द० स० राजू** : योजना दिल्ली प्रशासन को भेजी गई है और वे उसके वित्तीय पहलुओं पर विचार कर रहे हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महेश्वर नायक :** लोगों के स्वास्थ्य तथा कल्याण की देखभाल करना जब सरकार का उत्तरदायित्व है तब योजना में लाभ उठाने वालों पर कुछ फ़ीस लगाने की बात क्यों रखी गई है जैसा कि विवरण में बताया गया है ।

†**डा० द० स० राजू :** योजना के विशेष रूप से तीन वर्गों के लोगों के लिये व्यवस्था की गई है । वास्तव में यह मध्यम वर्ग तथा निम्न आय वाले लोगों के लिए है । यदि इन लोगों की देख-भाल की जाती है, तो अस्पतालों में कम भीड़ भाड़ हो सकती है और निर्धन रोगियों के लिये स्थान उपलब्ध हो जायेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** विवरण में यह बताया गया है कि कुछ समय पूर्व दिल्ली मेडिकल एसोसियेशन ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थना की थी । मैं दिल्ली प्रशासन द्वारा उस पर विचार किये जाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की उस पर प्रतिक्रिया को जानना चाहता हूं ।

†**डा० द० स० राजू :** जहां तक हमारा संबंध है योजना अच्छी है परन्तु जहां तक वित्तीय उपलक्षणाओं का संबंध है इसे विस्तृत रूप से तैयार किया जाना है ।

श्री यशपाल सिंह : यह स्कीम सिर्फ़ दिल्ली केपीटल के लिये है या रूरल एरियाज के लिये भी है ।

†**डा० द० स० राजू :** प्रारम्भ में यह दिल्ली क्षेत्र के लिये है ।

विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन

+

†*८ { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रवर्तन निदेशालय ने १६६२ में जिन मामलों की छानबीन की उन में विदेशी मुद्रा की कुल कितनी रकम अन्तर्ग्रस्त थी ;

(ख) कितनी विदेशी मुद्रा लौटा दी गयी है और कितनी जब्त कर ली गयी है ;

(ग) क्या कम रकम के बीजक बनाये जाने के भी कोई मामले पकड़े गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो और कड़ी कार्यवाही करने के लिए क्या क़दम उठाये जाने वाले हैं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा):** (क) और (ख). १६६२ में प्रवर्तन निदेशक द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार १ लाख ६६ हजार ३७५ रुपये की विदेशी मुद्रा उसी वर्ष विदेशों को लौटा दी गई थी और इस अवधि में उन के आदेशों के अधीन १७ हजार १०८ रुपये की विदेशी मुद्रा जब्त कर ली गई थी । इस के अतिरिक्त, उसी अवधि में प्रवर्तन निदेशक द्वारा दिये गये आदेशों की शर्तों के अनुसार संस्थाओं द्वारा लगभग २ लाख ५० हजार रुपये की विदेशी मुद्रा विदेशों को अभी लौटायी जानी है । ऐसे मामलों में जिन में (लगभग) १ करोड़

---

†मूल अंग्रेज़ी में

१ लाख रुपयों के विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अपराधों का अभियोग लगाया गया है न्यायनिर्णयन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) कम रकम के बीजक बनाये जाने वाले जिन मामलों की प्रवर्तन निदेशालय ने १९६२ में जांच पड़ताल की थी उन के आंकड़े तत्काल ही उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) कम रकम के बीज बनाये जाने वाले मामले साधारणतया प्रशुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ लिये जाते हैं जो कि उन पर उपयुक्त कार्यवाही करते हैं । जहां विदेशी मुद्रा के अपराधों के अन्तर्ग्रस्त होने की सम्भावना होती है वहां प्रवर्तन निदेशालय अथवा रिज़र्व बैंक को भी आगे कार्यवाही करने के लिये सूचना दे दी जाती है । विद्यमान प्रणाली साधारणतया उचित सिद्ध हुई है ; वास्तव में स्थिति का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जाता है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित कम रकम के बीजक बनाये जाने वाले मामलों में कितनी संस्थायें फंसी हुई हैं ? किसी एक संस्था द्वारा अधिक से अधिक कितनी धन राशि के मूल्य के कम रकम के बीजक बनाये गये थे, और ऐसी संस्था का क्या नाम है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जो मामले हमारे ध्यान में आये हैं मेरे पास उन की संख्या के सम्बन्ध में नवीनतम आंकड़े नहीं हैं परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह सूचित कर दूं कि, इन अपराधों को रोकने के हेतु, जैसे ही ठेके किये जाते हैं तैसे ही उनके पंजीकरण की छान बीन करने के लिये हमने कलकत्ता में एक समिति स्थापित की है जिस के सभापति ज़ूट आयुक्त हैं तथा जिस के सदस्यों में से एक सीमा शुल्क अतिरिक्त समाहर्ता[1] हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : प्रवर्तन निदेशालय को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थीं, कितनों की जांच की गई थी और कितने मामलों में संस्थायें दोषी पायी गयी थीं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जब तक विशेष सूचनायें न दी जायें शिकायतों की कुल संख्या अभी तक वित्त मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं । हम निदेशालय से पूछ सकते हैं क्योंकि निदेशालय स्वयं अपनी प्रेरणा से ही कार्य करता है और इन मामलों को निबटाता है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : अभी सवाल के पार्ट सी के उत्तर में बताया गया कि जो अंडर इन वाइसिंग के केसेज़ हैं उन की पूरी जांच नहीं हो सकी । मैं जानना चाहता हूं कि विलम्ब का क्या कारण हैं ? यदि कोई नियम इस में बाधक हों तो क्या उन को दूर करने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं ?

†**श्रीमती तारकश्वरी सिन्हा** : कम रकम के बीजक बनाये जाने के मामले प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सीधे नहीं निबटाये जाते हैं, परन्तु विदेशों के अनधिकृत लेखों की जांच पड़ताल का कार्य अधिक करती है ऐसे अन्य अनेक उपाय हैं जिन से हम कम रकम के बीजक बनाये जाने वाले मामलों को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं ; हम वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय तथा अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों की सहायता लेते हैं और हम यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि ऐसे मामले हमारे ध्यान में लाये जायें और हम उचित कार्यवाही करें ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : ऐसी कौन सी एजेन्सी है जो कि विदेशी मुद्रा के नियमों के उल्लंघनों के मामलों का पता लगाती है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Additional Collector of Customs.

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह एजेन्सियां रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालय, सीमाशुल्क तथा आयकर प्राधिकारी है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि प्रवर्तन निदेशालय ने वित्त मंत्रालय को इस संबंध में विस्तृत टिप्पणियां भेजीं हैं कि कम रकम के बीजक बनाने वाले मामलों को किस प्रकार रोका जा सकता है और यदि हां, तो प्रतिवेदन क्या है और वित्त मंत्रालय ने इस पर विचार कर लिया है और उसे स्वीकार कर लिया है?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: प्रवर्तन निदेशालय इस से सम्बन्धित नहीं है। सम्बन्धित विभाग सीमा शुल्क विभाग है और सीमाशुल्क विभाग इसकी देख भाल करता है। इस सम्बन्ध में किसी विशेष प्रतिवेदन का प्रश्न ही नहीं है। इस मामले की निरन्तर छान बीन की जा रही है और अनेकों लोगों ने अनेकों कदम उठाने के सुझाव दिये हैं। उनकी भी जांच की जा रही है तथा कदम उठाये भी जा रहे हैं। उक्त प्रतिवेदन अथवा इस प्रकार की किसी वस्तु को सदन के सम्मुख रखना संभव नहीं है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : गत वर्ष विदेश जाने वाले लोगों पर विदेशी मुद्रा के जो प्रतिबन्ध लगाये गये थे उसके बाद कुल कितने व्यक्तियों को विदेश जाने के लिये विदेशी मुद्रा आबंटित की गई थी और कुल कितनी विदेशी मुद्रा आबंटित की गई थी?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह प्रश्न इस प्रश्न से नहीं उठता।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यह उठता है, यदि मैं ऐसा कह सकता हूं, क्योंकि हम उससे यह निर्णय कर सकेंगे कि क्या विदेश जाने वाले लोग जो व्यय कर रहे हैं . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक भिन्न प्रश्न होगा।

कोपिली जलविद्युत् परियोजना

+

†*८२३. { **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री रिशांग किशिंग :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांध स्थान पर भ्रंश चट्टानें[1] मिलने के कारण तथा इसके भूकम्पीय क्षेत्र में होने के कारण कोपिला जलविद्युत् परियोजना के बांध के नक्शे की जांच अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने की है; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा-सचिव (श्री सै० अ० मेंहदी)** : (क) जी, नहीं। तथापि, बांध को प्रस्तावित धुरी के अनुप्रवाह के तुरन्त निकट स्थित त्रुटियों और बांध की नींव के सम्बन्ध में समस्याओं पर संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेषज्ञों की सलाह लेने का विचार है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि यदि कोई निर्णय किया गया है तो वह क्या है और जांच को देखते हुए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Faulty Rocks.

†**श्री सै० अ० मेहदी** : आसाम राज्य बोर्ड ने यह प्रस्ताव किया है कि कुछ विदेशी विशेषज्ञ, जो कि इस समय दो हैं, परामर्शदाताओं का एक बोर्ड बनायें और वह इस स्थल पर जा कर उसे देखें तथा इस मामले में अपना प्रतिवेदन दें । बोर्ड में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के सभापति तथा यह दो विशेषज्ञ हैं । आशा है कि वह महीने में इस प्रश्न की जांच करेंगे और यह देखेंगे कि क्या त्रुटियां हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : कोपाली जल विद्युत् परियोजना में कुल कितनी पूंजी लगाई जायेगी और इस में कितनी विद्युत् का जनन करने की अधिष्ठापित क्षमता होगी ?

†**श्री सै० अ० मेहदी** : प्रथम अवस्था में यह १४४ मैगावाट होगी; छत्तीस छत्तीस मैगावाट के चार यूनिट्स होंगे । द्वितीय अवस्था में यह ३२५ मैगावाट होगी जिसमें पैंसठ पैंसठ मैगावाट के पांच यूनिट्स होंगे । बाद में कुछ और वृद्धि हो जायेगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह त्रुटिपूर्ण स्थल किस प्रकार चुना गया और क्या इसके चुने जाने से पहले कोई प्रविधिक जानकारी अथवा ज्ञान उपलब्ध नहीं था ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : इस स्थल की अभी तक जांच पड़ताल की जा रही है । यदि यह मान लिया जाय कि यह त्रुटिपूर्ण पाया जायेगा तथा संतोषजनक नहीं हो सकता तो स्थल को बदला जा सकता है । वास्तविक जांच पड़ताल किये जाने से पहले हम एक परियोजना के किसी विशेष स्थल के सभी ब्यौरों को नहीं जान सकते ।

†**श्री स्वैल** : यह परियोजना मेरे क्षेत्र में आती है, और जहां तक हम देख सकते हैं कुछ प्रकार का कार्य किया जा रहा है । इस परियोजना के कार्य में क्या प्रगति हुई है और क्या परियोजना को चलाने के लिये सरकार द्वारा कोई भूमि अर्जित कर ली गई है और अब तक अर्जित की गई भूमि का औसत क्या है और ज़मीन के मालिकों को कितना प्रतिकर दिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : एक ही प्रश्न में रहते इतने सारे प्रश्न? अच्छा, उन सभी का उत्तर दे दिया जाय ।

†**श्री अलगेशन** : परियोजना के सम्बन्ध में अभी जांच पड़ताल ही हो रही है । हमारे पास भूमि अर्जन आदि के सम्बन्ध में कोई ब्यौरे नहीं हैं ।

नेफा के अस्पताल

†*८२४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेफा के अस्पतालों का जो सामान चीनी हमलावरों ने लूट लिया था उसके स्थान पर दूसरे सामान के कब तक भेजे जाने की सम्भावना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)**: सरकारी संभरण तथा स्वैच्छिक दानों द्वारा यथा सम्भव शीघ्र गति से नेफा के अस्पतालों में नया सामान भिजवाया जा रहा है । नेफा प्राधिकार ने २३ अस्पतालों में आंशिक रूप में नया सामान भिजवा दिया है । उन्होंने कुछ औषधियां भी ख़रीदी हैं । दिल्ली के शल्यकर्म सम्बन्धी उपकरणों के निर्माणकर्ताओं तथा व्यापारी संघ द्वारा दान में दिये गये सामान को भी नेफ़ा भेज दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : इस बारे में २५ फरवरी को बोमदीला अस्पताल के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बतलाया गया था कि इक्विपमेंट आदि सब चीजें तैयार कर ली गई हैं। लेकिन इस प्रश्न से मालूम होता है कि यह सब चीजें वहां पहुंची नहीं हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि वे सब आवश्यक सामान व चीजें वहां वास्तव में पहुंचा दी गई हैं या नहीं ?

†**डा० द० स० राजू**: चीनियों द्वारा लूटे गये ३७ अस्पतालों में से लगभग २३ अस्पताल साज-सज्जित हैं और हम यथा संभव शीघ्र गति से सामान संभरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। नेफा के चिकित्सा सेवाओं के निदेशक के परामर्श में, हम ने कलकत्ता के मैडीकल स्टोर डिपो से सामान मंगाने के लिये आदेश दे दिये है। हम एक तीस शय्याओं वाले अस्पताल को भी दिल्ली के निर्माण-कर्ताओं के संघ द्वारा दिया गया सामान भिजवा रहे हैं। इस अस्पताल के लिये कुछ सामान विदेशों से आयात किया जाना है और हम उसे 'केअर' द्वारा मंगाने के लिये अपेक्षित कदम उठा रहे हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इन अस्पतालों को पुनःसाज-सज्जित करने के लिये कुछ अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों ने भी सामान भेजा है ?

†**डा० द० स० राजू** : 'केअर' के नाम से विख्यात संस्था ने कृपा करके हमें सहायता देने की सहमति दी है।

†**श्री बासप्पा** : बंगलौर नगर में पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए . . .

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : वह नेफा में नहीं है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : एक प्रश्न के उत्तर में यहां यह बताया गया था कि इन अस्पतालों के अधिकांश सामान को चीनी लोग ले गये थे और उस सामान में से कुछ उन्होंने वापस कर दिया है। क्या मैं यह जान सकती हूं कि असैनिक अधिकारियों को वह जो सामान दिया गया था। क्या वह भी इन अस्पतालों में रख दिया गया है ?

†**डा० द० स० राजू** : मेरा विचार है कि उन्होंने हमें कोई उपयोगी सामान नहीं दिया है। और कुछ भी हो मेरे पास ब्यौरे नहीं हैं।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : इन अस्पतालों को पुनः साज-सज्जित करने की अनुमानित लागत क्या है ?

†**डा० द० स० राजू** : २ लाख ३९ हजार ५०० रुपये की लागत की १०९ वस्तुयें विदेशों से आयात की जानी हैं और १ लाख ७४ हजार रुपये की लागत की ५७३ वस्तुओं की स्वदेशी स्रोतों से व्यवस्था की जानी है।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि चीनियों द्वारा इस अस्पताल में जो लूटमार की गई थी और जिसके कि फलस्वरूप नुकसान हुआ वह कितना हुआ और इसी तरह की लूटमार उन्होंने और किन्हीं अस्पतालों में भी की थी, यदि हां, तो कहां कहां की थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि अस्पतालों से इन सामग्रियों को ले जा कर चीनियों द्वारा कुल कितने रुपये की हानि पहुंचाई गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० द० स० राजू** : मैं ने दो प्रकार की वस्तुयें बतायी हैं—आयात की जाने वाली तथा स्वदेश से ही प्राप्त की जाने वाली। इनकी लागतों का योग ही कुल हानि है।

†**डा० गायतोंडे** : क्या इन अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हैं ?

†**डा० द० स० राजू** : उन में से कुछ अस्पताल जो चलाये जा रहे हैं—३७ अस्पतालों में से २३।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जब चीनियों ने हमें जंग लगा हुआ सैनिक सामान वापस किया था तो उन्होंने उसकी सिनेमेटोग्राफ फिल्में ली थीं। नेफ़ा के इन अस्पतालों के लूटे जाने तथा वहां के अस्पतालों के कर्मचारियों के साथ चीनियों द्वारा नृशंस अत्याचार किये जाने के सम्बन्ध में क्या सरकार ने संसार के लोगों को यथार्थ जानकारी दे कर उनकी उचित राय को बनाने के लिये कोई प्रयत्न किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न सुसंगत नहीं है। अगला प्रश्न।

दिल्ली में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा

+

†*८२५. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में दिल्ली में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को वहां से हटाने के सम्बन्ध में मकान आदि गिराने वाले दस्ते ने क्या काम किया है ;

(ख) इसी अवधि में मकान आदि गिराने वाले दस्ते की सहायता के बिना कितनी जमीन पर से इनको हटाया गया था ;

(ग) कितनी जमीन अभी ऐसे लोगों के कब्जे में है तथा इसे खाली कराने का क्या कार्यक्रम है ; और

(घ) जिन अधिकारियों ने इस अवैध कब्जे की अनुमति दी थी उनके विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) दिल्ली की सरकारी भूमियों में बने ११ हज़ार से अधिक झुग्गियां, झोपड़ियां और अनेक प्रकार के अनधिकृत रूप से बनाये गये मकानादि गत छः महीनों में दिल्ली प्रशासन के मकान आदि गिराने वाले चलते फिरते दस्ते की सहायता से गिराये गये थे।

(ख) शून्य।

(ग) अनेक क्षेत्रों में बहुत से स्थानों पर लोग कब्जा करते रहे हैं। खण्ड-वार इन्हें पूरी तरह से हटाने की योजना बनाई जा रही है और इसके चालू वर्ष में ही बनाये जाने का विचार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अवैध कब्जे को रोकने तथा कब्जा करने वालों को बाद में हटाने के प्रयत्नों के किये जाने के बावजूद भी अनधिकृत कब्जे किये गये हैं। वैधिक तथा प्रशासनिक कठिनाइयां भी मार्ग में आई हैं। इन कठिनाइयों को हटाने के लिये अब कदम उठाये जा रहे हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या सम्बन्धित बेईमान तथा अनधिकृत कोलोनाइज़रों को दण्ड दे दिया गया है, यदि हां, तो कितने मामलों में ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** मेरे मंत्रालय का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह गृह-कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन का कार्य है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** गिराई गई स्थावर सम्पत्ति का मूल्य क्या है तथा बेघर बनाये गये लोगों की संख्या कितनी है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** व्यवहारिक रूप से अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति की लागत शून्य है। ये प्रति दिन बनाई जाने वाली केवल मिट्टी की झोंपड़ियां हैं और इनमें बड़ी मुश्किल से कोई लागत लगती है।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

अध्यक्ष महोदय : श्री दीवान चन्द्र शर्मा।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या यह सच है कि ....

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने श्री दीवान चन्द्र शर्मा को प्रश्न पूछने के लिये कहा है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** वह दीवान चन्द्र शर्मा हो गई हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब मैंने उन्हें प्रश्न पूछने के लिये पुकारा था तो वह क्यों नहीं उठे ?

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मैं उठा था, परन्तु उन्होंने बोलना प्रारम्भ कर दिया।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह बैठे ही क्यों रहे जिससे कि महिला सदस्य को उनके स्थान पर बोलने का अवसर मिला।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मेरे अन्दर शौर्य की कुछ भावना शेष रह गई है।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। अब वह प्रश्न पूछ सकते हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया था कि कुछ वैधिक तथा प्रशासनिक कठिनाइयां थीं और अब वह उन्हें जीतने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि वे वैधिक तथा प्रशासनिक कठिनाइयां क्या हैं तथा उनको जीतने के लिये मंत्रालय क्या प्रयत्न कर रहा है और उनमें से कितनी कठिनाइयां जीत ली गई हैं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** कठिनाइयां यह हैं : पहले तो यह कि हम सार्वजनिक भूगृहादि (अनधिकृत कब्जा निष्क्रमण) अधिनियम, १९५८ को संशोधित करने का विचार कर रहे हैं क्योंकि इस समय निष्क्रमण सम्बन्धी कार्यवाहियां कुछ लम्बी होती हैं और हम निष्क्रमण की

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रक्रिया को आसान बनाना चाहते हैं; दूसरे, हम सभी अनधिकृत निर्माणों को हटाना चाहते हैं ; और तीसरे यह कि जो क्षेत्र अब साफ़ किये जायेंगे उन्हें विशेषरूप से कुछ प्रयोजनों के लिये नियत कर दिया जायेगा और जो अधिकारी इन कार्यों की देखभाल करेंगे उनको विशेषरूप से यह कह दिया जायेगा कि यदि कोई अनधिकृत कब्जा किया जाता है तो उन अधिकारियों के विरुद्ध ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। और इन अनधिकृत कब्जों को रोकने के लिये अन्य अनेक उपाय करने का भी हमारा विचार है ।

श्री रामेश्वरानन्द : क्या यह सत्य है कि जिन लोगों ने राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अधिकार किया है उनको अधिकारी जब कुछ कहते हैं तो रिश्वत दे दी जाती है और उसके बाद वे उनसे कुछ नहीं कहते ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मुझे इल्म नहीं है। मेरी मार्फत न कोई रिश्वत ली गई है और न दी गई है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या यह सच है कि जिन स्थानों पर यह अनधिकृत बस्तियां गिरा दी गई हैं उन स्थानों पर छोटी-छोटी झोंपड़ियां फिर से बनाई जा रही हैं; यदि हां, तो क्या मैं जान सकती हूं कि उन लोगों के विरुद्ध मंत्री महोदय क्या वैधिक कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** वर्तमान सार्वजनिक भूगृहादि निष्क्रमण अधिनियम के अधीन इन अनधिकार कब्जा करने वालों के विरुद्ध कोई दण्ड अन्तर्ग्रस्त नहीं है। हम इसे एक दण्डनीय अपराध बनाना चाहते हैं और कारावास तथा जुरमाना दोनों ही का दण्ड हो सकता है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को हटाया गया है क्या उन्हें कहीं बसाने के लिए भी सरकार इंतजाम कर रही है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : दो क़िस्म के आदमी हमारे सामने आते हैं। एक तो वे हैं जिनका कि नाम सैंशस में दर्ज है जो कि हमने सन् १९६० के जून, जुलाई में की थी, उनको जब हम हटायेंगे तो बदले में जगह देंगे। दूसरे वे हैं जो हर रोज़ झुग्गी बना कर बैठते हैं और उनको हम गिराने की भी कोशिश करते हैं ऐसे लोगों को अलबत्ता हम कोई आलटरनेटिव जगह देने वाले नहीं हैं।

श्री शिव नारायण : क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कुछ ज़मीन हरिजनों के नाम पर ली गई लेकिन वहां गैर हरिजन लोगों ने मकान बना लिया है तो क्या उनको सरकार जमीन वापिस दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : हरिजनों के नाम पर कौन ज़मीन ली गई, मैं नहीं जानता क्योंकि वह मेरा विभाग नहीं है। उसका ताल्लुक तो होम मिनिस्टरी से है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न। श्री यशपाल सिंह।

†**श्री यशपाल सिंह :** ८२६ ।

श्री कछवाय : इस पर सवाल करने की अनुमति दी जाय यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : अब तो आगे चले गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बनारस के लिये पीने के पानी का संभरण

+

†*८२६. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सुब्बरायन :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राम हरख यादव :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई कार्यक्रम के अधीन १९६२-६३ में बनारस के लिए पीने के पानी के संभरण की योजना स्वीकार की है जिस पर लगभग १८ लाख रुपये व्यय होंगे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की योजनायें अन्य नगरीय क्षेत्रों के लिए भी स्वीकार की गई हैं तथा उनका ब्योरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १११२/६३ ।]**

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि वहां गैजेज़ से वाटर सप्लाई किया जायेगा या नये ट्यूबवैल्स क़ायम किये जायेंगे ?

†**डा० द० स० राजू**: श्रीमन्, यह १८ लाख रुपये की व्यवस्था उन योजनाओं के विस्तार के लिये है जो कि पहले ही से क्रियान्वित की जा रही है---यही बात मुझे बताई गई थी ।

श्री यशपाल सिंह : स्कीम के बारे में तो कुछ पता होना चाहिये कि वहां पानी ट्यूबवैल्स से आयेगा या गंगा से पानी आयगा ?

†**डा० द० स० राजू** : इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई ब्यौरे नहीं हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : गंगा वहां पहले ही से है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अधीन बहुत से राज्य आते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री को इस बात का ज्ञान है कि कोयले की खानों के क्षेत्र में पीने के अच्छे पानी की भारी कमी है; यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों में भी पीने के अच्छे पानी की व्यवस्था करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ? क्या इस कार्य को करने के लिये कोई योजना है ?

†**डा० द० स० राजू** : यह प्रश्न केवल बनारस से ही सम्बन्धित है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : केवल बनारस से ही नहीं अपितु यह सभी स्थानों से सम्बन्धित है । मैं आपको विवरण दिखा सकता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** यह कहते हैं कि विवरण में अन्य स्थानों का भी उल्लेख किया गया है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** आखिरकार, खाने बिहार ही में तो हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं तो वह दें ।

†**डा० द० स० राजू :** मैं इसके लिये एक पृथक प्रश्न रखाना चाहूंगा ।

श्री अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चूंकि बनारस म्यूनिसिपैलिटी को स्टेट गवर्नमेंट से फंड्ज नहीं मिल सके, इसलिये सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह रकम दी ।

†**डा० द० स० राजू :** कदाचित माननीय सदस्य को यह ज्ञात है कि इन सब नगरीय योजनाओं के लिये केवल १०० प्रतिशत ऋण की सहायता देने की व्यवस्था है और केन्द्रीय सरकार वह दे रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** श्रीमन्, एक औचित्य के प्रश्न पर । विवरण में आप यह देखेंगे कि

†**अध्यक्ष महोदय :** औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** विवरण में सभी राज्य आते हैं और मेरा प्रश्न केवल एक राज्य से ही सम्बन्धित है । आखिरकार कोयले की खानें बिहार ही में हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस प्रश्न की जांच करूंगा । जहां तक जानकारी का सम्बन्ध है, वह सब विवरण में दी गई है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : प्रश्न के उत्तर में जो विवरण दिया गया है, उस में कुछ राज्यों के नाम बिलकुल नहीं हैं और कुछ राज्यों के अनेक स्थान चुने गए हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि किस आधार पर यह स्कीम बनाई गई है और इन स्थानों का चुनाव किस आधार पर किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब सिर्फ़ बनारस के बारे में जवाब दे सकते हैं ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : विवरण में तो दूसरे स्थानों के नाम भी दिये गए हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि उन स्थानों का चुनाव किस बेसिस पर किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सर्राफ ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** बनारस की इस जल सम्भरण योजना (की इमारतों आदि) के निर्माण के लिये कितनी धन राशि आवंटित की गई है और क्या यह कार्य स्थानीय नगर निगम को सौंप दिया जायेगा अथवा राज्य सरकार इसे अपने हाथ में ले लेगी ?

†**डा० द० स० राजू :** मुझे सूचित किया गया है कि निर्माण कार्य वास्तव में बनारस के लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किया जायेगा ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या यह योजना इस नगर के अखिल-भारतीय महत्व के कारण स्वीकृत की गई है और यदि ऐसा है तो क्या अन्य तीर्थस्थानों में भी पीने के पानी के सम्भरण की योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० द० स० राजू** : योजना कुछ नियमों के आधार पर ही अनुमोदित की जाती है और यह आवश्यक नहीं है कि अन्य किसी पहलू से महत्वपूर्ण नगर होने के कारण यह अनुमोदित की जाये ।

श्री तुलसीदास जाधव : ऐसा सुना गया है कि ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के लिए जो पैसा रखा गया था, वह स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से न मांगे जाने के कारण लैप्स हो गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है ।

†**डा० द० स० राजू** : योजना पहले राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाती है फिर यह केन्द्रीय सरकार, अर्थात् स्वास्थ्य मंत्रालय के पास आती है । केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के नाम से हमारा एक अपना संगठन है। अन्तिम मंजूरी दिये जाने के पहले वह प्रविधिक रूप से इसका अनुमोदन करते हैं ।

†**श्री बासप्पा** : क्या सरकार बंगलौर नगर में पानी की भारी कमी से अवगत है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह एक भिन्न प्रश्न है ?

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या यह राष्ट्रीय जल सम्भरण कार्यक्रम केवल नगरीय क्षेत्रों तक ही सीमित है अथवा इसका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी है ।

†**डा० द० स० राजू** : माननीय सदस्य को यह ज्ञात है कि इस योजना के दो भाग हैं : एक में नगरीय योजनायें हैं तथा दूसरे में ग्रामीण योजनायें । जहां तक ग्रामीण योजनाओं का सम्बन्ध है, उन्हें लगभग ५० प्रतिशत तदर्थ अनुदान दिया जाता है ; नगरीय योजनाओं के लिए शत प्रतिशत ऋण दिया जाता है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिए कितना धन आवंटित किया गया था और कितना अब तक व्यय कर दिया गया है ?

†**डा० द० स० राजू** : बनारस के लिये १८ लाख रुपये ....

†**श्रीमती सावित्री निगम** : मैं समस्त नगरीय पेय जल संभरण योजनाओं के लिये आवंटित कुल धन राशि को जानना चाहती हूं ।

†**डा० द० स० राजू** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ४६९ नगरीय जल सम्भरण तथा जल निस्सारण योजनायें स्वीकृत की गई थीं और इस अवधि में ५३ करोड़ ५५ लाख रुपये ऋणों के रूप में राज्य सरकारों को मंजूर किये गये थे । तृतीय योजना की नगरीय तथा निगम योजनाओं के अधीन नगरीय जल सम्भरण तथा जल निस्सारण योजनाओं के लिये ८९ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है जिसमें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निगमों की योजनायें भी सम्मिलित हैं । १९६१–६२ में इन योजनाओं के लिये राज्यों को २८१ लाख ३० हजार रुपया ऋणों के रूप में दिया गया था । १९६२–६३ में ऋणों के रूप में ११ करोड़ ९९ हजार रुपये मंजूर किये गये हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि बहुत सी योजनाओं के बारे में वर्षों तक लिखा-पढ़ी करने के बाद भी उन को स्वीकृत नहीं किया गया, जब कि कुछ योजनाएं जल्दी स्वीकार कर ली गईं ? यदि हां, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

में क्या प्रणाली अपनाई जाती है और इन योजनाओं को स्वीकृति देने के विषय में क्या प्रोसीड्यर फ़ालो किया जाता है ।

†**डा० द० स० राजू** : उन्हें लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना चाहिये । प्रविधिक रूप से वे सुकर होनी चाहियें ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के लंका एरिया में जो पानी की कमी थी, वह इस योजना से किस हद तक पूरी हुई है ?

†**डा० द० स० राजू** : जी, हां । इस योजना से पीने के पानी का सम्भरण होना चाहिये ।

सोने का तस्कर व्यापार

†*८२७. **श्री पें० वकेंटासुब्बया** : : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण नियंत्रण आदेश के प्रख्यापन के बाद सोने के तस्कर व्यापार के कुछ मामलों का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो अनुमानतः कितने मूल्य का सोना पकड़ा गया है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी हां । सीमाशुल्क, भूमि सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्राधिकारियों ने भारत प्रतिरक्षा (संशोधन) नियम, १९६३ के प्रख्यापन के बाद स्वर्ण नियन्त्रण लागू करते हुए १० जनवरी, १९६३ से ३१ मार्च, १९६३ तक सोने के तस्कर व्यापार के ४९ मामलों का पता लगाया ।

(ख) लगभग ४,९६,००० रु० ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के प्रख्यापन के बाद सोने का तस्कर व्यापार बढ़ रहा है या कम हो रहा है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह बहुत कम हो गया है । मैं इस के समर्थन में आंकड़े प्रस्तुत करना चाहती हूं । स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के प्रख्यापन के बाद १० जनवरी, १९६३ से ३१ मार्च, १९६३ तक के आंकड़े मैं बता चुकी हूं । स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के प्रख्यापन से पहिले लगभग १,१५,२४,००० रु० के मूल्य का सोना उपरोक्त काल से तत्काल पहि दो महीने और २२ दिन में पकड़ा गया था ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : देश में सोने के वर्तमान मूल्य पर इस का क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : सोने का मूल्य भी कम हो गया है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का मूल्य बढ़ गया है ।

†**श्री कमलनयन बजाज** : क्या पकड़े गये देश में तस्कर व्यापार द्वारा आये सोने का ऊपर बताया गया मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य है या देश में प्रचलित मूल्य है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : प्रतीत होता है कि समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम और भारत प्रतिरक्षा नियमों के लागू होने से सीमा शुल्क अधिकारियों को असाधारण अधिकार दे दिये गये हैं। सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है कि सीमा शुल्क अधिकारी सीधे साधे व्यक्तियों को परेशान करने के लिए इन अधिकारों का प्रयोग न करें ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : सावधानी यह है कि जो भी अधिकार का दुरुपयोग करेगा वह सेवा से निकाल दिया जायेगा ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने समय के अन्दर अपने गोल्ड को डिक्लेयर नहीं किया है, अगर उन के पास अब गोल्ड पाया जाता है, तो क्या उस को स्मगलिंग समझा जायेगा, उनको किस कैटेगरी में रखा जायेगा और उन के साथ क्या व्यवहार किया जायेगा ।

श्री मोरारजी देसाई : वह स्मगलिंग माना जायेगा ।

†**श्री जसवन्त मेहता** : स्वर्ण नियंत्रण आदेश के प्रख्यापन के बाद स्वर्ण व्यापार चोरी से होने लगा है और सोने का तस्कर व्यापार बन्द नहीं हुआ है ? सरकार सोने का तस्कर व्यापार रोकने के लिए क्या कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार यह बात ध्यान में रख कर कि सोने का तस्कर व्यापार नहीं रुका है और मूल्य नहीं गिरे हैं, सोने की नीति पर पुनर्विचार करेगी ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : दोनों ही बातें गलत हैं। पहिले भी सोने का चोरी छिपे किया गया सौदा होता था। यदि यह चोरी छिपे किया जाता है, तो वही बात है। परन्तु सोने का तस्कर व्यापार काफी कम हो गया है जैसा कि दिये गये आंकड़ों से विदित है कि २ महीने २२ दिन में लगभग ४,९६,००० रु० के मूल्य का सोना पकड़ा गया और पहिले समय में लगभग १,१५,२४,००० रु० के मूल्य का सोना पकड़ा गया था ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या यह सच है कि देश में सोने का कृत्रिम मूल्य लागू होने के कारण सोना नियंत्रण आदेश ने देश से सोना बाहर भेजने को प्रोत्साहन दे कर उल्टा प्रभाव डाला है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : कोई भी उल्टा प्रभाव नहीं पड़ा है ।

श्री कछवाय : गोल्ड का तस्कर व्यापार करने वाले लोगों में से भारतीय कितने हैं और विदेशी कितने हैं और इनको किस किस प्रकार का दण्ड दिया गया है ?

श्री मोरारजी देसाई : यह सब मालूम होता तो कैसे ये स्मगलर्ज़ रहते ?

श्री कछवाय : पकड़ने के बाद तो मालूम हो गया होगा ।

†**श्री हेडा** : इस बात का ध्यान रख कर कि तस्कृत सोने का बाजार में आना कठिन है क्योंकि सरकार ने प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की है, क्या १४ कैरट का सोना देने की सरकार की तत्परता से तस्कृत सोना बाजार में नहीं आ सकेगा ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : सरकार १४ कैरट का कोई सोना नहीं दे रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कंडप्पन :** क्या सोना नियंत्रण आदेश से हुई बेकारी और मृत्यु की अपेक्षा सोना अधिक मूल्य का पकड़ा गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह अगले प्रश्न में है। श्री चतुर्वेदी ।

सुनारों द्वारा आत्महत्या

†

†*८२८. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :**
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री महेश्वर नायक :
श्री कछवाय :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण नियंत्रण आदेश के प्रख्यापन के कारण आर्थिक कठिनाई आजाने पर देश में कितने सुनारों ने आत्महत्या की ; और

(ख) इन आदेशों के परिणामस्वरूप बेरोज़गार हुए व्यक्तियों को सरकार का विचार क्या सहायता देने का है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) और (ख) . स्वर्णकारों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाओं संबंधी निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है । हालांकि प्रेस में कुछ आत्महत्याओं के समाचार छपे हैं ; फिर भी यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका है कि ये आत्महत्यायें केवल या मुख्यकर सोना नियंत्रण नीति की कार्यान्विति के परिणामस्वरूप की गई हैं।

कुछ और शोधन कारखानों को लाइसेंन्स देने और १४ कैरट मिश्रित सोना की उपलब्धि बढ़ाने के लिए अन्य उपयुक्त व्यवस्था करने का प्रश्न विचाराधीन है। राज्य सरकारों से विस्थापित स्वर्णकारों तथा कारीगरों को भूमि, मशीन, या सामग्री, खरीदने के लिये ऋण देने की प्रार्थना की गई है ताकि अन्य कार्य या व्यवसाय चलाया जा सके । इसके अतिरिक्त औद्योगिक सहकारी समितियां बनाने तथा स्कूल जाने वाले बालकों को छात्रवृत्ति देने के लिए ऋण या आर्थिक सहायता देने की सुविधा सहित अन्य उचित सुविधायें देने को भी कहा गया है। सरकारी क्षेत्र में या अन्य उपक्रमों में शिक्षित स्वर्णकारों को, जो अन्य रोज़गार करने के इच्छुक हैं, वैकल्पिक रोज़गार देने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या सरकार अब तक वैकल्पिक रोजगार, ऋण या आर्थिक सहायता के रूप में कोई तत्काल सहायता दे सकी है और यदि हां, तो कितने मामलों में और कितनी सहायता दी गई है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** हम इसके लिये कि उन्हें रोज़गार के अवसर दिये जायें काम दिलाऊ दफ्तरों तथा राज्य सरकारों द्वारा भरसक प्रयास कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या सरकार ने उन कामों पर, जिन में सूक्षमता की आवश्यकता है, स्वर्णकारों को लगाने के लिये उनके लिए अनेक शिक्षा तथा अन्य योग्यताओं में छूट देने के औचित्य पर विचार किया है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : हम काम दिलाऊ दफ्तरों से उनके मामलों की जांच करने के लिए कह रहे हैं। हमने उन्हें पहले ही सलाह दे दी है कि इन विचारों के संबंध में यथासंभव ढील दें ।

†**श्री महेश्वर नायक** : स्वर्ण नियंत्रण आदेश के प्रख्यापन के बाद यथासंभव होने वाली हानि निर्धारित की है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : किसकी हानि ?

†**श्री महेश्वर नायक** : रोजगार संभावना ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : वित्त मंत्री ने सोना नियंत्रण आदेश पर चर्चा के लम्बे और व्याख्यात्मक उत्तर में पहिले ही सारे तथ्य तथा आंकड़े दे दिये हैं। मेरा विचार है कि माननीय सदस्य इसके बारे में सन्तुष्ट होंगे ।

श्री कछवाय : जिन सुनारों ने आत्महत्या की है, उनके परिवारों को सहायता क्या सरकार द्वारा कुछ दी जाने वाली है ? साथ ही मैं जानना चाहता हूं कि देश में स्वर्णकार लोग कितने हैं ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : आत्महत्या के मामलों का जहां तक सम्बन्ध है, मैं जबाब में कह चुकी हूं इसका हमें पता नहीं है और जांच पड़ताल के बाद भी यह चीज़ मालूम नहीं हो सकी है कि जिन लोगों ने सुईसाइड किया है उन्होंने इसलिए किया है कि उनके पास एम्प्लायमेंट नहीं था और वे भूखे मर रहे थे । इसलिये यह सवाल ही पैदा नहीं होता है।

श्री कछवाय : भारत में स्वर्णकारों की संख्या क्या है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : संख्या वित्त मंत्री महोदय पहले ही अपने जबाब में बता चुके हैं कि पांच लाख के करीब उनकी संख्या है, ऐसे लोगों की संख्या है जो कि व्यापार करते थे। फिर उसमें चांदी का काम करने वाले, हीरों का काम करने वाले सब आ जाते हैं।

डा० गोविन्द दास : क्या यह सही नहीं है कि हमारा देश गरीब है और ज्यादातर जेवर चांदी के बनते हैं और इसलिए जो बहुत सा हल्ला मचा हुआ है, इसमें तथ्य बहुत कम है ? क्या यह बात भी सही नहीं और सरकार ने . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सूचना दे रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं ?

डा० गोविन्द दास : दूसरा सवाल मेरा इससे सम्बन्ध रखता है । मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से और जिस स्तर पर शरणार्थियों की समस्या सरकार द्वारा हल की गई है, उसी स्तर पर क्या इस समस्या को भी हल करने का प्रयत्न सरकार कर रही है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस समस्या का समाधान करने के लिए हम हर कदम उठा रहे हैं।

†**श्री पु० र० पटेल** : मैं स्वर्णकारों की हत्याओं की संख्या तथा प्रतिशत जानना चाहता हूं।

---

†भूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं ने विवरण में बता दिया है । मैं माननीय सदस्य से विवरण देखने और फिर पूछने की प्रार्थना करती हूं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही नहीं है कि आत्म -हत्या से बढ़कर कोई दूसरा बड़ा कलंक सरकार पर नहीं आ सकता है ? अगर एक सुनार ने भी आत्म-हत्या की है तो उसको रिपेंट करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : आदेश, आदेश । श्री मुहम्मद इलियास ।

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सरकार ने किसी से आत्म-हत्या नहीं करवाई है, इसलिए सरकार पर यह कलंक नहीं आता है ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : हमारे प्रश्न के उत्तर में श्रम मंत्री ने कहा था कि वे सोना नियंत्रण बोर्ड के सभापति से बात कर रहे हैं । क्या वह वार्ता समाप्त हो गई है और उस वार्ता के बाद कोई निश्चिय किया गया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : उत्पन्न हो रही समस्याओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है और तत्काल निश्चय किये जाते हैं और वे भी कार्यान्वित किये जा रहे हैं ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : मैं ने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है । माननीय श्रम मंत्री ने उत्तर दिया था कि वे सोना नियंत्रण बोर्ड के सभापति से वार्ता कर रहे थे और बहुत शीघ्र ही बेकार स्वर्णकारों की सहायता तथा पुनर्वास के बारे में निश्चय कर लिया जायेगा । अतः मैं जानना चाहता था कि क्या कोई निश्चय किया गया है और वार्ता समाप्त हो गई है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : श्रम मंत्री निश्चय कर सकते हैं । प्रश्न उनसे पूछा जा सकता है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : पटल पर रखे गये विवरण में उल्लेख है कि निश्चय नहीं किया जा सका है । क्या इसका सुनिश्चय करने का कोई प्रयास किया गया था और यदि हां, तो क्या इस आदेश के कारण हत्या करने वालों के परिवारों को कोई सहायता दी गई है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : इन परिवारों के लिए अभी तक किसी ने सहायता नहीं मांगी है और जो जानकारी मांगी गई थी उसका कोई निश्चित परिणाम नहीं निकला ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस दृष्टि से कि वित्त मंत्री के कथनानुसार इस देश में लगभग पांच लाख स्वर्णकारों के सामने भुखमरी की मात्र-संभावना है क्या सरकार ने स्थिति की गम्भीरता का पुर्वानुमान लगाने का गम्भीर प्रयास किया था और यदि किया था तो उन्होंने स्थिति का निराकरण करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही क्यों नहीं की क्योंकि जिन उपायों का अभी तक उल्लेख किया गया है वे सभी प्रारम्भिक हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या सरकार को विदित है कि सोने के अनेक तस्कर-व्यापारियों ने भी आत्म-हत्या की है और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में नदी बेसिन सर्वेक्षण के लिए अमरीका के विशेषज्ञ

+

†*८२९. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री महेश्वर नायक :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री कछवाय :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष ने स्वीडन के एक विशेषज्ञ को भेजा है जो भारत में नदी बेसिन सर्वेक्षण तथा जलविद्युत् परियोजनाओं के सम्बन्ध में सलाह कार्य के रूप में दो वर्ष तक काम करेगा ।

(ख) क्या यह भी सच है कि वह तीसरी तथा चौथी योजनाओं की आवश्यकताओं पर भी विचार करेगा; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष इस मामले में और किस प्रकार की सहायता देने का विचार कर रहा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा-सचिव (श्री सै० अ० मेहदी)** : (क) जी हां । संयुक्त राष्ट्र की विशेष निधि ने देश में जल विद्युत् के जनन के स्थानों की जांच-पड़ताल के लिए अपने सहायता प्रोग्रामों के सम्बन्ध में अपने स्थानिक सलाहकार के रूप में एक स्वेडिश इंजीनीयर को दो वर्ष के लिए नियुक्त किया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र की विशेष निधि द्वारा दी जाने वाली सहायता सामग्री तथा शुद्ध मापक यंत्रों, आदि तथा परामर्शदाताओं की सेवायें देने के बारे में होगी ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : पानी को ले कर अन्तर्राज्यीय झगड़े काफी बढ़ गए हैं । इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस बात का विचार कर रही है कि कोई इसके लिए केन्द्रीय समिति बनाई जाए ?

श्री सै० अ० मेहदी : केन्द्रीय समिति का इसमें सवाल नहीं आता है । करीब ६२ स्कीम्ज हैं जो कि इनवैस्टीगेट की जा रही हैं आइंदा प्लान बनाने के लिए । उसके लिए यू० एन० स्पैशल फंड की तरफ से एक इंजीनियर मुकर्रर किया गया है कि वह इन स्कीमों को देखे, उनको मश्विरा दे ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जो योजना अभी विचाराधीन है, उसके सम्बन्ध में निर्णय करते समय किन किन खास बातों पर ध्यान दिया जाएगा ?

श्री सै० अ० मेहदी : अभी तो ये स्कीम इनवैस्टीगेट की जा रही है और जैसा मैं ने कहा करीब ६२ स्कीमें हैं । ये तमाम मुल्क में हैं और इनकी तफसील अगर आप चाहें तो वे मैं दे सकता हूं । यह जो उनकी तरफ से आदमी आया है यह स्वीडिश इंजीनियर है और उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बातें दरियाफ्त करने के लिये, पहले इनवैस्टीगेशन करने के लिए, उससे कहा है और कुछ इक्विपमेंट भेजा जा रहा है । इस आदमी से वे मश्विरा लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महेश्वर नायक :** क्या संभावित विदेशी सहायता या सहयोग स्वेडन से हमारे देश आने वाले विशेषज्ञ की सिफारिशों पर निर्भर होगा ?

†**श्री सैं० अ० मेहदी :** अभी तो स्थानिक सलाहकार पर होने वाला व्यय संभवत: संयुक्त राष्ट्र उठायेगा और सामग्री बिना मूल्य के भेजी जायेगी ।

†**श्री महेश्वर नायक :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** यह इस विशेषज्ञ की सिफारिशों पर निर्भर नहीं होगा । न ही वह इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश करेगा परन्तु यह सहायता केवल जांच-पड़ताल के लिए है और कुछ यंत्र तथा सामग्री संयुक्त राष्ट्र की विशेष निधि दे रही है ।

श्री कछवाय : श्रीमन, मैं यह जानना चाहूंगा कि यह जो अमरीका से विशेषज्ञ आये हैं, इनको क्या हमारी सरकार ने बुलाया था ? यदि हां, तो इनका अभी तक कितना उपयोग लिया गया है और उन्होंने हमें किन-किन प्रकार की सलाहें दी हैं ?

श्री सैं० अ० मेहदी : यह तो अभी ३० मार्च को आये हैं, दो साल रहेंगे और मशविरा देंगे । जहां तक उनके काम का ताल्लुक है वह तो अभी शुरू भी नहीं हुआ ।

†**श्री इकबाल सिंह :** क्या भारत में भी विदेशों के जैसे विशेषज्ञ हैं जिन्हें बुलाया जाता है ? यदि हां, तो विदेशी विशेषज्ञ बुलाने का क्या उद्देश्य है ?

†**श्री अलगेशन :** यह केवल विशेष सामग्री तथा यंत्र प्राप्त करने में हमें केवल सहायता देने के लिए हैं । वह अनेक परियोजना की जांच-पड़ताल की प्रगति के बारे में राज्य विद्युत् बोर्डों के सम्पर्क में रहेंगे और हमें इन वस्तुओं की प्राप्ति में सहायता दें । वह सभी आवश्यकताओं को एकत्रित करके क्रयादेश देंगे ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या जांच पड़ताल के बाद इस विदेशी विशेषज्ञ की सिफारिशों का अनुकरण उनकी कार्यान्विति के लिए संयुक्त राष्ट्र की निधि से कोई सहायता दे कर किया जायेगा या वे सरकार के विचारार्थ होंगी ?

†**श्री अलगेशन :** हम परियोजनाओं पर सामान्य कार्यवाही करते हैं । यह विशेषज्ञ केवल जांच पड़ताल के लिए अपेक्षित विशेष सामग्री तथा यंत्रों की प्राप्ति के लिए हैं ।

डा० गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने बताया कि इस प्रकार की कोई ६२ योजनाएं हैं जिनकी जांच की जाएगी । क्या ये ६२ योजनाएं देश भर में फैली हुई हैं, या किसी एक विशेष राज्य के लिए हैं, और क्या इन योजनाओं के अतिरिक्त भी कुछ और योजनाओं पर विचार किया जायेगा ?

श्री सैं० अ० मेहदी : ये सारे देश के लिए हैं और तीन स्टेजेज में हैं । करीब करीब इन तमाम योजनाओं को जो कि इस वक्त मौजूद हैं कवर करती हैं ।

डा० गोविन्द दास : क्या इनके अलावा भी और कोई चीजें उनके सामने रखी जाएंगी?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सं० अ० मेहदी : : इनवैस्टीगेशन के लिए इनके अलावा और कोई चीज उनके सामने नहीं रखी जाएगी ।

श्री शिव नारायण : मैं जानना चाहता हूं कि ये जो ६२ स्कीमें हैं ये कौन कौन सी स्कीमें हैं और इनमें से उत्तर प्रदेश को कितनी स्कीमें आपने दी हैं ?

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** विशेषज्ञ के निर्देश-पद क्या हैं ? क्या वह देश में विद्युत तथा सिंचाई की संभावनाओं पर व्यापक रिपोर्ट देगा या केवल उन योजनाओं की जांच करेगा जो तीसरी योजना में ली जायेगी ?

†**श्री अलगेशन :** वह ऐसा व्यापक पुनरीक्षण नहीं करेगा ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ने यह ध्यान में रखा है कि ये स्कीमें वहां चलायी जाएं जहां एग्रीकल्चुरल सेक्टर है ? अभी मंत्री जी ने बतलाया कि ये इंडस्ट्री के लिए हैं। जिस सेक्टर में एग्रीकल्चर है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है ?

श्री सं० अ० मेहदी : ये नई स्कीमें हैं, सारे मुल्क के लिए हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स के लिए हैं। ये ६२ नई स्कीमें अभी इनवैस्टीगेशन के लिए हैं, जिनके लिए यह तजवीज़ हुई है और अब उनके बारे में मशविरा किया जाएगा ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या कोई एजेन्सी इन नदी बेसिनों के सर्वेक्षण करने के लिए बनाई गई है या बनाई जायेगी जिसमें यह सज्जन सलाहकार के रूप में काम करेंगे ? यदि हां, तो एजेन्सी क्या है ?

†**श्री अलगेशन :** राज्य एजेंसियां अनेक परियोजनाओं की जांच पड़ताल कर रही हैं और कुछ की जांच-पड़ताल केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग कर रहा है।

मकान बनाने के लिए ऋण

+

†*८३०. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये ऋण देने की योजना का पुनरीक्षण करने का विचार है ;

(ख) क्या नियमों में कोई रूपभेद किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा १९६२-६३ में सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये कुल कितना ऋण स्वीकार किया गया ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) से (ग) मकान निर्माण ऋण नियमों के अन्तर्गत ऋण देना नवम्बर, १९६२ में बन्द किया गया था, ताकि १९६२-६३ में व्यय साठ लाख रूपये की बजट व्यवस्था के भीतर रखा जा सके।

†मूल अंग्रेज़ी में

इसके बाद १ अप्रैल, १९६३ से नये प्रार्थनापत्र मांगने का निश्चय किया गया है। अब आगे से ऋण केवल उन कर्मचारियों को दिये जायेंगे जिनकी मासिक आय १,२५० रु० से अधिक नहीं है और जिन्होंने जमीन पहिले ही ले ली है। एक प्रार्थी को अधिक से अधिक चौबीस महीने के वेतन के बराबर ऋण मिल सकेगा और यह राशि २५,००० से अधिक नहीं होगी।

१९६२-६३ में ९३·५१ लाख रु० के मकान निर्माण ऋण ७१० केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिये गये।

†**श्री वी० चं० शर्मा :** जो सरकारी कर्मचारी अपने मकान बनाते हैं उनसे सरकारी क्वार्टर छोड़कर उनमें रहने को कहा जाता है। यह नियम कितने मामलों में अपनाया गया है और कितने मामलों में नहीं अपनाया गया, और इस नियम का पालन न करने के क्या कारण है?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** ये दो अलग प्रश्न हैं। एक सरकारी कर्मचारी को मकान बनाने के लिए ऋण देने का है। दूसरा, उस सरकारी कर्मचारी के बारे में है जिसका मकान है और फिर भी 'जनरल पूल' से क्वार्टर लिये हुए हैं। पिछले ही दिनों में हमने निश्चय किया है और हमने उन सरकारी कर्मचारियों को नोटिस देने आरम्भ कर दिये हैं जिनके अपने मकान हैं और फिर भी 'जनरल पूल' से क्वार्टर लेते हैं।

†**श्री वी० चं० शर्मा :** क्या इन सरकारी कर्मचारियों को दिये गये ऋणों का आधार सामान्य है, या इन सरकारी कर्मचारियों की क्षमता के अनुसार इनका वर्गी करण किया गया है?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** यह निश्चित आधार पर दिया जाता है और सरकारी कर्मचारियों में निम्न आय वर्ग वाले व्यक्तियों के लिए इस बारे में जोर दिया जाता है।

†**श्री इकबाल सिंह :** प्रार्थियों में सरकारी विभागों के कितने सचिव, संयुक्त सचिव, उप-सचिव और अवर सचिव हैं?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** यह प्रश्न उचित नहीं होगा। हमने १,२५० रु० की आय-सीमा निर्धारित की है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या यह बात सच है कि जो लोग लोन के लिए एप्लाई करते हैं उनके बारे में निर्णय करने में काफी देरी होती है? यदि हां, तो उनको शीघ्र से शीघ्र लोन मिल जाये, इसके लिए क्या कदम उठाये जा रहेहैं?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** अनुचित समय नहीं लिया जाता है। जैसे ही हमें प्रार्थनापत्र प्राप्त होते हैं हम उन पर कार्यवाही करते हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं जानना चाहूंगा कि जिन राज्य कर्मचारियों को ऋण दिए जाने की व्यवस्था है, क्या उनके वेतन का ध्यान रख कर उनको ऋण दिया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : वह तो उन्होंने बताया।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द : बताया तो, लेकिन ऐसी भाषा में बताया जिसको मैं नहीं समझ सका ।

अध्यक्ष महोदय : जिनकी तनख्वाह १,२०० रुपए तक होगी उनको दिया जाएगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** यदि अनेक केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में सहकारी समिति के कर्मचारी वहां से ऋण प्राप्त न कर सकें, तो क्या उन्हें भी यह ऋण दिया जायेगा?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** यह योजना सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है और उनके वेतन, सेवा तथा सभी अन्य बातों पर विचार किया जाता है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं केवल प्रतिरक्षा, रेलवे, आदि में सरकार द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों का उल्लेख कर रहा था । क्या ऐसी समितियों को ऋण दिया जायेगा या नहीं ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** निम्न आय आवास योजना, अल्प आय आवास योजना और सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना जैसी अनेक अन्य योजनायें हैं । ये मेरे मंत्रालय की सामाजिक योजनाओं के अन्तर्गत आती हैं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या इन ऋणों की कोई उच्चतम सीमा भी निर्धारित है, और क्या ऋण जमीन खरीदने के लिए भी दिया जायेगा ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** मैंने अपने मूल उत्तर में बताया था कि अभी तो अधिकतम सीमा २५,००० रु० है । आजकल, हम जमीन खरीदने के लिए ऋण नहीं दे रहे हैं ।

व्यापार यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा

†***८३१. श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ में व्यापार के सम्बन्ध में विदेश यात्राओं के लिये विदेशी मुद्रा दिए जाने के लिए कितने आवेदन-पत्र मिले;

(ख) ऐसे कितने आवेदनपत्र स्वीकार किए गए थे;

(ग) इसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा दी गई; और

(घ) किसी एक व्यक्ति को अधिकतम कितनी रकम की अनुमति दी गई ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) १९६२ में विदेश में व्यापार संबंधी यात्रा के लिये विदेशी मुद्रा देने के संबंध में रिजर्व बैंक के पास ४३२८ प्रार्थना पत्र आये हैं ?

(ख) ४,१००

(ग) इस अवधि में १११.९ लाख रुपये की वदेशी मुद्रा ली गई ।

(घ) १६,०२५ रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ही० ना० मुकर्जी : सरकार इस प्रकार की यात्रा के लिये अनुमति देने में विशेष रूप से उदार प्रतीत होती है, इस बात की दृष्टि से, इन लोगों द्वारा की गई यात्राओं के परिणाम जानने के लिये सरकार का क्या कोई तंत्र है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सरकार प्रत्येक मामले में उदार नहीं। यह जो कुछ करती है वह ठीक करती है। इस मामले में रिजर्व बैंक भी इस बात की जांच करता है कि क्या उन्होंने काम किये हैं या नहीं।

†श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या इन लोगों के लेट आने पर यह मालूम करने का कोई तन्त्र है कि उनकी विदेश यात्रा से देश को क्या आर्थिक लाभ हुआ है ?

†श्री मोरारजी देसाई : यह केवल अनुमान लगाने का मामला है, जो रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है।

†श्री वासुदेवन नायर : मन्त्री जी ने बताया है कि लगभग १११ लाख रुपये मंजूर किये गये हैं ? १९६१ की तुलना में ये आंकड़े अधिक हैं या कम ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: १९६२ के आंकड़े, १९५९-६० और १९६१ की अपेक्षा कम हैं।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : व्यापारियों को विदेश के लिये कम से कम कितना धन मंजूर किया जाता है ? क्या सरकार को बताया गया है कि कई लोग तो इतनी कम राशि से अपनी विदेश यात्रा नहीं कर सकते ?

†श्री मोरारजी देसाई : इस मामले का वह उल्लेख कर रहे हैं ? न्यूनतम राशि का प्रश्न नहीं होता। व्यापारियों और विद्यार्थियों के लिये स्तर निश्चित किये गये हैं, और सब लोगों के लिये समानता बर्ती जाती है।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : कम से कम कितनी राशि मंजूर की गई है।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : अमरीका के लिये २२५ रुपये प्रतिदिन, इंग्लैण्ड तथा यूरोप के लिये १५० रु० प्रतिदिन पड़ौसी देशों के लिये १५० प्रति दिन यदि कोई कम मांगता है तो हम कम देते हैं।

†श्री मानसिंह पृ० पटेल : क्या वित्त मन्त्राल ..रजर्व बैंक द्वारा मंजूर अथवा अस्वीकृत अर्थ कारणों पर नमूने की निगरानी रखती है ?

†श्री मोरारजी देसाई : रिजर्व बैंक पर पूर्ण विश्वास किया जाता है। कोई जांच की जरुरत नहीं होती।

नर्मदा घाटी प्राधिकार

+

†*८३२. { श्री पु० र० पटेल :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नर्मदा घाटी तथा उससे सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए एक प्राधिकार बनाने में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: नर्मदा घाटी प्राधिकार की स्थापना का प्रश्न सम्बद्ध राज्यों और भारत की सरकारों के विचाराधीन है।

बड़ोच प्रक्रम १ (नर्मदा) परियोजना और तवा के काम प्रारम्भ हुए हैं और प्रारम्भिक काम आरम्भ किये गये हैं। बारना परियोजना के प्रारम्भिक काम भी चल रहे हैं।

हरनकाल परियोजना, बरवाहा परियोजना, पुनासा परियोजना तथा बारगी बांध के सम्बन्ध में अन्वेषण कार्य चल रहा है।

बासानिया, रोसरा बांध सोतारेका का बांध चिनकी बांध, और होशंगाबाद बांध के लिये सम्भाव्य स्थान हैं किन्तु इनके सम्बन्ध में अभी अन्वेषण कार्य आरम्भ नहीं किये गये।

†**श्री पु० र० पटेल**: क्या पटेल समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और यदि हां, तो उसकी मुख्य रुप रेखा क्या है तथा सिफारिशें क्या हैं ?

†**श्री अलगेशन** : रिपोर्ट दी जा चुकी है। ऐसी कोई समिति नहीं थी, केवल एक व्यक्ति अर्थात् श्री पटेल, ने इस मामले में विचार करके रिपोर्ट दे दी है जिसके ऊपर इस समय सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या मुख्य रुपरेखा अ र सिफ़ारिशें बताने में कोई कठिनाई है ?

†**श्री अलगेशन** : चूंकि हम इसकी जांच कर रहे हैं, यह सम्भव नहीं है।

†**श्री जसवन्त मेहता** : यह नर्मदा घाटी प्राधिकार की स्थापना पर विचार करने में कितना समय लगायेगी ?

†**श्री अलगेशन** : मैं ठीक समय तो बताने में असमर्थ हूं। हम काम कर रहे हैं और यथाशीघ्र इसकी स्थापना करना चाहते हैं।

दिल्ली में फालतू बिजली

†*८३३. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान १८ मार्च के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली तथा उसके आसपास के बहुत से उद्योगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है जबकि राजधानी में लगभग २०,००० किलोवाट बिजली फालतू है ;

(ख) क्या यह सच है कि इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में लगभग ३० प्रतिशत का नुकसान होने का अनुमान है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). वस्तुस्थिति यह है कि भाखड़ा नंगल से प्राप्त होने वाली बिजली की मात्रा जनवरी, १९६३ में ६६००० किलोवाट तक बढ़ जाने से उपक्रम के पास १,१८,००० किलोवाट बिजली हो गई। इस समय अधिकतम मांग १,०६,००० किलोवाट है और १२,००० किलोवाट बिजली बचती है। अतः इस क्षमता में से ५० प्रतिशत को आगामी ग्रीष्म काल के कारण होने वाली मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिये रखना जरूरी है। शेष ६००० किलोवाट पंजाब से अस्थायी तौर पर मिली है और दीर्घकाल के लिये नहीं रखी जा सकती। अतः फालतू बिजली के अप्रयुक्त रहने तथा उद्योगों को हानि होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। फिर भी दिल्ली प्रशासन ने ३१ दिसम्बर, ६३ तक स्थापित सब रात्रि बिजली भार को दिन भर में बदलने की मंजूरी दी है। नये औद्योगिक भार के लिये प्रार्थनापत्र मंगवाये गये हैं ताकि उपलब्ध होने वाली राशि समय से पहले ही मंजूर की जा सके।

†**श्री महेश्वर नायक** : बताया गया है कि वितरन के लिये फालतू बिजली उपलब्ध नहीं। क्या सरकार ने वर्तमान उद्योगों तथा तीसरी योजना में स्थापित होने वाले उद्योगों की बिजली सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है ?

†**श्री अलगेशन**: बिजली क्षमता बढ़ाई जाएगी जब हम जून में सी स्टेशन चालू करेंगे। जहां तक वर्तमान क्षमता का सम्बन्ध है, क्षमता में कोई कमी है, यह बताया गया है कि हमारे पास बिजली फालतू नहीं बचेगी।

†**श्री महेश्वर नायक** : सरकार अपने लगाने की कुल मांग को पुरा करने के लिये कार्यवाही कर रही है।

†**श्री अलगेशन** : तीसरी योजना में विविध योजनाएं हैं और उनको चलाया जा रहा है। एक 'सी' स्टेशन को चलाने की है जो वर्तमान क्षमता में ३० मैगावाट जोड़ेगी। १५ मैगावाट और जोड़े जाएंगे।

†**श्री इकबाल सिंह** : क्या सरकार ने विचार किया है कि दिल्ली को मिलने वाली अधिकतर बिजली कूलर, हीटरों आदि पर बेकार खर्च की जाती हैं और क्या वे पंजाब की दरें रखेंगे ताकि बिजली का कम प्रयोग हो ?

†**श्री अलगेशन** : सम्भवतः गर्मी में कूलर जरूरी होते हैं। मैं बताने में असमर्थ हूं।

श्री रामेश्वरानन्द : क्या यह सत्य नहीं है कि देहातों में ट्यूबवैल्स लगाने के लिए जो लोग बिजली लेना चाहते हैं और उसके लिए रिश्वत नहीं देते हैं उनको बिजली नहीं दी जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री यशपाल सिंह।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली में इस वक्त पावर का पीक आवर्स में कितना लोड होता है ?

†**श्री अलगेशन** : इस समय अधिकतम भार १,१२,००० किलोवाट है।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली में इस समय बिजली द्वारा सरकार को कितनी इनकम होती है और इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में बिजली का कितना लक्ष्य सरकार ने रक्खा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) : सरकार को कोई इसकी आमदनी नहीं होती है। इसकी आमदनी होती है दिल्ली कारपोरेशन को। सरकार का कोई ताल्लुक उससे नहीं है। दिल्ली में जो बिजली बिकती है उसकी दिल्ली कारपोरेशन को आमदनी होती है।

श्री कछवाय : बिजली का तीसरी योजना में कितना लक्ष्य है ?

ब्रिटेन से तीन करोड़ पौंड का ऋण

+

†*८३४. { **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० चं० देवभंज :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने हमारे देश को ३ करोड़ पौण्ड का ऋण औद्योगिक विकास की अविलम्बनीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये देना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस ऋण के द्वारा किन औद्योगिक परियोजनाओं को धन दिया जायेगा ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). हाल में इंगलिस्तान के प्राधिकारियों से ऐसे ऋण की कोई पेशकश नहीं आई। ३५ लाख डालर (४.६७ करोड़ रुपये) के ऋण का करार ९ अप्रैल, १९६३ को इंगलिस्तान की सरकार के साथ इस्पात का क्रय करने के लिये किया गया था और १९६३–६४ के लिये इंगलिस्तान की उच्चतर सहायता इस महीने के अन्त में होने वाली मित्र राष्ट्र संघ की बैठक के पश्चात् मालूम होगी।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या हमारी तीसरी योजना की तथा विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं का परी तरह अनुमान लगाया जा चुका है और यदि हां, तो इंगलिस्तान द्वारा मंजूर किये जाने वाले ऋण का कितने प्रतिशत हमारी औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विदेशी मुद्रा में होगा ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है, हमारी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का अनुमान न्यूनाधिक लगाया जा चुका है और लगातार लगाया जा रहा है। जहां तक उन सरकारों का प्रश्न है, १९६३-६४ वर्ष की आवश्यकताएं अगली मित्र राष्ट्र संघ की बैठक होने के पश्चात् मालूम होगी जो ३० अप्रैल, १९६३ को होने वाली है। मई में मित्र राष्ट्र संघ का दूसरा सत्र होगा और १९६३–६४ के लिये हमारी विदेशी सहायता की कुल आवश्यकताओं का अनुमान उस बैठक में लगाया जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया:** इस सरकार द्वारा जो ब्याज लिया जा रहा है वह अन्य सरकारों द्वारा लिये गये ब्याज की तुलना में कम है या अधिक ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : इंगलिस्तान अन्य सरकारों की तुलना में अधिक ब्याज ले रहा है ।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ने विदेशी ऋण लेने की अधिकतम मात्रा नियत कर रखी है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : अधिकतम सीमा कोई नहीं । सीमा केवल आयोजित की है ।

उद्योग के लिए सोना

†*८३५. **श्री शं० ना० चतुर्वेदी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण नियन्त्रण आदेश तथा इसके कारण 'तरल सोने' की कमी और ऊंचे मूल्यों के कारण कांच की चूड़ी बनाने के उद्योग को बहुत हानि हो रही है और कितने ही एकक बन्द हो गये है तथा अन्य में छंटनी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). बड़े पैमाने की बेकारी संयत कोई भयंकर या हल न की जाने वाली समस्या, स्वर्ण नियन्त्रण नियमों के जारी किये जाने के फलस्वरूप ग्लास बैंगल उद्योग में उत्पन्न हुई प्रतीत नहीं होती । तरल सोने के निर्माताओं को जिसका उपयोग ग्लास बैंगल उद्योग में किया जाता है, सोना बोर्ड द्वारा लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों से सोना खरीदने के लिये विशेष परमिट दिये जा रहे हैं ।

†**श्री शं० ना० चतुर्वेदी** : सरकार ने चूड़ी निर्माण उद्योग को उचित दामों पर तरल सोना देना और समान वितरण करने के हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : हमने इस समय तदर्थ परमिट जारी किये हैं ताकि सोना चूड़ी उद्योग उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके । यह रोका नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी समूची नीति देश में सोने की खपत को घटाने की है ।

†**श्री शं० ना० चतुर्वेदी** : तरल सोने के निर्माण के लिये परमिट दिये गये हैं । चूड़ी निर्माताओं को उचित दामों पर सोने का समान वितरण करने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : यह नियन्त्रणाधीन नहीं है । यह नियन्त्रित वितरण नहीं अतः सरकार द्वारा इसे बांटने का प्रश्न नहीं उठता ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या माननीय मन्त्री को विदित है कि चूड़ी उद्योग के इन लोगों को अधिक दामों पर यह तरल सोना मिलता है और यदि उत्तर हां में है, तो सरकार उचित दामों पर यह तरल सोना देने के लिये क्या कार्रवाई कर रही है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विदेशी मुद्रा की रक्षित निधि

†*८१९. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री यु० सिं० चौधरी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विदेशी मुद्रा की रक्षित निधि कितनी है ; और

(ख) विदेशी मुद्रा की इस रक्षित निधि को बनाये रखने और बढ़ाने के लिए और क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: (क) मार्च, १९६३ के अन्त में आरक्षित विदेशी मुद्रा २९६·८९ करोड़ रुपये की थी ।

(ख) आर्थिक सर्वेक्षण १९६२–६३ में जो २८ फरवरी, १९६३ को सभा में पेश किया गया था, भुगतान संतुलन के भार को दूर करने के लिये उपाय दिये गये हैं (सी० एफ० कंडिका १४, १९, २०, २९ और ११२ ऐट० सीक्व कंडिका भी) । विदेशी मुद्रा की स्थिति पर लगातार पुनर्विचार किया जाता रहता है और उस स्थिति की दृष्टि से सुधारने के समुचित उपाय किये जायेंगे ।

वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट

†*८२०. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट ने यह निष्कर्ष निकाला है कि गोबर के उपलों के धुएं में यदि काफी देर तक रहा जाये तो उससे ब्रान्काइटिस (श्वास नली शोथ) या एम्फीसेमा (वातस्फोति) हो सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निष्कर्ष खास कर देहाती इलाकों के डाक्टरों को बता दिया गया है ताकि इन बीमारियों को कम करने में मदद दी जा सके ; और

(ग) क्या पंचायतों के अधीन कार्य कर रहे चिकित्सा एककों ने देहाती घरों में ईंधन के तौर पर गोबर के उपयोग के विरुद्ध प्रचार कार्य शुरू कर दिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग). वल्लभ भाई पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट कुछ प्रयोग कर रही है किन्तु अभी तक कोई निष्कर्ष प्रकाशित नहीं हुआ । पालतू सुअरों जैसे पशुओं, को जब बहुत भारी गोबर के धुएं में रखा जाता है तो उनको ब्रौन्काइटस और सोवल ऐम्फीसेमा हो जाता बताया जाता है ।

---

†म ल अंग्रेजी में

केन्द्रीय आवास बोर्ड

†*८३६. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री गुलशन :
श्रीमती शशांक मंजरी :
श्री प्र० कु० घोष :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय आवास बोर्ड स्थापित करने का विचार कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** (क) और (ख). इस मामले पर बम्बई में हाल में हुई सभा की बैठक में विचार किया जाता है। उनका मत यह था कि प्रस्तावित आवास बोर्ड के लिये धन सरकार और गैर सरकारी लोगों से संकटकाल की वर्तमान स्थिति में ऋण और ऋण पत्रों के द्वारा धन इकट्ठा करना कठिन होगा, अतः प्रस्तावित बोर्ड का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिये आवास मन्त्रियों ने सिफारिश की कि बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव इस समय स्थगित कर दिया जाये।

सोने के आभूषणों का निर्माण तथा निर्यात

†*८३७. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री कछवाय :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात के लिए आभूषण बनाने के लिये सुनारों को अन्तर्राष्ट्रीय भाव पर सोना देने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सोने के वितरण के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) (क) और (ख) : सीमाशुल्क और केन्द्रीय शुल्क निर्यातकर वापसी (सामान्य) नियम, १९६० और निर्यात.को बढ़ावा देने की

---

†मूल अंग्रेजी में

मौजूदा योजनाओं के अनुसार, कुछ हालतों में निर्यात के बदले सोने का आयात करने की अनुमति है। स्वर्ण नियंत्रण नियमों को देखते हुए मौजूदा योजनाओं में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक औषधालय

†*८३८. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रयोग के तौर पर अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक औषधालय खोलने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में शुरुआत कर दी गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख) : अंशदायी स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय प्रयोगात्मक आधार पर स्थापित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत होम्योपैथिक डिस्पेंसरी खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जब कि आधुनिक औषधि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के विकास के लिये आधार रहेगें, प्रयोगात्मक आयुर्वेदिक डिस्पसरी से प्राप्त होने वाले अनुभव के आधार पर भविष्य में निर्णय किये जायेंगे ।

उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

†१७४५. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कितने हैं जो कि जनरल पूल में सरकारी निवास के पात्र है।

(ख) ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्हें सरकार द्वारा किराये पर जगह दी दी गई है; और

(ग) क्या शेष बचे कर्मचारियों के लिये, जिन्हें अभी तक क्वार्टर नहीं दिए गए हैं, १९६३–६४ में क्वार्टर बनाने की कोई योजना है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** (क) उड़ीसा में रहने स्थान के लिये कोई जनरल पूल नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

निवृत्ति वेतन के संराशिदान[1] के नियम

†१७४६. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान निवृति वेतन सरांशिदान नियमों के कार्यकरण के बारे में कोई लाभ और हानि का लेखा तैयार किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Commutation.

(ख) यदि हां, तो उसके फलस्वरूप क्या स्थिति है और उसका किस अवधि से सम्बन्ध है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं । सरांशिदान सारणियां जीवनांकिक परिकलनों[1] पर आधारित है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उद्योगों के लिए तरल सोना

†१७४७. **श्री यलमन्दा रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रयोजन के लिये सरकार ने तरल सोना देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से, और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) तरल सोने के प्रसिद्ध निर्माताओं को परमिट दिए जाते है ताकि वे अनुज्ञप्त पार्टियों से प्राइमरी सोना खरीद सकें ।

(ख) और (ग). भारत रक्षा नियम, १९६२ के भाग १२-क के अधीन केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अधीक्षकों को तरल सोने के ईमानदार निर्माताओं को १ मार्च, १९६३ से ३१ मई, १९६३ तक की अवधि के लिये सोने की इतनी मात्रायें, जो गत वर्ष की इसी अवधि में भी प्रमाणित उपयोग के आधे से अधिक न हों और प्रत्येक मामले में अधिक से अधिक ५०० ग्राम हों, खरीदने के लिये परमिट देने को प्राधिकृत किया गया है । जब आवश्यक होता है तो वैयक्तिक मामलों के गुणदोष देखते हुये स्वर्ण बोर्ड द्वारा सोने की अतिरिक्त मात्राओं के लिये विशेष परमिट दिए जाते है ।

१४ कैरेट के सोने को लोकप्रिय बनाना

१७४८. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १४ कैरेट के सोने के आभूषणों को गांवों में लोकप्रिय बनाने के लिये क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ;

(ख) अब तक गांवों में इस के लिये कितने प्रदर्शन किये गये या प्रचार केन्द्र खोले गये; और

(ग) जन-साधारण, विशेष रूप से ग्रामीण जनता को सरकार के दृष्टिकोण को समझाने के लिए किस प्रकार का साहित्य तैयार कर वितरित किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आकाशवाणी (आल इण्डिया रेडियो), अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, विभिन्न राज्यों के सूचना-निदेशक तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (फील्ड पब्लिसिटी डाइरेक्टरेट)

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Actuarial Calculations.

के प्रादेशिक कार्यालय लोगों को जानकारी देने के लिए प्रकाशन और प्रचार कर रहे हैं। १४ कैरेट के सोने के गहने और जवाहरात कई व्यापारियों और सुनारों द्वारा बनाये गये हैं और वे देश के विभिन्न स्थानों में बेचे या प्रदर्शित किये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) चूंकि प्रकाशन और प्रचार का काम कई एककों द्वारा अलग अलग ढंग से किया जा रहा है, इसलिये यह ठीक ठीक बताना सम्भव नहीं है कि कितने प्रदर्शन किये गये या कितने प्रचार-केन्द्र खोले गये या किस तरह का साहित्य बांटा गया या बांटा जा रहा है।

सिंचाई और जल-निस्सारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस

†१७४९. **श्री तन सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या सिंचाई और जल-निस्सारण सम्बन्धी पांचवीं अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस १३ से २१ मई, १९६३ तक टोकियो में होगी ;

(ख) यदि हां, तो बैठक में भाग लेने वाले भारत के प्रतिनिधियों की संख्या क्या है; और

(ग) व्यय को पूरा करने के लिये भारत सरकार ने कितनी धनराशि दी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हां।

(ख) कांग्रेस में भाग लेने के लिये भारत से एक चार सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भेजने का निर्णय किया गया है।

(ग) भारत सरकार ने केन्द्र के दो प्रतिनिधियों के लिये १३,४२० रुपये (अनुमानतः) दिये हैं। अन्य दो प्रतिनिधियों का खर्चा, जो कि राज्य सरकारों के अधीन काम कर रहे हैं तत्सम्बन्धी राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के दौरों पर व्यय

†१७५०. **श्री मानवेन्द्र शाह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० और १९६१ में संयुक्त सचिवों तथा उनके ऊपर के पदों के अधिकारियों द्वारा किये गये दौरों पर व्यय की गई राज्य-वार धनराशि क्या है ;

(ख) उपयुक्त अवधि में अवर सचिवों तथा उप-सचिवों के पद के अधिकारियों के के दौरों पर कितनी राशि खर्च हुई है ; और

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित दौरों में हवाई यात्रा पर कितना व्यय हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सचिवालय अधिकारियों के बारे में अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में मध्यम सिंचाई परियोजनायें

†१७५१. **श्री उलाका** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने १९६२–६३ के दौरान उड़ीसा सरकार को राज्य की मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये अनुदानों और ऋणों के रूप में कोई धनराशि दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). वर्ष १९६२–६३ के दौरान उड़ीसा सरकार के लिये ११५७.९८ लाख रुपये का एक ऋण मंजूर किया गया था ताकि स्वीकृत विविध विकास योजनाओं पर खर्चा किया जा सके जिन में अन्य योजनाओं के साथ साथ निम्नलिखित मध्यम सिंचाई योजनायें सम्मिलित थीं :-

१. सालन्दी सिंचाई परियोजना
२. सलिया सिंचाई परियोजना
३. सल्की सिंचाई परियोजना
४. बुद्धिबुद्यानी सिंचाई परियोजना
५. धांसी सिंचाई परियोजना
६. दारजंग सिंचाई परियोजना
७. गोडाहाडा सिंचाई परियोजना
८. बहुधा अवस्था १
९. मध्यम सिंचाई योजनाओं की जांच

उड़ीसा में आवास

†१७५२. **श्री उलाका** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को १९६२–६३ में मध्यम आय तथा निम्न आय वर्ग आवास योजनाओं के लिये कोई धन राशि दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** (क) और (ख). १९६२–६३ के दौरान उड़ीसा राज्य को तीन योजनाओं अर्थात् निम्न आय वर्ग आवास योजना, राज-सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना तथा ग्रामीण आवास परियोजना योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में ३०.३२ लाख रुपये का एक मुश्त आवंटन किया गया था। इस आवंटन का योजना-वार वितरण राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया था। इसके अतिरिक्त मध्यम आयवर्ग आवास योजना, भाटक आवास योजना, निम्न आय वर्ग आवास योजना तथा ग्रामीण आवास परियोजना योजना के लिए जीवन बीमा निगम की निधियों में से उन्हें ५४.२५ लाख रुपये की एक राशि आवंटित की गई थी। तथापि, उन्होंने यह सारा रुपया भाटक आवास योजना में ही लगा दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में हैजा और प्लेग

†१७५३. **श्री उलाका :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को १९६२–६३ में राज्य में हैजे और प्लेग की रोकथाम करने के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) उसी अवधि में राज्य में हैजा और प्लेग से अलग अलग कितनी मृत्युएं हुईं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा०सुशीला नायर) :** (क) हैजे का नियंत्रण और उन्मूलन मलमूत्र के उचित निस्सारण तथा उन क्षेत्रों में जहां कि हैजा स्थानिक है निर्विकार जल संभरण व्यवस्था से सम्बन्धित है। उड़ीसा सरकार को १९६२-६३ में राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम (नगरीय) के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा १६.७० लाख रुपये का एक ऋण स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम (ग्रामीण) सहित केन्द्र द्वारा सहायता-प्राप्त सभी योजनाओं के लिये ३८.५५ लाख रुपये की राशि भी मंजूर की थी।

१९६२–६३ में प्लेग की रोकथाम के लिए उड़ीसा सरकार ने न तो कोई केन्द्रीय सहायता मांगी थी और न ही कोई दी गई थी। राज्य में विषूचिका कोई समस्या नहीं है।

(क) १९६२ और १९६३ में उड़ीसा में हैजे से हुई मृत्युओं की संख्या नीचे दी जाती है :—

	मृत्युएं
६ जनवरी, १९६२ को समाप्त होने वाले सप्ताह से ले कर २९ दिसम्बर, १९६२ को समाप्त होने वाले सप्ताह तक .	३५८
५ जनवरी, १९६३ को समाप्त होने वाले सप्ताह से ले कर २३ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले सप्ताह तक . .	१६१
कुल	५१९

उपर्युक्त अवधि में उड़ीसा में विषूचिका की कोई घटना नहीं हुई थी।

उड़ीसा में केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनायें

†१७५४. **श्री उलाका :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को १९६२–६३ के दौरान केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाओं के लिये कोई एक मुश्त अनुदान दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) और (ख). १९६२–६३ में उड़ीसा सरकार को केन्द्र द्वारा चलाई गई स्वास्थ्य योजनाओं के लिए, जिनमें परिवार नियोजन, देशीय चिकित्सा पद्धतियों में अनुसन्धान और नगर नियोजन (वृहद् योजनाओं का तैयार किया जाना) सम्मिलित हैं, २.८३ लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उड़ीसा में राज सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास

†१७५५. **श्री उलाका :** क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में राज सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत उड़ीसा को आवंटित की गई कुल राशि क्या है; और

(ख) उसी अवधि में उपर्युक्त राशि में से उड़ीसा ने कुल कितनी राशि का उपयोग किया ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) और (ख). उड़ीसा राज्य को केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त तीन आवास योजनाओं अर्थात् राजसहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास, निम्न आय वर्ग आवास तथा ग्रामीण आवास परियोजना योजना की क्रियान्विति के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में ३०.३२ लाख रुपये की एक मुश्त राशि आवंटित की गई थी। इस में से, केन्द्रीय सरकार को प्राप्त अन्तर्कालीन व्यय के आंकड़ों के अनुसार, १९६२-६३ में राज्य सरकार द्वारा १९.६५ लाख रुपयों का उपयोग करने की संभावना है।

१९६२-६३ में आवंटित तथा उपयोग की गई केन्द्रीय सहायता की राशियों का योजनावार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

अन्दमान द्वीपसमूह में आवास योजना

†१७५६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में अन्दमान द्वीपसमूह में (१) अल्प आय वर्ग आवास योजना (२) ग्राम आवास परियोजनायें योजना तथा (३) सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के लिए कितना धन दिया गया है ; और

(ख) अन्दमान द्वीप समूह के सम्बन्ध में १९६१–६२ में उक्त योजनाओं में से प्रत्येक के लिए कितना धन दिया गया है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

योजना	दिया गया धन	
	१९६१–६२	१९६२–६३
	रुपये	रुपये
१. सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास	—	—
२. अल्प आय वर्ग आवास	१४,४५०	७,६००
३. ग्राम आवास परियोजनायें	—	—
जोड़	१४,४५०	७,६००

†मूल अंग्रेजी में

तुंगभद्रा जलाशय

†१७५७. **श्री वें० वेंकटासुब्बया :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हाम्पी बिजलीघर की क्षमता बढ़ाने के लिए तुंगभद्रा जलाशय से पानी का अतिरिक्त संभरण करने के लिए कोई अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) और (ख). हाम्पी बिजलीघर को पानी देने के वैकल्पिक तरीके की व्यवस्था करने तथा उच्चस्तरीय नहर का पूर्ण विकास होने पर सिंचाई होने तक अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करने के लिए उच्चस्तरीय नहर से पानी का उपयोग करने के लिए सम्पर्क नहर द्वारा बिजलीघर की नहर तथा तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर को मिलाने का आन्ध्र प्रदेश सरकार का प्रस्ताव पर तुंगभद्रा बोर्ड विचार कर रहा है ।

आवास योजनायें

†१७५८. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती जमुना देवी :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आवास समस्या सम्बन्धी विशेष संयुक्त राष्ट्र समिति के प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है जिसमें आवास की अत्यधिक कमी हल करने के कार्यक्रम में शीघ्रता लाने के लिए कहा गया है ; और

(ख) यदि हां तो अल्प आय वर्ग के लिए कम लागत आवास बल देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** (क) और (ख). संभवतया जनवरी-फरवरी, १९६३ में हुए संयुक्त राष्ट्र आवास निर्माण तथा आयोजन समिति के पहले अधिवेशन के प्रतिवेदन की ओर जिक्र कर रहे हैं । इस प्रतिवेदन पर आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् अपने जुलाई, १९६३ में जनेवा में हुए ३६वें अधिवेशन में होना है । परन्तु समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों को भारत सरकार ने अपनी नीति का आधार बना लिया है । हमारी आवास योजनायें मुख्यत: अल्प आय वर्ग के लिए कम कीमत के मकान बनाने के सम्बन्ध में ही हैं । सरकार ने वित्तीय सहायता दी है तथा स्थानीय निकाय सामुदायिक सुविधायें दे रहे हैं । कम कीमत वाले मकानों की प्रगति के लिए नकशों, वस्तुओं, तथा टैक्नीकों का लगातार अनुसन्धान हो रहा है ।

राज्य वित्त निगम

†१७५९. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य वित्त निगम को अधिकार देने तथा शक्ति लेने के लिए राज्य को बहुत अधिकार दे दिए गए हैं ; और

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या राज्य निगमों द्वारा कोयला उद्योग के विकास के लिए वित्त की सुविधा देने के लिए कोई योजना बनाई गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य वित्त निगमों समेत ऋण संस्थाओं द्वारा सरकार ने ऋण में से कोयला कम्पनियों को न देने की अंशत: गारंटी की योजना स्वीकार की गई है ।

मेडिकल कालेज, बीकानेर

१७६०. { **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री हेम राज :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के बीकानेर में मेडिकल कालेज के भवन निर्माण में कुल कितना रुपया खर्च होगा और इसमें भारत सरकार की ओर से कितना अनुदान दिया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): बीकानेर के मेडिकल कालेज के मुख्य भवन, छात्रावास तथा कर्मचारी-क्वार्टरों के निर्माण के लिए राजस्थान सरकार ने ४७,०७,२०० रुपये की एक राशि की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है। ३१ लाख रुपये के मूल्य के अन्य भवनों का निर्माण धन उपलब्ध होने पर किये जाने की आशा है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में नये कालिजों की स्थापना तथा मौजूदा कालेजों के विस्तार की योजना को केन्द्र सहायियत-योजना के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है, जिसके अधीन राज्य सरकारों को नीचे लिखे अनुसार वित्तीय सहायता दी जा रही है :—

अनावर्ती

(१) उपकरणों के लिये ७५ प्रतिशत बशर्ते यह राशि प्रति-प्रवेश २२,५०० रुपये से अधिक न हो ।

(२) भवन के लिये ७५ प्रतिशत बशर्ते नये कालेजों के प्रति-प्रवेश पर ३७,५०० रुपये तथा मौजूदा मेडिकल कालेजों के विस्तार से सम्बन्धित प्रति-प्रवेश पर २२,५०० रुपये से अधिक न हो ।

आवर्ती

५० प्रतिशत बशर्ते प्रति-प्रवेश ४,००० रुपये से अधिक न हो। राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने की वर्तमान प्रणाली के अनुसार धन का आवंटन योजना वार नहीं होता अपितु विभिन्न योजनाओं के लिए प्रत्येक वित्तीय-वर्ष के अन्त में वर्ग वार धन स्वीकृत किया जाता है। एक वित्तीय वर्ष के लिये आवंटित कुल केन्द्रीय सहायता का ३/४ उस वर्ष के अन्तर्गत राज्य सरकारों को ६ बराबर किस्तों में एक-मुश्त मार्गोपाय-अग्रिमों के रूप में दिया जाता है। तथापि राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्होंने मेडिकल कालेज बीकानेर के भवन पर हुए व्यय के लिए वित्तीय वर्ष १९६१–६२ तक २६.१७२ लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर ली है।

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी कार्यालयों का स्थानान्तरण

१७६१. श्री भक्त दर्शन : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री २१ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक केन्द्रीय सरकार के किन-किन कार्यालयों के कितने कर्मचारियों को दिल्ली से अन्यत्र भेजा जा चुका है ;

(ख) उनको किन-किन स्थानों पर स्थानान्तरित किया गया है और उनके दिल्ली से जाने के कारण कितना स्थान खाली हुआ है ; और

(ग) जिन कार्यालयों को दिल्ली से अन्यत्र भेजने का निश्चय किया जा चुका है, उन में से शेष के कब तक अन्यत्र चले जाने की व्यवस्था की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए भारत का अंशदान

†१७६२. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १९६२ तथा १९६३ में क्रमशः विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए भारत ने कुल कितना अंशदान किया ;

(ख) क्या भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को १९६३ के लिए अंशदान की पहली किस्त दे दी है ; और

(ग) क्या आपातकाल के कारण भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को आन्तरिक आवश्यकता के कारण अपना अंशदान देने के लिए असमर्थता प्रकट की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) १९६२ २३,९३,१४३ रुपये
१९६३ २५,३१,४२९ रुपये ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं । सदस्य बने रहने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को अंशदान करना जरूरी है ।

स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों के साथ व्यापार में भारत का भुगतान शेष

†**१७६३. श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टर्लिंग पर कथित दबाव के कारण स्टर्लिंग क्षेत्रों के देशों के साथ हमारे व्यापार में भारत के भुगतान शेष पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) देश की आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) मार्च, १९६३ के दूसरे सप्ताह में पौंड स्टर्लिंग पर दबाव थोड़े समय के लिए था तथा आई० एम० एफ़० (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) समता के लिए उतार चढ़ाव की अनुमित सीमा में था। इसीलिये शेष स्टर्लिंग क्षेत्र के साथ हमारे भुगतान शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मद्रास में बकाया आयकर

†१७६४. **श्री इलया पेरूमाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९६३ को मद्रास राज्य में कुल कितना आयकर बकाया पड़ा हुआ था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: १ जनवरी, १९६३ को मद्रास राज्य में आयकर का ७.०३ करोड़ रुपया बकाया पड़ा हुआ था जो वसूल नहीं किया गया है।

केरल में साइलेन्ट घाटी परियोजना

†१७६५. **श्री प० कुन्हन** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री ७ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में साइलेन्ट घाटी परियोजना की प्रारम्भिक जांच पड़ताल के बारे में जानकारी इस बीच प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) साइलेन्ट घाटी परियोजना की जांच पड़ताल जारी है और केरल सरकार से अभी कोई विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी सिक्कों का पकड़ा जाना

†१७६६. **श्री हेम बरुआ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ मार्च, १९६३ को उत्तर कामरूप पुलिस (आसाम) ने एक आदमी को गिरफ्तार किया था जो एक टोकरी में संतरों के नीचे २९५ चीनी सिक्के छिपाये हुये ले जा रहा था ;

(ख) यदि हां, तो उस घटना का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या राजनैतिक चाल की कोई आशंका है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). जहां तक सरकार की जानकारी है, १५ मार्च, १९६३ को ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। फिर भी, २३ फरवरी, १९६३ को आसाम सरकार के उत्पादन-शुल्क अफसर ने कुमारीकट्टा में सरकारी बस की तलाशी के दौरान एक सन्दूक से २९५ चीनी सिक्के बरामद किये थे। जब्त किया गया माल जिसका कोई दावेदार नहीं था,

†मूल अंग्रेजी में

बाद में सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ के अधीन कार्रवाई के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पदाधिकारियों को सौंप दिया गया । जांच पड़ताल जारी है ।

(ग) माल पर किसी ने हक साबित नहीं किया और उसमें किसी राजनैतिक चाल की आशंका नहीं मालूम होती ।

भविष्य निधि

१७६७. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि में रुपया जमा रखने की समय सीमा को ३ साल से बढ़ा कर ५ साल कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस रकम का सूद देगी ; और

(ग) यदि हां, तो किस दर से ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) भविष्य निधि का जो रुपया इस तरह जमा रहेगा, उस पर उसी दर से ब्याज दिया जायेगा जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी । कुछ सरकारी कर्मचारी ब्याज की जिस "संरक्षित" (प्रोटेक्टेड) दर के अभी हकदार हैं, उन्हें सेवा-निवृत्ति की तारीख के बाद उस दर से ब्याज नहीं दिया जाएगा ।

चंडीगढ़ के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता

†१७६८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार ने ३१ दिसम्बर, १९६२ तक ऋण या अनुदान के रूप में कितनी रकम दी है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : चंडीगढ़ में राजधानी बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में ३१ दिसम्बर, १९६२ तक ८२७.०९ लाख रुपये का ऋण और १०० लाख रुपये का अनुदान पंजाब सरकार को दिया गया है ।

होशियारपुर में अल्प बचत

†१७६९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के होशियारपुर और जालन्धर जिलों में १ अक्तूबर, १९६२ से २८ फरवरी, १९६३ तक अल्प बचत योजना के अधीन कुल कितनी रकम इकट्ठी की गयी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : क्रमशः वास्तविक २.९१ लाख रुपया और ३.५९ लाख रुपया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड

†१७७०. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूंजी निर्गम के लिए कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के, जिसे विशाखापत्तनम में उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए लाइसेन्स दिया गया है, आवेदन पत्र की छानबीन की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). आवेदन पत्र पर अभी विचार किया जा रहा है ।

गुड़गांव नहर

†१७७१. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रस्तावित गुड़गांव नहर के बारे में उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच झगड़े की छानबीन करने के लिए श्री बी० एस० नाग की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सामने विस्तृत विचारणीय विषय कौन-कौन से हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). आगरा नहर से गुड़गांव नहर निकालने की जगह निश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकारों के विभिन्न सुझावों के तकनीकी और आर्थिक गुणदोषों की छानबीन करने के लिए श्री नाग की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति स्थापित की गयी है ।

पान में खजूर की गुठली का प्रयोग

१७७२. **श्री बड़े :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सुपारी की जगह खजूर की गुठली काट कर काम में लाई जा रही है और पान में बेची जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जानकारी प्राप्त की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी दुकानों का चालान किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). दिल्ली नगर निगम ने मार्च, १९६३ में पान के मसाले और सुपारी के नौ नमूने उठाये, बतलाया गया है कि सुपारी में खजूर की गुठलियां मिली होती हैं । इन नमूनों के विश्लेषण के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुनर्वास अनुदान

१७७३. श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री बड़े :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने अब तक कितने विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास अनुदान दिया है ;

(ख) अब कितनी दरखास्तें विचाराधीन हैं ; और

(ग) कितने व्यक्तियों को दिसम्बर, १९६२ तक सम्पत्ति दी जा चुकी है और कितनों को देना बाकी है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :(क) १३,८२९ (३१ जनवरी, १९६३ तक) ।

(ख) ९६१

(ग) पुनर्वास अनुदान के आवेदकों को बेची गई/हस्तांतरित की गई सम्पत्तियों के विषय में पृथक अभिलेख नहीं रखा जाता ।

कस्टम हाउस के एजेन्ट

१७७४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई कस्टम हाउस में १९६२ में कितने एजेन्टों के लाइसेंस समाप्त किये गये अथवा रोक लिये गये ;

(ख) उक्त कस्टम हाउस के एजेन्टों के सम्बन्ध में निर्णय लेने में अभी तक क्यों देरी की जा रही है ; और

(ग) यह निर्णय कब तक हो जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): कस्टम हाउस के दो एजेन्टों के लाइसेंस १९६२ में रद्द दिये गये थे । इसी अवधि में दस लाइसेंसदारों के लाइसेंस, बुरे आचरण के आरोप में रोक लिये गये थे ।

(ख) और (ग). जो दस लाइसेंस रोके गये थे उनमें से पांच बहाल कर दिये गये हैं । छठे मामले का, जिसमें २३ मार्च, १९६२ को लाइसेंस रोक लिया गया था, फैसला भी हो गया है और आदेश दे दिया गया है कि पहली अक्तूबर, १९६३ से लाइसेंस बहाल कर दिया जाये ।

बाकी चार मामलों में, नीचे लिखे कारणों से फैसला करना संभव नहीं हुआ :

(१) एक मामले में कस्टम हाउस एजेन्ट पर कुछ दोषारोप किये गये हैं । उसका जवाब मिल गया है और अनुमान है कि मामले का फैसला लगभग एक महीने में हो जायेगा ;

(२) दो मामलों में कस्टम हाउस एजेन्टों का चोरी-छिपे माल लाने, ले जाने सम्बन्धी अपराधों में हाथ होने का सन्देह है । मामले की जांच की जा रही है और इनके सम्बन्ध में जितनी जल्दी हो सकेगा फैसला कर दिया जायेगा ;

†मूल अंग्रेजी में

(३) एक मामले में लाइसेंस रोक लेने का कारण यह था कि एजेन्ट के खिलाफ, जहाज घाट से माल चुराये जाने के सम्बन्ध में, पुलिस अधिकारियों द्वारा फौजदारी मुकदमा चलाया जा रहा था। इस मामले में अदालत का फैसला होना अभी बाकी है।

वारंगल मेडिकल कालेज

†१७७५. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि काकटिया मेडिकल एजूकेशन सोसाइटी, वारंगल, ने १९६३–६४ के लिए वारंगल मेडिकल कालेज के लिए अनुदान देने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो कितना अनुदान मंजूर किया गया है ; और

(ग) क्या उस कालेज को कोई साज-सामान भी दिया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) और (ख). वर्ष १९६३–६४ के लिए वारंगल मेडिकल कालेज को अनुदान दिये जाने के बारे में काकटिया मेडिकल एजूकेशन सोसाइटी से कोई प्रार्थना नहीं आई है। फिर भी तीन स्वयं सेवी मेडिकल कालिजों अर्थात् कस्तूरबा मेडिकल कालिज, मणिपाल, रंगराया मेडिकल कालिज, काकीनाडा और काकटिया मेडिकल कालिज, वारंगल, की ओर से मार्च, १९६३ में एक संयुक्त ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें अन्य बातों के साथ साथ १९६२–६३ में ५ लाख रुपये के तदर्थ अनुदान के लिए प्रार्थना की गयी थी। भारत सरकार ने दूसरों के साथ साथ काकटिया मेडिकल कालिज, वारंगल को मार्च, १९६३ में ५ लाख रुपये का तदर्थ अनुदान मंजूर किया है।

(ग) जी नहीं।

नगरीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम

†१७७६. **श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा चलाये गये ग्रामीण विकास कार्यक्रम की तरह नगरीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कार्यक्रम की मोटी रूपरेखा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

बर्मा से आने वाले भारतीयों के लिए भारतीय मुद्रा

†१७७७. **श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा सरकार ने इस देश में आने के इच्छुक भारतीयों को भारतीय मुद्रा देना बन्द कर दिया है ; और

(ख) क्या इसके कारण देश में लौटने वाले भारतीयों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न होने की सम्भावना है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जी हां।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह हाल के अपने ही विनियम के अनुसार है जिसके अधीन भारत आने वाले व्यक्तियों द्वारा भारतीय नोट लाये जाने पर रोक लगायी गयी है। सरकार को मालूम हुआ है कि बर्मा से आने वाले लोगों को इस कारण कुछ कठिनाइयां हो रही हैं और इस मामले की छानबीन हो रही है।

पंजाब में आयुर्वेद का विकास

†१७७८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) तीसरी योजना की अवधि में पंजाब में आयुर्वेद के विकास के लिए कितनी धनराशि दी गयी; और

(ख) अब तक कितनी रकम खर्च की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पंजाब में आयुर्वेद के विकास के लिए कुल ४८ लाख रुपया दिया गया था।

(ख) २८ फरवरी, १९६३ तक राज्य सरकार ने ३,९१,११४.०० रुपया खर्च किया है।

दिल्ली में चोरी से लाये गये सामान की बरामदगी

१७७९. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कुछ चीजें लगभग ६०–८० हजार रुपये की, जो कि बाहर से लाई गई थीं, एक चुंगी दस्ते ने २३ मार्च, १९६३ को छः दुकानों पर छापा मार कर बरामद कीं;

(ख) यदि हां, तो यह सामान कहां से मंगाया गया था; और

(ग) क्या ये दुकानदार कोई विदेशी थे ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) २३ मार्च, १९६३ को दिल्ली के केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क-संग्रहालय (सेण्ट्रल एक्साइज कलेक्टरेट) के अधिकारियों ने दिल्ली में दो दुकानों की तलाशी ली और लगभग ६,४०० रुपये की २३५ हाथ-घड़ियां बरामद कीं। मार्च, १९६३ में दिल्ली में बहुत सी दुकानों की तलाशी ली गयी थी और कुल मिला कर ४४,४०० रुपये का माल बरामद किया गया था।

(ख) पकड़ा गया माल ब्रिटेन, जर्मनी, आस्ट्रिया, जापान और हांगकांग का बना मालूम देता है।

(ग) जी नहीं।

नागार्जुन सागर परियोजना

†१७८०. **श्री लक्ष्मी दास** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुन सागर बिजलीघर के लिए आवश्यक साजसामान के आयात के लिए कोई विदेशी मुद्रा प्राप्त की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो वह बिजलीघर संभवतः कब पूरा हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) चूंकि नागार्जुन सागर बांध से बिजली तैयार की योजना अभी अंतिम रूप से तैयार नहीं की गयी है, इसलिए उसके पूरे होने की तारीख का अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

ओबरा (उत्तर प्रदेश) में बिजली-घर

१७८१. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला मिर्जापुर के ओबरा (उ० प्र०) में एक बिजली-घर का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह बिजली-घर किस देश की सहायता से बनाया जा रहा है; और

(ग) इसकी अनुमानित लागत क्या होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां । ओबरा में, १०० मैगावाट की क्षमता के जल शक्ति केन्द्र के अतिरिक्त, २५० मैगावाट की क्षमता का एक तापीय बिजली-घर स्थापित किया जा रहा है ।

(ख) ओबरा तापीय बिजली केन्द्र के लिए संयंत्र तथा साज-सामान उधार प्रबन्ध के अधीन रूस से मंगवाया जा रहा है । ओबरा जल विद्युत् केन्द्र के लिए संयंत्र और सामान हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल द्वारा दिया जायेगा ।

(ग) ओबरा तापीय बिजली केन्द्र की अनुमित लागत अभी मालूम नहीं है, क्योंकि रूसी अधिकारियों ने अभी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नहीं भेजी है । ओबरा जल विद्युत् स्कीम की अनुमित लागत १०५९.२६ लाख रुपये है ।

आन्ध्र प्रदेश में पीने का पानी सप्लाई करने की योजनायें

†१७८२. **श्री कोला वेंकैया** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी योजना की अवधि में आन्ध्र प्रदेश राज्य में पीने का पानी सप्लाई करने की योजनाओं के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ९ करोड़ रुपया देने के लिए प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजनायें कितनी हैं; और

(ग) इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख) जी हां । ३,७४९ गांवों के लिए नयी संरक्षित जलपूर्ति योजनाओं को आरम्भ करने के लिए राज्य सरकार ने ९ करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के लिए प्रार्थना की थी ।

(ग) राज्य सरकारों को बताया गया है कि योजना की शेष अवधि में उपलब्ध रकमें खर्च करने की संभावना और स्वीकृत योजना (स्वास्थ्य) को ध्यान में रखते हुए वे अपनी योजनाओं में परिवर्तन करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

कनाडा के लिये भारतीय उद्योगपतियों का शिष्टमंडल

†१७८३. श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा सरकार ने अपने देश का दौरा करने के लिए भारतीय उद्योगपतियों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो उद्योगपतियों के प्रतिनिधि कौन-कौन हैं; और

(ग) उनकी यात्रा का प्रयोजन क्या है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). कनाडा सरकार ने 'वर्ल्ड मार्केट्स मशीनरी' नामक एक कार्यक्रम कनाडा में आयोजित किया था जिसके अंतर्गत उसने भारत सहित अनेक देशों से सरकारी तथा गैर-सरकारी उद्योग के अनेक व्यक्तियों को आमंत्रित किया था। व्यक्तियों को कनाडा सरकार ने स्वतः चुना था और भारतीय उद्योग का प्रतिनिधित्व करने का कोई प्रश्न नहीं है। गैर-सरकारी उद्योग के निम्नलिखित पांच व्यक्तियों को कनाडा सरकार से निमंत्रण प्राप्त हुए थे :

श्री डी० एन० सेन
श्री आर० एफ० ए० तलयारखां
श्री के० सी० गुप्ता
श्री एन० ए० वागले
श्री वी० पछार

भारत में तापीय बिजली घर

†१७८४. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हंगरी की एक कम्पनी ने भारत में चार तापीय बिजली घर बनाना मंजूर कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चाय पर सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

†१७८५. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय पर सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क १९६२–६३ में पिछले वर्ष के शुल्कों की तुलना में कम हो गये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : आवश्यक जानकारी इस प्रकार है :—

	सीमा शुल्क	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क
(क)	प्राप्त राजस्व में कुछ कमी दिखायी पड़ी है	जी नहीं
(ख)	लगभग ४ करोड़ रुपये	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता
(ग)	यह कमी मुख्यतः इस कारण है कि चाय पर निर्यात शुल्क ४४ न०पै० से घटाकर २५ न०पै० प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। यह वर्ष १९६२–६३ के लिए बजट प्रस्तावों के तौर पर २४ अप्रैल, १९६२ को और वर्ष १९६३–६४ के लिए बजट प्रस्तावों के तौर पर, १ मार्च, १९६३ से चाय पर निर्यात शुल्क हटा दिये जाने के फलस्वरूप लागू किया गया था।	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गंगा नहर का पानी

†१७८६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६० को भारत-पाकिस्तान नहरी पानी संधि की क्रियान्विति के बाद गंगा नहर में पानी की सप्लाई बहुत कम हो गयी है;

(ख) यदि हां तो यह संधि लागू होने के बाद इस नहर में पानी की सप्लाई उससे पहले की सप्लाई की तुलना में कितनी है; और

(ग) इस कमी के कारण इस नहर के अधीन आने वाले क्षेत्र की सिंचाई पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं। सिन्धु नदी संधि १९६० को कार्यान्वित किये जाने के फलस्वरूप, सिन्धु प्रणाली की नदियों से भारत को दी जाने वाली सप्लाई में कोई कमी नहीं हुई है। विभिन्न राज्यों के बीच पानी का वितरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और न कि भारत सरकार द्वारा।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

अमृतसर के पास माल का चोरी छिपे व्यापार

†१७८७. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में एक मोटरगाड़ी से, जिसकी अमृतसर में खालसा कालेज के पास एक बैलगाड़ी से दुर्घटना हो गयी थी ८००० रुपये का चोरी से लाया गया माल पकड़ा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या अपराधियों को पकड़ने के लिये सरकार ने कोई प्रयत्न किये थे ; और

(ग) उसका क्या नतीजा निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) २५ मार्च, १९६३ को पुलिस ने एक मोटर गाड़ी से २,५०० रुपये का निषिद्ध माल बरामद किया था। खालसा कालेज, अमृतसर के पास इस मोटरगाड़ी की एक बैल गाड़ी से टक्कर हो गयी थी।

(ख) और (ग) पुलिस और सीमाशुल्क अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही तथाकथित अपराधी भाग गये थे। फिर भी पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा २७९ के अधीन जुर्म दर्ज किया है और इस मामले में सन्देहास्पद दो आदमियों को इस बीच गिरफ्तार किया गया है और वे अब पुलिस की हिरास्त में हैं।

केरल में नगरीय जलपूर्ति योजनाएं

†१७८८. { श्री अ० ब० राघवन् :
श्री प० कुन्हन् :
श्री पोट्टे काट्ट : }

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) तीसरी योजना की अवधि में केरल में नगरीय जलपूर्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये कितनी रकम निर्धारित की गयी थी ;

(ख) इस संबंध में केरल सरकार ने कितनी रकम मांगी थी ;

(ग) केरल सरकार इस योजना में किन किन बड़े शहरों को शामिल करने वाली है और कौन कौन से शहरों को उसमें सम्मिलित करना अभी तक मंजूर किया गया है ;

(घ) प्रत्येक योजना की लागत कितनी है और वह कब पूरी हो जायेगी ; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने किन्हीं जलपूर्ति योजनाओं में कोई परिवर्तन किये हैं ?

†स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). केरल की तीसरी पंचवर्षीय योजना में शहरी जलपूर्ति योजनाओं के लिये ४०७ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है जबकि राज्य सरकार ने आरम्भ में ६०९ लाख रुपये की मांग की थी।

(ग) से (ङ) केरल की तीसरी योजना में सम्मिलित, विभिन्न शहरों के लिये शहरी जलपूर्ति योजनाओं की और उन योजनाओं की अनुमानित लागत की एक सूची संलग्न है। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० १११३/६३] राष्ट्रीय जलपूर्ति तथा स्वच्छता कार्यक्रम (शहरी) के अधीन अब तक निम्नलिखित योजनायें स्वीकृत हुई हैं :—

(१) कायमकुलम (केवल पहला दौर)
(२) कोट्टयम
(३) वैकोम
(४) ओट्टपलम्

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन ने सभी मामलों में तकनीकी ढंग के परिवर्तनों का सुझाव दिया था।

इन योजनाओं के पूरे होने की तारीख राज्य सरकार से मांगी गयी है और वह यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये चिकित्सा स्नातक

†१७९०. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या सरकार ने चिकित्सा स्नातकों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने पर प्रेरित करने के लिये अमरीकी सहायता से एक नई और व्यापक योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसके कब क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). जी नहीं, सरकार ने विभिन्न मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध ग्रामीण शिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रति चिकित्सा विद्यार्थियों की अभिरुचि का अध्ययन करने की एक योजना स्वीकार की है ताकि वे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को ही पेशे के रूप में चुनें और यह योजना पी० एल० ४८० रुपया निधि के अमरीकी अंश से मिलने वाली सहायता से वित्तपोषित होगी। इस परियोजना को जांस हापकिन्स विश्वविद्यालय, बाल्टीमोर का आरोग्य शास्त्र और जन स्वास्थ्य विद्यालय अपने हाथ में ले रहा है।

योजना को इस समय निम्नलिखित मेडिकल कालेजों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है :

(१) क्रिस्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना

(२) मेडिकल कालेज, नागपुर

(३) सेठ जी० एस० मेडिकल कालेज, बम्बई

(४) के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ

(५) मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम ।

परियोजना में भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अध्ययन करने का प्रस्ताव है। आशा की जाती है कि इस अध्ययन से डाक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को पूर्ण प्रशिक्षित चिकित्सकों की बहुत अधिक आवश्यकता है, आकर्षित करने के लिये आवश्यक प्रणालियों के बारे में आधारभूत प्रश्नों के कुछ उत्तर प्राप्त होंगे। क्रिस्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना के सहयोग से पंजाब के एक गांव में निदेशक अध्ययन द्वारा इस परियोजना को आगे बढ़ा ले जाने की सुकरता पहले ही निश्चित कर ली गई है। काम भारतीय अनुसंधान दलों द्वारा किया जायेगा जिन में चिकित्सक, समाज शास्त्रज्ञ, स्वास्थ्य शिक्षक और सांख्यिक सम्मिलित होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली को पंजाब और उत्तर प्रदेश से पानी दिया जाना

१७९१. **श्री यु० सिं० चौधरी :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) राजधानी की पानी सप्लाई को पूरा करने के लिये वर्ष १९६२–६३ में १९६१–६२ की तुलना में कितना अधिक जमुना का पानी उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकारों से प्राप्त किया गया ; और

(ख) क्या इस अतिरिक्त पानी की प्राप्ति के बाद सरकार दिल्ली की पानी की आवश्यकता पूरी कर सकेगी ?

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) गर्मियों में जमुना में पानी की कमी की पूर्ति के लिये पंजाब सयकार २०–५–६१ से ५–६–६१ तक प्रति दिन जो ३०० क्यूसेक पानी देती रही उसकी तुलना में १९–५–६२ से २०–६–६२ तक पश्चिमी जमुना नहर के मुनक एस्केप से उसने प्रति दिन २०४ क्यूसेक पानी दिया ।

अभी उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली को प्रत्यक्षतः कोई पानी नहीं देती ।

(ख) जी हां । चालू वर्ष में पंजाब सरकार प्रति दिन ३२५ क्यूसेक पानी देने के लिये सहमत हो गई है ।

केरल को निवेली से बिजली का दिया जाना

†१७९२. **श्री अ० ब० राघवन् :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने निवेली से उसे ५०,००० किलोवाट बिजली दिये जाने के लिए कोई अभ्यावेदन भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन)** : (क) हां ।

(ख) विषय विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

देहली विद्युत् सम्भरण संस्थापन

†१७९३. **श्री द्वारका दास मंत्री :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देहली विद्युत् संभरण संस्थापन को देहली नगर निगम से ले लेने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन):** (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्थगन प्रस्तावों तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाने के बारे में

नागा विद्रोहियों द्वारा रेलवे लाइन को उड़ाया जाना और रेलगाड़ी पर गोली चलाया जाना

†**अध्यक्ष महोदय** : २१ माननीय सदस्यों द्वारा इस विषय पर स्थगन प्रस्तावों और ध्यान दिलाऊ प्रस्तावों की ग्राह्यता निर्धारित करने से पहले मैं तथ्य जानना चाहता हूं ।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : यह मामला बड़ा गम्भीर है और सरकार अपने कर्तव्य में असफल रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं तथ्यों को दे कर इस प्रस्ताव को ग्राह्यता का फैसला दूंगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : हमें आप इसकी ग्राह्यता के बारे में बोलने दें, क्योंकि श्री स्काट का नागालैंड जाने से इनकार करने का राजनीतिक महत्व है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** पहले तथ्यों का पता लग जाए ।

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मुझे नहीं मालूम कि रेलवे मंत्री क्या कहने वाले हैं ; संभवत : वह मेरे वक्तव्य के बाद अपनी बात जोड़ेंगे । हमें आज प्रातःकाल आसाम सरकार से जो सूचना प्राप्त हुई है, मैं आपको तथा सभा को वह दूंगा ।

सूचना यह है कि रंगाफर साइडिंग और धनसिरी स्टेशन के बीच १५० फुट रेलवे पटरी विद्रोही नागाओं द्वारा डिनैमाइट के द्वारा उड़ा दी गई, जिससे ६२ डाउन यात्री गाड़ी का इंजन तथा

---

†मूल अंग्रेजी में

४ बोगियां पटरी से उतर गये ९ तारीख की रात्रि को १० बजे के लगभग । गाड़ी के पटरी से उतरते ही लगभग २०० सशस्त्र विद्रोही नागाओं ने यात्री गाड़ी पर धावा बोल दिया और ५ व्यक्तियों को मार दिया तथा २७ को घायल कर दिया । विद्रोही नागाओं ने भाग जाने से पहले रेलगाड़ी की तलाशी ली ।

घायल व्यक्तियों में से २२ को जिन्हें डाक्टरी इलाज की जरूरत थी लुमडिंग ले जाया गया है और ५ मृत व्यक्ति मनोपुर रोड स्टेशन पर ले जाये गये हैं ।

पटरी की मरम्मत करने के लिए लगभग २५०० फुट को मोड़ने की जरूरत होगी । पुलिस और असैनिक कर्मचारी उस स्थान पर पहुंच गये हैं और उस स्थान की रक्षा आसाम राइफल्स द्वारा की जा रही है । हम अग्रेतर सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : मुझे कुछ और नहीं कहना ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं सभा के स्थगन का प्रस्ताव रखने की अनुमति मांगता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या किसी को कोई आपत्ति है ?

†**संसद् कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : हमें आपत्ति है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके समर्थन में सदस्य खड़े हो जाएं । उनकी संख्या अपर्याप्त है, अतः अनुमति नहीं दी जाती ।

†**श्री हेम बरुआ** : आपको स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देने की शक्ति है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : इस प्रकार के अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले की अनुमति दी जानी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्थगन प्रस्तावों का निपटारा किया जा चुका है और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाने के बारे में वक्तव्य दिया जा चुका है ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना यह है कि यह ठीक है कि नियमों के अनुकूल स्वीकृति नहीं दी गई, लेकिन चूंकि यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए अगर इस पर विचार हो जाये, तो कोई ऐसी बात नहीं है । थोड़ों की बात भी सुन ली जाये ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तो नियमों का पालन करने वाले हैं । क्या वह चाहते है कि नियमों का उल्लंघन करूं ?

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या ऐसी गाड़ियों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होती हैं और हैं क्या इस गाड़ी में थी ?

†**श्री हेम बरुआ** : रक्षा की पर्याप्त व्यवस्था थी, एक टुकड़ी गाड़ी के अगले भाग में और एक पिछले भाग में । अगली टुकड़ी के सब लोग घायल हो गये और पिछले भाग के लोगों ने तुरन्त लाइट मेशीनगनों और राइफलों से गोली चलाई और कुछ विद्रोही नागाओं के मर जाने या घायल हो जाने का यकीन है । उन्होंने बहुत से नागाओं को गाड़ी के पास आने से रोका ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : उस रेल पर यह पहली घटना नहीं नागा भाग कर जंगलों में छिप जाते हैं, सरकार को इस लाइन की समुचित रक्षा के निमित्त क्या कार्रवाई की है ? क्या वे इस क्षेत्र को नागाओं के हाथों में छोड़ देना चाहते हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : पटरी पर लगातार गश्त होती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि उस जंगल को साफ करने तथा जनता की रक्षा के हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है ?

श्री जवहरलाल नेहरू : गश्त लगाई जाती है । मैं नहीं कह सकता कि वे कितनी बार जाते हैं । गाड़ियों में रक्षा की व्यवस्था होती है । यह स्पष्ट है कि यह व्यवस्था अपर्याप्त है, अन्यथा ऐसी घटना नहीं हो सकती थी । मैं अग्रेतर जांच करूंगा कि गश्त कितनी बार होती है और देखूंगा कि भविष्य में क्या उपाय किये जायेंगे । मैं सब बातें सभा को बताऊंगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार वहां की जनता को न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगी, अथवा आसाम सीमा को अव्यवस्थित छोड़ देगी ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या श्री स्काट को नागालैंड जाने से रोकने का सम्बन्ध नागा विद्रोहियों की गतिविधियों से है ?

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी** : इस मामले में जब प्रश्नों की अनुमति दी जा सकती है तो ध्यान आकर्षित करने के प्रस्ताव की भी अनुमति दी जा सकती है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं समझता कि दोनों बातों में कोई सम्बन्ध है, क्योंकि यह बात पिछली से पहली रात्रि को हुई है ।

†**श्री हेम बरुआ** : श्री मिकाइल स्काट के साथ प्रधान मंत्री का सम्बन्ध होने के कारण श्री फिजो की प्रतिमूर्ति बनाई जा रही है ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंधवी** : श्री स्काट ने कहा है कि प्रधान मंत्री ने शर्तें स्वीकार नहीं कीं । वे क्या है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जब पहले श्री मिकाइल यहां आये थे, वह श्री फिजो का संदेश लाये थे कि वह चाहता है कि नागालैंड में शान्ति कायम हो और वह यहां आ कर मेरे साथ इस मामले में बातचीत करना चाहता है । उस समय भी, यह सुझाव दिया गया था कि श्री मिकाइल स्काट नागालैंड जा कर संभवतः कुछ विद्रोही नागाओं से मिल कर उन को श्री फिजो का सन्देश दें । उस का उत्तर हम ने दिया, कि सब से पहले तो हम नागालैंड के वर्तमान प्रशासन तथा इस की कार्यपालिका परिषद् और इस के सभापति श्री शिलू आओ से परामर्श किये बिना कुछ नहीं कह सकते । वे उत्तरदायी हैं । हमें राज्यपाल आदि से भी परामर्श करना था । परामर्श के फलस्वरूप हम ने श्री स्काट को कहा कि प्रशासन नहीं चाहता कि वह वहां जायें और मैं किसी से भी मुलाकात करने को तैयार हूं, हम तब तक उस बैठक के लिये कोई सुविधा प्रदान नहीं कर सकते जब तक नागालैंड में पूर्ण शान्ति स्थापित न हो जाय । तब श्री स्काट लौट गये ।

कुछ दिन पूर्व, वह पुनः आये और कहा कि श्री फिजो युद्ध विराम के लिए एक प्रकार की उद्घोषणा जारी करने को तैयार हैं और चाहता है कि भारत सरकार की उस तिथि से युद्ध विराम

---

†मूल अंग्रेजी में

की घोषणा जारी करे। मैंने बताया कि दो देशों के बीच जैसे युद्ध विराम होता है, वैसा यहां कोई प्रश्न नहीं है, हम वहां शान्ति व्यवस्था कायम करना तथा विद्रोहियों के हिंसात्मक कामों को रोकना चाहते हैं और वे चाहें तो इसमें सहयोग दे सकते हैं। मुझे यह नहीं बताया गया कि श्री फिजो वैसा करवा सकते हैं। अब फिर श्री स्काट ने वहां जा कर कुछ लोगों से मिल कर उन को यह बताने की इच्छा व्यक्त को कि श्री फिजो अमुक बात चाहते हैं। मैंने उन्हें श्री शिलू आओ से मिलने को कहा, जो दिल्ली में थे और हैं और उन के एक दो सलाहकार भी हैं, और कहा कि वह वहां के प्रशासन के नागा नेताओं की सलाह के अनुसार काम करें।

यह बैठक बड़ी लंबी देर तक हुई। श्री शिलू ने उन को स्पष्ट शब्दों में बताया कि इस मामले में उन का हस्तक्षेप वांछनीय नहीं और वह इस समय उन का वहां जाना ठीक नहीं समझते। हम ने वहां के प्रतिनिधि नागाओं की सलाह पर उन को कहा कि उन का वहां जाना ठीक नहीं है।

श्री बागड़ी : हम ने भी कालिंग एटेंशन नोटिस दिया था लेकिन हम को इजाज़त नहीं मिली है। बार बार खड़े होने पर भी हम को बुलाया नहीं गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं . . .

एक माननीय सदस्य उठे——

अध्यक्ष महोदय : आप का भी था, मैंने आप को बुलाया नहीं——ध्यान आकर्षित करने के पश्चात् और अधिक प्रश्नों की जरूरत नहीं है।

बागड़ी जो कहें, क्या कहना चाहते हैं।

श्री बागड़ी : मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने प्रश्न करने का नोटिस दिया था, कालिंग एटेंशन नोटिस दिया था, उन में से मैं भी एक था। शायद मैंने यह गलती की कि बीच में ही खड़ा हो कर बोला नहीं। मैं खड़ा होता गया और बैठता गया और हमेशा ही इस मौके की तलाश में था कि चूंकि मैं ने कालिंग एटेंशन नोटिस दिया है, इसलिए मुझे मौका मिलेगा। मैं इस वास्ते चुप रहा। अब आप ही बतायें कि कौन सा तरीका है जिस से हमें सवाल करने का मौका मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : कालिंग अटेंशन नोटिस के बाबत मैं ने हाउस में कई दफा पहले भी अर्ज किया है। अगर किसी में २१ आदमियों के नाम हों तो उन सब को मौका देना मुमकिन नहीं है। अगर दो, चार पांच आदमी हों तो मैं उन को बुला लेता हूं और हर एक को एक एक सवाल करने का मौका मिल जाता है। मगर जब गिनती इतनी ज्यादा हो तो सब को बुलाना नामुमकिन हो जाता है। मैं ने चार पांच को बुलाया और कइयों को नहीं बुला सका। और जो बयान तफसील में आ गया उस के बाद में ने जरूरी नहीं समझा कि और सवालों की जरूरत है। अगर मेम्बर साहब इस पर और डिसकशन चाहते हैं तो उनके लिए कई तरीके मौजूद हैं, वह किसी भी शक्ल में डिसकशन की मांग कर सकते हैं। मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। जहां तक में जा सकता हूं, वहां तक जाने के लिए तैयार हूं।

श्री बागड़ी : मेरा निवेदन है कि आप ने इस को बहुत जल्द खत्म कर दिया। दो तीन सवालों के बाद ही आप ने इस को खत्म कर दिया। हम देखते हैं कि बार बार बागी लोग देश में सिर

उठा रहे हैं इसलिए यह महत्वपूर्ण मामला था । इस के बारे में सरकार की कोई निश्चित नीति होनी चाहिये । अगर इस पर थोड़ी और चर्चा चल जाती तो कोई नुक्स नहीं था । कुछ और बातें सामने आ जातीं ।

अध्यक्ष महोदय : इसी वास्ते तो मैं ने अर्ज किया कि जो मेम्बर इस पर और चर्चा चाहते हैं उन के पास और कई तरीके हैं और वे नोटिस दे कर इस पर और आगे चर्चा चला सकते हैं ।

†**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना) : स्वतंत्र दल के किसी भी व्यक्ति को समय नहीं दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने श्री बनर्जी और श्री हेम बरुआ को अनुमति इसलिए दी थी कि उन्होंने स्थगन प्रस्ताव रखे थे । किसी दल के नाते नहीं । डा० सिंघवी को भी अनुमति दे दी गई ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना सुन लें । आप ने कहा कि दूसरे प्रकार से इस पर बहस के लिए नोटिस दे सकते हैं । इस के लिए आप को बार बार धन्यवाद । लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इसी प्रकार से चीन के लिए जब कहा जाता था तो लीपापोती कर दी जाती थी, यही अब किया जा रहा है । यह केवल नागालैंड का सवाल नहीं है और न केवल नागाओं का सवाल है इस में विदेशी ताकतों का हाथ है । इस मामले को सामने आना चाहिए था । हम भी यहां पर देश की भलाई के लिए आये हुए हैं . . .

†**श्री त्यागी :** आप ने श्री चाऊ एन लाई के वक्तव्य के बारे में भी मेरा ध्यान दिलाया सूचना स्वीकार करने की कृपा की है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उस का फैसला पृथक से किया जायेगा । उन को बाद में बताया जायेगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

मन्त्रियों द्वारा दिये आश्वासनों वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर की गयी कार्यवाहियों के विवरण

†**संसद् कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) :** मैं विभिन्न सत्रों में, जो प्रत्येक के सामने बनाये गये हैं, मन्त्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाला निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) विवरण संख्या १ . चौथा सत्र, १९६३ (तीसरी लोक-सभा)
(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ४ . दूसरा सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ६ . दूसरा सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)
(चार) अनुपूरक विवरण संख्या ९ . पहला सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)
(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या ७ . सोलहवां सत्र, १९६२ (दूसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए क्रमशः संख्या एल टी० ११०३/६३, एल० टी० ११०४/६३, एल ० टी० ११०५/६३ एल० टी० ११०६/६३ और ११०७/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमा शुल्क अधिनियम केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैं सीमा शुल्क अधिनियम १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिशूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक ३० मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ५३० ।
(दो) दिनांक ३० मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ५३१ ।
(तीन) दिनांक ६ अप्रैल, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ५९८ ।

सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्मादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत, दिनांक ३० मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५३२ की एक प्रति, जिसमें दिनांक १९ जनवरी, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १०१ का शुद्धि पत्र दिया हुआ है ।

सीमा शुल्क अधिनियम १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३० मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ५३३ ।
(ख) दिनांक २८ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ५६९ ।
(ग) दिनांक २९ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ५७० ।
(घ) दिनांक ३० मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ८९१ ।
(ङ) दिनांक ६ अप्रैल, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ५९९ ।
(च) दिनांक ६ अप्रैल, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ६०० ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए क्रमशः संख्या एल० टी० ११०८/६३ एल० टी० ११०९ और एल० टी० १११०/६३]

समिति के लिये निर्वाचन

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

स्वास्थ्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० द० स० राजू) : मैं डा० सुशीला नायर की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ४ (छ) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के सदस्य के रूप में काम करने के लिये श्री उ० ना० ढेवर के स्थान पर, जिन्होंने लोक-सभा से त्याग-पत्र दे दिया है, अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि : —

"कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था संस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ४ (छ) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के सदस्य के रूप में काम करने के लिये श्री उ० ना० ढेवर के स्थान पर, जिन्होंने लोक-सभा से त्याग-पत्र दे दिया है, अपने में से एक सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुदानों की मांगें

खान और ईंधन मन्त्रालय

वर्ष १९६३–६४ के लिये खान और ईंधन मन्त्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७८	खान और ईंधन मन्त्रालय	२२,७८,०००
७९	भूतत्वीय सर्वेक्षण	३,८०,८०,०००
८०	खान और ईंधन मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	११,२२,४५,०००
१३६	खान और ईंधन मन्त्रालय का पूंजी परिव्यय . .	४८,०६,८२,०००

†**डा० रानेन सेन** (कलकत्ता—पूर्व) : हम आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। भारत की औद्योगिक प्रगति का आधार खानें और ईंधन है। राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था बहुत कुछ इस पर निर्भर है, अत: मैं इस बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

सबसे प्रथम मेरा कहना यह है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव से देश भर में बहुत बड़ी आशाओं का निर्माण हुआ था। मन्त्रालय के कारनामों को सारा देश उत्सुकता से देखता रहा। अब विदेशी तेल एकाधिकारियों ने मामले समिति के कृत्यों को निरर्थक बनाने का प्रयत्न किया है और निरन्तर कर रहे हैं। उनकी इच्छा यह है कि औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प में निहित नीति में परिवर्तन करवाया जाये। परन्तु मन्त्रालय में इन लोगों के कामों को प्रोत्साहन नहीं दिया।

कोयले की नीति प्रस्ताव में अनुसूची 'क' में ही रखा गया था। इसके बारे में नीति यह रही है है कि सभी नये उपक्रमों को सरकारी क्षेत्र में रखा जाये। परन्तु पता नहीं ऐसा क्यों है, सरकार द्वारा उस नीति का पालन करने में कुछ संकोच होता हुआ दिखाई देता है। प्राक्कलन समिति ने अपने १९६२–६३ के प्रतिवेदन में भी राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के बारे में उल्लेख किया गया है। मैं

†मूल अंग्रेजी में

[डा० रानेन सेन]

यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि कोचीन में एक शोधनशाला स्थापित करने के लिए एक अमरीकी कम्पनी के साथ जो कथित करार किया गया है वह देश के लिए बहुत हानिकारक है। यदि ऐसा किया गया तो इस पर एकाधिकारियों का नियन्त्रण हो जायेगा। परन्तु सरकार नीति में कुछ परिवर्तन करे, इस बात की कोई आशा नहीं है। कारण यह कि निहित स्वार्थों का सरकार पर काफी प्रभाव है। निहित स्वार्थ अभी तक काफी शक्तिशाली प्रतीत होते हैं।

कहा गया है कि आपात के कारण हमें कुछ उदार होना ही पड़ता है। परन्तु मेरा कहना है कि हमें वह सिद्धान्त और वह नीति कभी नहीं छोड़नी चाहिए जिस पर देश के औद्योगीकरण का भविष्य आधारित है। क्या संकट के समय में भी हमने अपनी तटस्थता की विदेश नीति त्यागी है। खान तथा ईंधन मन्त्री ने भारतीय खनन संघ की स्वर्ण जयन्ती पर जो वक्तव्य दिया और कहा कि अधिक कोयले की प्राथमिक आवश्यकता के सामने अन्य बातों को गौण समझना चाहिए। इससे इस प्रकार की आशंका प्रकट की गयी कि गैर सरकारी क्षेत्र, सरकार की आधारभूत नीति में परिवर्तन करने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग कर रहा है। सरकार कोयले के मूल्य में धीरे धीरे वृद्धि करने की अनुमति दे रही है, इससे भी यह अनुमान लगता है कि सरकार कोयले के मालिकों को प्रसन्न करने का यत्न कर रही है। यदि इस तरह चलता रहा तो देश की अर्थ-व्यवस्था पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के बारे में मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि प्राक्कलन समिति ने अपने १९६२–६३ के प्रतिवेदन में कहा है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की जो भी क्षमता है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरी योजना और १९६१–६२ में जो भी कोयला उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किये थे, उन्हें प्राप्त नहीं किया गया। उसे प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोयला खानों में सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाय और जो भी कर्मचारी मजदूर वहां काम कर रहे हैं उनके साथ उचित व्यवहार किया जाय। सरकार को यह स्पष्ट निर्धारित करना होगा कि सभी श्रमिक कानून लागू किये जायेंगे। मेरा यह भी अनुरोध है कि ठेका पद्धति समाप्त कर दी जानी चाहिये।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। आयोग की ओर से तेल की खोज के काम को बढ़ाये जाने का निर्णय बहुत ही अच्छा है, मैं इसका स्वागत करता हूं। हम आशा कर सकते हैं कि तेल के मामले में हम शीघ्र ही आत्मनिर्भर हो जायेंगे। मेरा यह भी निवेदन है कि अधिक अच्छे समन्वय की दृष्टि से, इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड, आयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन आयल कम्पनी जैसे विभिन्न संगठनों को मिला देना चाहिए। इसके परिणाम अच्छे रहेंगे। हमारे अपने स्वतन्त्र तेल के कुंए, शोधन शालायें और अपनी वितरण व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा यह भी सुझाव है कि तीन विदेशी शोधन-शालाओं का शीघ्रातिशीघ्र राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से हम तेल के मामले में पूर्ण रूप से आत्म निर्भर हो जायेंगे। इससे देश की अर्थ-व्यवस्था भी मजबूत होगी और राजनीतिक तौर पर भी हम स्वतन्त्र रह सकेंगे। क्योंकि आज संसार की राजनीति में तेल का प्रभाव है श्रीलंका सरकार ने भी चीन के तेल एकाधिकारियों को समाप्त किया है।

†**श्री प्रो० के० देव** (कालाहांडी) : प्रत्येक राष्ट्र की जीवन शक्ति कोयला और तेल होता है और इस मंत्रालय का सम्बन्ध इन्हीं मदों से है। राष्ट्र के आर्थिक विकास की दिशा में इस

†मूल अंग्रेजी में

मंत्रालय से बहुत आशायें हैं। मेरा निवेदन है कि सरकारी क्षेत्रों में मंत्रालय के नियंत्रण में दो उपक्रम चल रहे हैं। एक इंडियन आयल कम्पनी और दूसरा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम। परन्तु इन उपक्रमों का कार्य कोई शानदार नहीं रहा है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में ३० करोड़ रुपये की पूंजी लगायी गयी है। इंडियन आयल कम्पनी में तीन करोड़ रुपये का विनियोजन है। परन्तु दोनों में क्रमशः १६ लाख रुपये और १४ लाख रुपये का गत वर्ष घाटा हुआ है।

इन्डियन आयल कम्पनी और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का कार्य, उनकी अंश पूंजी के बढ़ाये जाने के बावजूद भी निराशाजनक रहा है। इस बात का पता लगाने के लिये कि ये दोनों उपक्रम घाटे में क्यों चल रहे हैं इनकी सावधानी से जांच करवायी जाये। इस बात के बावजूद भी कि सरकारी क्षेत्र में चार शोधनशालायें स्थापित करने का विचार था जिनमें लगभग ५५ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा लगाई जायेगी, इसकी कोई आशा नहीं है कि हम तीसरी योजना का तेल का उत्पादन लक्ष्य पूरा कर लेंगे।

शोधनशालाओं के निर्माण में लगे हुए मजदूरों की हालत सुधारनी चाहिये, ठेके की मजदूर प्रणाली को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये। गोहाटी से सिलीगुड़ी और दूसरे बरौनी से दिल्ली और कलकत्ता के उपभोक्ता के केन्द्रों तक पाइपलाइनें बिछाने का काम सन्तोषजनक नहीं हो रहा है। पैट्रोलियम की चीजों पर अधिक कर नहीं लगाये जाने चाहियें जैसा कि वित्त विधेयक में प्रस्ताव किया गया है।

एक गैर-सरकारी फर्म और रूस के बीच एक समझौते के प्रश्न को, जिसके बारे में मंत्रालय के प्राक्कलन समिति को पूरी जानकारी नहीं दी, या तो इस काम के लिये एक छोटी सी समिति बना कर उसे सौंप दिया जाये या प्राक्कलन समिति को फिर से सौंप दिया जाये।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और सिंगारेनी कोयला-खानों का काम निराशाजनक रहा है। कोयले का उत्पादन लक्ष्य से बहुत कम हुआ है। कोयले की ढुलाई में पूर्ववत कठिनाई विद्यमान है। रेलवे कोयले की ढुलाई के लिये पर्याप्त माल डिब्बे नहीं दे सकी है। सरकार को प्राक्कलन समिति की इस सिफारिश पर विचार करना चाहिये कि कोयला पर बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाया जाये जो विभिन्न राज्यों में बांट दी जाये।

कोयले के मूल्य में बार बार परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये। प्रति व्यक्ति की पाली में कोयले का उत्पादन बहुत कम है। इसे बढ़ाना चाहिये। इस सम्बन्ध में ब्रिटेन के राष्ट्रीय कोयला बोर्ड के सदस्य की सिफारिशों को जो हाल ही में भारत आया था, लागू किया जाये।

खनन नियमों की कार्यान्विति में सुधार किया जाये। वर्तमान परिस्थितियों में उनको इस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है जिससे भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। खान और ईंधन मंत्री द्वारा कलकत्ता की फर्म से चुनाव के लिये धन लिये जाने के बारे में उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

खान और इंधन मन्त्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७९	१	डा० रानेन सेन	भूतत्वीय सर्वेक्षण	१०० रुपये
१३६	३	डा० रानेम सेन	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम इंडियन आयल कम्पनी	१०० रुपये
७८	४	श्री शिव मूर्त्ति स्वामी	तेल शोधनशाला	१०० रुपये
१३६	६	श्री शिव मूर्त्ति स्वामी	खनिज उद्योग की स्थापना में असफलता	१०० रुपये

†**अध्यक्ष महोदय :** ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** (भागलपुर) : मंत्रालय ने जो शानदार काम किया है उसके लिये मैं उसे मुबारकबाद देता हूं । मंत्रालय के अलोचक सदन में अथवा सदन के बाहर चाहे यह कहते रहें कि कोई काम नहीं हुआ है परन्तु वास्तविकता इसके विपरीत है । गत ६ वर्षों में ही तेल के मामले में जो प्रगति हमने की है वह काफी सन्तोषजनक है । विश्व में तेल रखने वाले देशों की पंक्ति में भारत का भी स्थान बन गया है । इसके अतिरिक्त कोयले तथा अन्य खनिजों के बारे में भी मंत्रालय का कार्य प्रशंसनीय है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

यह तो हम जानते ही हैं कि जब तेल उद्योग का आरम्भ हुआ था तो तभी से ही इस उद्योग में एकाधिपत्य का बोलबाला रहा है । हमें मंत्रालय की सफलताओं का अनुमान लगाते हुए इस पृष्ठभूमि को हमें हमेशा अपने सामने रखना चाहिये । हमारे समाजवादी मित्र हमेशा सरकारी उपक्रमों में जोश निकालते रहते हैं । हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य सब दृष्टियों से पूर्ण नहीं है । परन्तु सरकारी क्षेत्र की बुराई करते समय हमें अपना दृष्टिकोण सन्तुलित रखना चाहिये । गैर सरकारी क्षेत्र की बुराइयां भी उपेक्षा की दृष्टि से देखने योग्य नहीं हैं । उनके सामने तो हमेशा उचित अथवा अनुचित ढंग से नफा कमाने का ही लक्ष्य रहा है । मैं यह भी सत्य समझता हूं कि पदासीन दल सरकारी क्षेत्र के तेल समवायों को बचाने की कोशिश कर रहा है ।

हिन्दुस्तान आर्गनाईजर्स को कोई अनुचित लाभ कमाने नहीं दिया गया । यह आरोप लगाना गलत है कि नूनमाटी तेल शोधक कारखाने में ढीला काम हो रहा है । इस बात को ध्यान में रखते हुए शोधनशाला की स्थापना के समय से और इसके पूरी क्षमता तक पहुंचने में समय लगता है, नूनमाटी शोधनशाला का रिकार्ड गैर सरकारी क्षेत्र की किसी भी अन्य शोधनशाला के मुकाबले अच्छा है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : औचित्य प्रश्न के हेतु, श्रीमन्। माननीय सदस्य ने कहा है कि श्री बरुआ ने इस सभा में सरकारी क्षेत्र के बारे में सदा ही छिद्रान्वेषण किया है। यह गलत है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। मैं यह बत ना चाहता हूं कि नियमानुसार ऐसे वक्तव्य जो तथ्य पर आधारित नहीं हैं, वापिस लिये जाने चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। वह उस तर्क का खंडन कर सकते हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : समाजवादी दल के सदस्य हमेशा यह सोचते हैं कि कांग्रेस सरकारी क्षेत्र को संरक्षण दे रही है। यह गलत है। हम चाहते हैं कि उन्हीं नियमों के अधीन सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों की छानबीन की जानी चाहिये।

मेरे माननीय मित्र ने जो निर्देलीय सदस्य हैं और जो प्राक्कलन समिति के सदस्य भी हैं, हिन्दुस्तान आर्गनाइजर्स के बारे में कहा है कि उसे अनुचित लाभ दिया गया है। इसका उत्तर माननीय मंत्री देंगे यद्यपि मैं जानता हूं कि गलत है। यह भी कहा गया है कि नूनमाटी इस मंत्रालय का बीमार बच्चा है। मैं समझता हूं कि यह जानकारी पूर्णतः अज्ञान पर आधारित है। यह ठीक है कि वह पूरे परे उत्पादन की दशा में नहीं पहुंचा है। मैं गैर सरकारी क्षेत्र के शोधक कारखानों के साथ इसकी तुलना करना चाहता हूं। उदाहरण के लिए एस्सो द्वारा बम्बई में स्थापित किया गया शोधक कारखाना, बर्मा सेल और कैलटेक्स के कारखाने जिनके पास सर्वोत्कृष्ट जानकारी, कार्य प्रणाली और ब्रिटेन तथा हालैन्ड में प्राप्त सर्वोत्कृष्ट अनुभव था, ८ महीने से पहले पूरा-पूरा उत्पादन आरम्भ नहीं कर सके। इसलिए सरकारी क्षेत्र में स्थापित नूनमाटी कारखाने में, जिसे डिजाइन का कोई अनुभव नहीं था, यदि पूरा-पूरा उत्पादन आरम्भ नहीं हो सका तो उसमें कोई गलती नहीं थी। यदि उस कारखाने ने पिछले एक साल में जो काम किया है वह प्रशंसनीय है और हम मंत्रालय को बधाई देते हैं कि समय-समय पर उसके बंद पड़ जाने के बावजूद वह चौथा संयंत्र स्थापित कर सका है।

अब मैं कोयले के बारे में थोड़ा सा कहूंगा। यह कहा गया है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा है। हम जानते हैं कि लक्ष्य ९४.५ लाख टन था और वह ८५.८ लाख टन कोयला निकाल रहा है। इसका मतलब यह है कि ८.७ लाख टन की कमी है। यह १० महीने का उत्पादन है और आशा है कि दो महीने में वह कमी पूरी कर दी जायेगी। यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ३ करोड़ २० लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले में केवल २०० लाख टन ही उत्पादन कर सकेगा। मुझे बताया गया है कि निगम अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर रहा है। परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों और करनपुरा जैसे जगहों पर खानों के बाहर पड़े हुए स्टाक के कारण वह पूरा उत्पादन नहीं कर सकता। इसलिए हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि निगम की कार्यकुशलता को सीमित करने वाली परिस्थितियों को कहां तक ठीक किया गया है। मुझे आशा है कि कोयले के सम्बन्ध में भी, परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। हमें सन्तोष है कि कोयला धुलाई कारखानों के मामले में भी प्रगति हो रही है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि इस मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है।

श्री रामेश्वर टांटिया (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कोल माइंज का सम्बन्ध है, कोयले की खानों का सम्बन्ध है, जो काम हमारी इस मिनिस्ट्री ने किया है, उसके लिए मैं इसको धन्यवाद दे सकता हूं। इसके प्रयत्नों से हर जगह खानों की उन्नति हुई है। इन खानों के सामने एक फारेन एक्सचेंज की समस्या थी। उनकी जो मशीनें थीं वे पुरानी होती जा रही थीं। सरकार ने पौने सत्रह करोड़ रुपये की फारेन एक्सचेंज का बन्दोबस्त फारेन बैंक्स से कर दिया। उसमें से पन्द्रह करोड़ रुपये के करीब मशीनों के लाइसेंस भी दे दिये गये हैं। उसके साथ ही साथ यहां भी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामेश्वर टांटिया]

जो रुपया चाहिये था उसका भी सरकार ने बन्दोबस्त किया और इन्टरनेशनल रिफाइनेंस कारपोरेशन को एजेंट बना कर यहां की कोल माइंज़ के लिए लौंज़ का बन्दोबस्त हुआ। ८ मार्च, १९६३ को वह एग्रीमेंट भी हो गया है। सरकार एक कदम और आग बढ़ कर कहती है कि इस काम में अगर कारपोरेशन को नुकसान होता है तो उसमें भी सरकार एक तिहाई हिस्सा देगी। कोई भी माननीय सदस्य कोयले के बारे में चाहे जो शिकायत करे, लेकिन मेरी ऐसी धारणा है और मेरी छोटी मोटी कोयले की खानें भी हैं और वहां पर मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर मैं कह भी सकता हूं कि जहां तक प्राइवेट सैक्टर का ताल्लुक है, सरकार ने उसकी काफी बड़ी मदद की है।

आज से दो तीन बरस पहले हमारे देश में कोयले की एक बहुत बड़ी समस्या थी। हमारे कारखाने बिजली के कारखाने कुछ दिनों के लिए बन्द हो गये थे और दूसरे कारखाने भी बन्द हो रहे थे कभी कभी, परन्तु दो बरस में मैं कह सकता हूं कि कोयले का प्राडक्शन बढ़ा है और कोयले की जो समस्या थी वह काफी हद तक हल हो गई है। अलबत्ता कहीं कहीं पर ट्रांसपोर्ट की कमी के कारण यह समस्या अनुभव हो सकती है परन्तु फिर भी जो माइंज़ एंड फ्यूल मिनिस्ट्री है, वह इस तरफ सचेष्ट है और मैं आशा करता हूं कि अब यह समस्या फिर नहीं उठेगी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो कोयले का टारगेट था, वह एक तरह से पूरा हो गया था। यह जरूर हुआ कि प्राइवेट सैक्टर ने टारगेट से ज्यादा कोयला पैदा किया जब कि पब्लिक सैक्टर अपने टारगेट को पूरा नहीं कर सका। तीसरी योजना में हमने ९७ मिलियन टन कोयला निकालने का लक्ष्य अपना सामने रखा है। मुझे लगता है कि इस टारगेट को हम पूरा नहीं कर सकेंगे। इसका कारण यह है कि अभी तक ६२ मिलियन टन कोयला ही हम निकाल पा रहे हैं और ३५ मिलियन टन कोयला ज्यादा निकालने के लिए हमारे पास जितने साधन होने चाहियें, जितनी मशीनें होनी चाहियें, वे हैं, इसमें मुझे शक है। खास करके पब्लिक सैक्टर में हम देखते हैं कि वे साधन नहीं हैं।

एक बात मैं जरूर कहूंगा। सरकार आज जिस तरह से इस तरफ सचेष्ट है, उसी तरह से आगे भी रहे और इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करती रहे। उसके लिए यह भी जरूरी है कि कोयले की खानों में डिप्रिसिएशन का जो हिसाब है, जैसे दूसरी इंडस्ट्रीज़ में जहां पर दो पारी अगर मशीनें चलती हैं तो उन पर डिप्रिसिएशन ज्यादा मिलता है, वह बदले और कोयले की खानों में भी उस हिसाब से डिप्रिसिएशन ज्यादा मिले। अगर कोयले की खानें दो पारी चलती हैं तो उनका डिप्रिसिएशन का हिसाब भी उसी तरीके से हो।

दूसरी बात यह है कि कोयले की खानें या जो भी खानें होती हैं, आप जानते ही हैं कि उनमें चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और वह एक तरह से वाशिंग इंडस्ट्री होती है। इसके लिए डिप्रिसिएशन के सिवा ऐसी भी उनको सहायता मिलनी चाहिये, ऐसी भी मदद मिलनी चाहिये कि जो कोयला निकल जाए और जितना कोयला निकल जाए, उस मद में उनको कुछ इनकम टैक्स में रिबेट मिले। अगर ऐसा किया जाता है तो कोयला खानों की आज जो कुछ समस्यायें हैं, वे बहुत हद तक मिट जायेंगी, उनका बहुत हद तक समाधान हो जाएगा।

जहां तक कोयले के ट्रांसपोर्ट का सम्बन्ध है, सरकार ने शायद कोयला बम्बई, कलकत्ता इत्यादि से जाने के लिए दो लाख टन के जहाज़ों का बन्दोबस्त कर रखा था और इसको देखते हुए कुछ जहाज़ी कम्पनियों ने नये जहाज़ों के आर्डर भी दे दिये थे। अब कुछ ऐसा सुना जाता है कि जहाजों से कोयला ले जाने में सरकार को जो सबसिडी देनी पड़ती थी, वह न देनी पड़े इसलिए कम कोयला जहाजों से

ले जाया जाए और रेल या रोड से ही कोयला ले जाया जाए। अगर यह बात सही हैं तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इससे नुकसान ही आगे चल कर हो सकता है। मैं चाहता हूं कि सबसिडी को चालू रख कर दोनों तरह से कोयले का ट्रांसपोर्ट हो। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कोई ऐसा वक्त भी आ सकता है कि रोड और रेलवे जितना कोयला हम भेजना चाहते हैं, उतना कोयला न ले जा सकें और कुछ स्थानों में कोयला की कमी वाका हो जाए।

हमारे विभूति मिश्र जी कहते थे कि बम्बई में कोयला कम भाव में मिलता है परन्तु बिहार के चम्पारन और बेटिया जिलों में कोयला महंगा मिलता है क्योंकि वहां कोयला लारी से जाता है। उनका कहना था कि वहां जो छोटे छोटे कोयला खर्च करने वाले लोग हैं, ईंट के भट्टे वाले लोग हैं, उनको कोयला महंगा पड़ता है। सरकार को उस तरफ भी सोचना चाहिये। जहां कोयला अधिक महंगा पड़ता है वहां उसके यातायात की सुविधा दी जाए।

तेल के बारे में माननीय सदस्यों ने काफी कुछ कहा है। चूंकि इसके बारे में मुझे कोई खास अनुभव नहीं है, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। कोयले के बारे में मैं फिर कहूंगा कि सरकार ने कोयला खानों के बारे में, खास करके निजी कोयले की खानों के बारे में अपनी तरफ से इन दो बरसों में अपने एटीट्यूड में जो एक बड़ा परिवर्तन किया है और मदद की है, अगर उसी तरह से आगे भी वह सचेष्ट रही तो कोयले की समस्या हमारे देश में नहीं रह पाएगी।

कोयला आम तौर पर बिहार या नागपुर में होता है। दुर्भाग्य से राजस्थान में न तो कोयला होता है और न ही कोई और चीज़। वहां तांबे की एक खान ज़रूर निकली है खेतरी में। परन्तु उसके बारे में कुछ नहीं हुआ है। यहां पर पार्लियामेंट में और अखबारों में भी उसकी काफी चर्चा हुई है, परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। जहां पर कोयला नहीं होता है वहां जो कुछ भी हो, ताम्बा हो या कोई दूसरी चीज़ हो, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिये। ताम्बे की आज दुनियां को बहुत ज़रूरत है। हिन्दुस्तान में ताम्बा बहुत कम होता है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार पूरी चेष्टा करके उस ताम्बे की खान को चालू करे और उस में से ताम्बा निकाले ताकि वहां पर लोगों को काम मिल सके। वह पिछड़ा हुआ प्रदेश है। वहां कोई उद्योग धंधे नहीं हैं। खेती बाड़ी भी ज्यादा नहीं होती है। वर्ष में एक ही फसल होती है। वहां के लोगों को काम धंधे मिल सकें, इसका आपको विशेष प्रयत्न करना होगा।

हमारे अपोज़ीशन के माननीय सदस्यों ने कोयले के बारे में जो क्रिटिसिज्म किया है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। यद्यपि एन० सी० डी० सी० के काम में कुछ त्रुटियां रही हैं, नफा भी कम हुआ है, परन्तु आपको यह भी देखना चाहिये कि सरकार के काम करने के अपने तरीके होते हैं। अगर कोई खान ऐसी है जिसमें अगर काम किया जाता है तो नुकसान होता है और लोग चाहते हैं कि उस में काम न हो तो भी सरकार को देशहित में उस खान में काम करना पड़ता है क्योंकि अगर ऐसा न किया जाए तो कोयला वेस्ट चला जाता है। देश का इसलिए हमेशा ही नफा और नुकसान नहीं देखा जाता है। इसलिए इसको इस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिये कि एन० सी० डी० सी० को नफा हुआ है या नुकसान हुआ है। हां यह जरूर है कि उन्होंने उत्पादन का जो एक कार्यक्रम बनाया है, उसको जरूर वे पूरा करें।

श्री यु० सिं० चौधरी (महेन्द्रगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय गत वर्ष जो नए मंत्रालय की स्थापना हुई थी उस का सभी ने स्वागत किया था। जिन का इस नए मंत्रालय से सम्बंध है वे कह सकते हैं कि किसी भी देश की सारी प्रगति और उस की उन्नति का आधार तेल और कोयला होता है। जिन वस्तुओं का इस मंत्रालय से सम्बंध है, उनका उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हो और उन के मामले में देश अपने ऊपर निर्भर करे, ऐसा प्रयत्न होना चाहिये।

[श्री यु०सि० चौधरी]

इतनी बड़ी समस्याओं पर गौर करते हुए, इन पर ध्यान देते हुए इस मंत्रालय के निर्माण का स्वागत हुआ था। जहां तक तेल का सम्बंध है, गत वर्ष जो कार्य उसने किया है, उसकी अधिक आलोचना नहीं की जा सकती है। किन्तु जहां तक कोयले का प्रश्न है, उस के सम्बंध में जो इस का कार्यकलाप रहा है गत वर्ष, उससे काफी हद तक निराशा हुई है। कोयला चाहे फैक्टरीज में सप्लाई किया जाए, या घरों में काम आने वाला साफ्ट कोक हो या और भी किसी प्रकार का हो जिस का मुझे पता नहीं है, उस के बारे में गत वर्ष प्रायः सभी प्रान्तों से शिकायतें आती रही हैं। जब इस के लिए एक अलग से मंत्रालय की स्थापना कर दी गई थी, तो इस के ऊपर उस का विशेष उत्तरदायित्व आ गया था। इस कोयले की कमी के कारण कितने ही उद्योग धंधे बन्द हो गए, बहुत से कामों के अन्दर बाधा पड़ी और जब भी प्रान्तीय सरकारों से इस के बारे में निवेदन किया गया, उन से पूछा गया तो उन की तरफ से एक ही जबाब दिया गया कि या तो ट्रांस्पोर्ट का इंतजाम नहीं है, ऐसे साधन नहीं हैं जिन से कोयला यहां आ सके या फिर कोयला उपलब्ध नहीं है।

जहां तक इन लम्बी चौड़ी दलीलों का सवाल है, जो मुझे से पहले बोलने वाले धुंआधार वक्ताओं ने दी, कि यह प्राइवेट सेक्टर में है कि पब्लिक सेकटर में है, इस को तो हम नहीं समझ सकते। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि कोयला आम आदमियों को और छोटे कारखानों को अवश्य उपलब्ध नहीं है। चाहे इसके लिए जिम्मेदार पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो,। जब कोई आदमी कोल डिपो पर जाता है और उसको वह पन्द्रह पन्द्रह दिन तक खाली मिलता है, तो वह तो केवल यह समझता है कि कोयला नहीं है, वह इस गहन चक्कर में नहीं पड़ता कि यह प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर में है, या इस को अमरीका की सहायता मिलती है या रूस की सहायता मिलती है।

कुछ मंत्रियों के वक्तव्य से सिद्ध होता है कि वस्तुतः देश में कोयले की कमी नहीं है। अगर कमी है तो कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने की व्यवस्था की। यह चीज लगा तार तचार साल से कही जा रही है कि रेल मार्ग से कोयले की ढुलाई बहुत धीमी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस का क्या कारण है। पहले इस बारे में कहा गया कि रेल के डिब्बे उचित रूप में उपलब्ध नहीं होते। यह बात समझ में नहीं आयी। यह बात समझ में आने वाली नहीं है कि रेल के डिब्बों की इतनी बड़ी कमी हो गयी है कि जिस की वजह से इतनी कमी महसूस की जा रही है। यह तो समझ में आ सकता है कि अगर किसी पार्टी को पहले जितना कोयला मिलता था उस का दस या १५ प्रतिशत कम मिले लेकिन यह समझ में नहीं आता कि रेल के डब्बों की कमी के कारण उसके कोटे में ५० और ६० फीसदी की कमी हो जाए। न मालूम इस मंत्रालय का रेलवे मंत्रालय से कोआपरेशन नहीं है, या वे इन की बातों को नहीं मानते या इन का आपस में विरोध है कि जितने डब्बे यह मंत्रालय मांगता है उतने रेलवे मंत्रालय नहीं देता। पंजाब के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि दो दो तीन तीन महीने तक कोयले के डिपो खाली पड़े रहते हैं। यही शिकायत दिल्ली के बारे में भी पहले थी। सरकार को सोचना चाहिए कि क्या इस कठिनाई को दूर करने का कोई तरीका नहीं निकल सकता। अगर वास्तव में रेल के डब्बों की कमी है तो मंत्रालय आपस में विचार विमर्श करें कि किस प्रकार इस समस्या को हल किया जा सकता है और उसके लिये क्या कदम उठाने चाहिएं। अगर रेल के डिब्बों की कमी है तो दूसरे साधनों द्वारा कोयला ढोया जा सकता है। जिन इलाकों में नहरें या नदियां हैं वहां उन के द्वारा कोयला पहुंचाया जा सकता है, जो स्थान समुद्र के किनारे के पास हैं वहां समुद्र के द्वारा जहाजों से कोयला पहुंचाने का प्रयत्न किया जा सकता है और ट्रकों के द्वारा भी कोयला पहुंचाया जा सकता है। इस बारे में इसी

मंत्रालय पर बोलते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि जहां कोयले की खदानें हैं उनके आठ आठ दस दस मील तक की सड़कें टूटी फूटी हैं और उन पर जाने के लिए ट्रक वाले दुगना किराया मांगते हैं। जहां तक ग्रांड ट्रंक रोड है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जहां उससे नीचे उतर कर आगे जाना पड़ता है, उस एरिया में सड़कें बहुत खराब हैं। मेरा सुझाव है कि इन सड़कों को अच्छा बनाया जाए ताकि उन के द्वारा कोयला लाया जा सके और उस के लिए ट्रक वाले यह न कह सकें कि उस एरिया में सड़कें टूटी हैं इसलिए हम दुगना किराया लेंगे।

इस कोयले की कमी का सीधा प्रभाव हमारे पंजाब के भट्टे उद्योग पर पड़ा है और कोयले की कमी के कारण अनेक भट्टे बन्द हो गए हैं। हम मकान बनाने के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन ईंटें पकाने के लिए कोयला नहीं मिलता। मेरा ख्याल है कि पंजाब में ३० से लेकर ५० फीं सदी तक भट्टे कोयले की कमी के कारण दो सालों के अन्दर बन्द हो गए हैं। जब उन की तरफ से कहा जाता है तो उन से कह दिया जाता है कि ट्रांसपोर्ट की कमी है इसलिए कोयला नहीं आ सकता। मैं समझता हूं कि इस कमी को ज्यादा भयंकर रूप दिया जा रहा है। इस कमी को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए।

एक तरफ कहा जाता है कि लाखों टन कोयला खदानों पर इकटठा हो जाता है उस को ट्रांस्पोर्ट नहीं मिलता, नया कोयला चला जाता है और पुराना पिट हैड में जाने लगता है। दूसरी तरफ लोगों को कोयला नहीं मिलता जिस के कारण उनके उद्योग बन्द हो जाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रख कर सरकार को ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि लोगों को आसानी से कोयला मिल सके।

इस चर्चा के सिलसिले में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। पिछली बार भी इस मंत्रालय की बहस के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि बिहार और बंगाल में कुछ छोटी छोटी खदानें हैं जिनके मालिकों क पास काफी साधन नहीं हैं कि वे उनकी अच्छी व्यवस्था कर सकें और इस कारण वे उसी अवस्था में पड़ी हैं जैसी कि १५-२० साल पहले थीं। उन के मालिकों के पास साधन नहीं हैं कि वे वैज्ञानिक तरीके से कोयला निकाल सकें और उस को बाहर भेज सकें। ऐसी कुछ खदानों के बारे में आपने कुछ कदम उठाए भी हैं। मेरा सजेशन है कि या तो इन को बड़ी खदानों के साथ मिला लिया जाए या इन की सोसाइटीज़ बना दी जाएं और उन में दस दस बीस बीस खदान मालिक मिल कर अपनी खदानों का प्रबंध उन सोसाइटीज़ के द्वारा करें। इस प्रकार उन खदानों का काम नए तरीकों से हो सकेगा और सरकार को भी उनकी सहायता देने में कोई डर नहीं रहेगा कि रुपया मारा जाएगा। तो इस पर विचार किया जाए यह मेरा निवेदन है।

अन्त में मैं तेल के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कि कितना तेल प्राइवेट सेक्टर में है और कितना पब्लिक सेक्टर में है। लेकिन जब पिछले संकट के समय तेल की कठिनाई पड़ी थी उस समय इस मंत्रालय ने अच्छी व्यवस्था कर दी थी, चाहे वह तेल प्राइवेट कम्पनियों का हो या पब्लिक कम्पनियों का, लेकिन वह काम इसी मंत्रालय की देखरेख में हुआ और अच्छा हुआ।

लेकिन एक बात की ओर मैं इस मंत्रालय का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं। इंडियन आइल कम्पनी के तेल के बारे में, जिस का सीधा सम्बंध इस मंत्रालय से है, लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि उस का तेल बाहर की जो तेल कम्पनियां हैं उनके तेल से खराब है। लोगों की इस धारणा का कारण यह हो सकता है कि ये कम्पनियां काफी पहले से काम कर रही हैं और वे काफी पब्लिसिटी करती रहती हैं। पैट्रोल को इस्तेमाल करने वाले ड्राइवरों आदि के मन में यह बात बैठी हुई है कि बाहर की कम्पनियों का तेल ज्यादा अच्छा है। अगर आप किसी टैक्सी में बैठें और ड्राइवर से तेल के बारे में कहें कि वह इंडियन आइल कम्पनी का तेल क्यों नहीं इस्तेमाल करता, तो वह कहेगा कि उस का तेल अच्छा नहीं होता। तो लोगों के दिमाग में जो यह बात बैठी हुई है इस को दूर करने के लिए आप को विशेष

[श्री यू० सिं० चौधरी]

पबलिसिटी करनी चाहिए और लोगों को बताया जाना चाहिये कि इंडियन आइल कम्पनी का तेल न केवल इस देश की कम्पनी द्वारा निकाला जाता है, अपने देश में ही निकाला जाता है, बल्कि वह बाहर की कम्पनियों के पैट्रोल से किसी प्रकार घटिया नहीं है, बल्कि वैसा ही है, । मेरा सुझाव है कि लोगों की यह गलत धारणा आप को अवश्य दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । श्री रामेश्वर टांटिया जी ने कहा कि राजस्थान में खेतड़ी में कुछ तांबे की खदानें हैं। उसके पास ही पंजाब के नारनोल के इलाके में, जो कि पंजाब और राजस्थान के बारडर पर है, लोहा और रद्दी किस्म का कोयला मिलता है । उस के बारे में कई बार यहां पार्लियामेंट में प्रश्न उठाया गया और कुछ लिखित प्रश्न भी पूछे गये और अलग तौर से कुछ पत्र भी लिखे गये परन्तु मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि यह मंत्रालय बहुत लम्बी चौड़ी बातों में और लम्बी चौड़ी स्कीमें जो कि उसके सामने हैं उन बड़ी बड़ी स्कीमों में ही लगा रहता है । उनके सामने नूनमती रिफ़ाइनरीज़ सरीखी बड़ी बड़ी योजनाएं ही रहती हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम्स सामने रहने के कारण शायद उन का ध्यान छोटी छोटी बातों और जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, उनकी तरफ़ नहीं जा पाता है । उधर ध्यान देने का उन्हें अवसर ही नहीं मिलता है । उदाहरण के लिए मैं बतलाऊं कि नारनौल की खदान जहां से कि कोयला व लोहा निकलता है और खेतड़ी माइंस जहां से कि तांबा निकलता है, उन के लिए कोई नया वैज्ञानिक तरीक़ा व कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जिस के कि आधार पर यह कहा जा सके कि इस मंत्रालय द्वारा इन छोटी छोटी स्कीमों की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है और उन के लिए कोई एक ऐसा नया वैज्ञानिक तरीक़ा अपनाया जा रहा है जिससे कि वहां का उत्पादन ज्यादा हो सके । वहां नये तरीक़े से और मौर्डन वैज्ञानिक तरीक़ों से उत्पादन कार्य किया जा सके ।

अभी पिछले दिनों में यह बात सुनने को मिली है और मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस बारे में केवल एक ही पंक्ति मैं इस बात का जवाबदें कि वाकई महेन्द्रगढ़ के अन्दर एक लोहे का कारखाना खुलने जा रहा है । जो सुनने में आ रहा है अगर उसमें सच्चाई है हालांकि हमें इसका भरोसा नहीं है क्योंकि यह हमारा पिछला अनुभव रहा है कि यह मंत्रालय केवल बड़ी बड़ी योजनाओं के लिये ही सोचता है और उनके लिये कदम भी उठाता है । लेकिन अगर यह बात सच हो तब तो मैं कहूंगा कि इन पिछले सालों मैं इस मंत्रालय के ऊपर नारनौल के संबंध में आरोप लगाये हैं वह सब निरर्थक साबित हो जाते है और में उनको पूरे हृदय से बधाई दूंगा अगर वह घोषणा कर दें कि महेन्द्रगढ़ के अन्दर लोहे का कारखाना खोल रहे हैं ।

यह खेद का विषय है कि अभी तक इस मंत्रालय द्वारा छोटी छोटी चीजों व खदानों की ओर ध्यान नहीं जा रहा है । उनका सारा ध्यान, सारी इनर्जी और सारी ताकत सैंट परसैंट बड़े बड़े प्रोग्राम्स की तरफ जाती रही है । मेरा इस मंत्रालय से अनुरोध होगा कि अपनी इस नीति में परिवर्तन करे और उन छोटे प्रोग्राम्स की ओर भी ध्यान दे और अगर ज्यादा न दे सके तो कम से कम ५–१० प्रतिशत: तो अवश्य दे । अगर बड़ी बड़ी माइंस और योजनाओं के लिये १००, १०० एक्सपर्टस भेजे जाते है, बड़े लम्बे चौड़े वैज्ञानिक उनके लिये मंत्रालय द्वारा भेजे जाते है तो कम से कम अगर ज्यादा नहीं तो एक, दो वैज्ञानिक और ऐक्सपर्ट जूनियर कैडर के ही सही वहां भेजे जायें जिनके कि रिसर्च के आधार पर कोई गवेषणा हो और वे साल, छै महीने के अन्दर रिसर्च करके अपनी रिपोर्ट भेजें ताकि वहां पर आधुनिकतम वैज्ञानिक आधार पर उत्पादन बढ़ाया जा सके ।

जहां तक कोयले के ट्रांसपोर्ट की समस्या है वह अभी भी गम्भीर है और कोयले के ट्रांसपोर्ट का उचित बन्दोबस्त किया जाय । उसके अभाव में लोग बड़े दुखी व परेशान हैं । कोयले के

बारे में जिस प्रकार की आलोचना पहले लोगों ने की थी वह आज भी उसी रूप में विद्यमान है। इसलिये मंत्रालय और सरकार को कोयले की ट्रांसपोर्ट की समस्या को हल करने के लिये जरा गहराई के साथ विचार करके इसे हल करना चाहिये। जब तक यह समस्या हल नहीं होगी तब तक कोयले के बारे में मंत्रालय को कोई धन्यवाद नहीं दिया जा सकता है।

†**श्री जे० रा० मेहता** (पाली) : मेरी एक शिकायत यह है कि जैसलमेर में तेल की खोज के काम में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। पिछले साल ह ा बताया गया था कि किसी विदेशी कम्पनी के साथ बातचीत चल रही है। लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। मैं पूछता हूं कि सरकार देश के अन्य भागों की तरह जैसलमेर में भी स्वतः ही छिद्रण कार्य क्यों नहीं आरम्भ कर देती।

आगे दूसरी बात यह कि खानों से खुदाई के लिये अभी हाल में हमने जो खनिज रियायत नियम लागू किये हैं वे इतने पेचीदा हैं कि उनसे संपूर्ण देश में खनन की प्रगति में निश्चित बाधा पड़ेगी। अभी हाल में राजस्थान मंत्रणा बोर्ड की बैठक में मुझे बताया गया है कि इन नियमों के कारण राजस्थान में खनन की प्रगति को बहुत धक्का पहुंचेगा। मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि उनके मंत्रालय में इस संबंध में प्राप्त सुझावों पर ध्यान दिया जाये और उनकी छानबीन करने और इन नियमों को यथासंभव सरल बनाने का प्रयत्न करने के लिये एक समिति बनायी जाये।

मैं समझता हूं कि खनिजों के संबंध में भाड़े के ढांचे को ठीक करने के लिये कोई कदम उठाने का यही समय है। भाड़े का वर्तमान ढांचा अंग्रेजों क समय में बनाया गया था लेकिन अब परिस्थितियां बदल गयी ह और यही समय है जबकि भाड़े के ढांचे में परिवर्तन किया जाना चाहिये ताकि खनिज पदार्थ उन जगहों पर जहां खनन उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं, लाभ के साथ पहुंचाये जा सकें। यह भी बहुत जरूरी है कि हम यह देखें कि खनिजों का निर्यात बढ़ाने के लिये हम भाड़ा कितना घटा सकते है या कोई राजसहायता दे सकते हैं। इस समय जब कि हम निर्यात बढ़ाने के लिये चिन्तित हैं, इस सुझाव पर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये।

इसमें सन्देह नहीं कि अभी हाल के वर्षों में हमने कई खनिज खोज निकाले हैं और कई खानों को खुदाई की है लेकिन अब भी कई दिशाओं में कमी है। जिन खनिजों के संबंध में हम आत्मनिर्भर नहीं हुये है या जो अभी तक इस देश में उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिये कुछ सरल नियम बनाये जाने चाहियें। अनुमति प्रमाणपत्र और खोज के लिये लाइसेंस बन्द कर दिया जाना चाहिये और बहुत थोड़ी फीस लेकर सरल पंजीकरण के आधार पर लोगों को इन खनिजों की खोज करने के लिये अनुमति देना चाहिये। मुझे विश्वास है कि इससे अनेक खनिजों का पता लगेगा।

आगे मुझे एस्बेस्टस खनिज के बारे में कहना है। इस समय हम ३ से ४ करोड़ रुपये का एस्बेस्टस बाहर से मंगाते हैं और उसका कारण यह है कि एस्बेस्टस सीमेंट कम्पनियों जैसे जो उद्योग उसका इस्तेमाल करते हैं, वे इस बात पर अड़े हुये हैं कि वे सेरीसोटाइक किस्म का एस्बेस्टस का ही प्रयोग करेंगे और टर्मोलाइट या एम्फीबोल नामक देशी किस्म का प्रयोग नहीं करेंगे। मुझे मालूम हुआ है कि हाल में धनबाद और जमशेदपुर में किये गये प्रयोगों से यह पता लगा है कि उन उद्योगों में निर्माण की प्रक्रिया में देशी एस्बेस्टस का प्रयोग भी किया जा सकता है। यदि यह ठीक है तो मंत्री महोदय इस पर गम्भीरता से विचार करें कि वे शेरीसोटाइल किस्म का आयात

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जे० रा० मेहता]

जिस पर हम ३-४ करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, बन्द क्यों नहीं करवा सकते। उनसे तथा संबंधित मंत्रालयों से मेरा सुझाव है कि वे उन विशेषज्ञों का जिन्होंने यह खोज की है, एस्बेस्टस का आयात करने वाले उद्योगपतियों और देशी खनिज निकालने वाले खान मालिकों का एक सम्मेलन बुलायें और विचार करें कि आयात कितना कम किया जा सकता है ताकि देशी एस्बेस्टस के प्रयोग के लिये रास्ता खोला जा सके।

श्री महेश्वर नायक (मयूरभंज) : इस मंत्रालय के कामकाज से जो अमिट प्रभाव पड़ा है उसके लिये में मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

यह कहा गया है कि कोयला उद्योग तीसरी योजना का लक्ष्य अर्थात् लगभग ९८० लाख टन, प्राप्त नहीं कर सकता। १९६२–६३ में जनवरी तक उत्पादन को देखते हुये यह दिखायी पड़ता है कि अप्रैल, १९६२ के उत्पादन आंकड़ों में ७१ लाख टन की वृद्धि हुई है और १९६२–६३ के लक्ष्य में २० लाख टन बढ़ाया जा रहा है। यदि यह गति कायम रही तो मुझे विश्वास है कि न केवल लक्ष्य प्राप्त करना वरन् उससे आगे बढ़ जाना भी मंत्रालय के लिये कठिन नहीं होगा।

यह बड़े सौभाग्य की बात है कि रेलवे मंत्रालय ने खान और ईंधन मंत्रालय के सहयोग से कुछ ऐसी योजनायें तैयार की हैं जिनके अधीन कोयला खानों के बाहर पड़े हुये कोयले की ढुलाई में वृद्धि हुई है। अब माल डिब्बों की दैनिक सप्लाई ४००० से बढ़कर लगभग ६००० हो गयी है। लेकिन रेलवे मंत्रालय ने कुछ समय पहले बताया था कि रविवार और अन्य छुट्टियों के दिन कोयले की लदाई अनुमान के अनुसार नहीं हुई।

मंत्री महोदय ने "ब्लाक रेक" द्वारा कोयले के वहन की व्यवस्था की है। जो उपभोक्ता १५०० टन से अधिक कोयले का उपभोग करते हैं उनके लिये कोयले का वहन 'ब्लाक रेक' द्वारा ही किया जायेगा। इस तरह ७५ प्रतिशत कोयले का ही वहन हो सकेगा। मुझे आशा है कि शेष कोयले के वहन के लिये भी प्रबन्ध किया जायेगा।

कोयला रखे जाने के संबंध में भी योजना में सुधार की आवश्यकता है। यह बड़े बड़े शहरों में इकट्ठा किया जाये और वहां से आवश्यकता के स्थानों पर पहुंचा दिया जाये।

जब परिवहन द्वारा जो कोयला ले जाया जाता है उसका भाड़ा भी उपभोक्ताओं से ही लिया जाता है। क्या इन परिवहन संस्थाओं को राज्य सहायता नहीं दी जाती ? इस प्रश्न की जांच की जानी चाहिये कि इस कारण से कोयले के मूल्य में कितनी वृद्धि होती है। कोयले के मूल्य को कुछ बढ़ाने की योजना है। यदि ऐसा हुआ तो उपभोक्ता पर ही भार नहीं पड़ेगा अपितु उन उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ेगा जो कोयले का प्रयोग करते हैं।

कोयला खानों में एरियन रस्सी भागी व्यवस्था चालू करने का विचार है जिससे कोयले का वहन तेजी से किया जा सके।

एम० सी० डी० सी० का कार्य सन्तोषजनक नहीं है। इसके लक्ष्य प्राप्त किये जाने में १·१ करोड़ टन की कमी हुई है। इसका कारण वैगनों की कमी और निम्न श्रेणी के कोयले के उत्पादन पर नियंत्रण है। बंगाल–बिहार कोयला क्षेत्र में वैगनों की पूरी आवश्यकता को पूर्ण किया जाता है, फिर वहां इनकी कमी का क्या कारण है ? इसकी उचित व्यवस्था करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

मेरे एक मित्र ने कहा था कि विदेशियों का सहयोग प्राप्त करके हम अपने को पूर्णरूप से उनके हाथों में सौंप रहे हैं। किन्तु हमारे पास तकनीकी कर्मचारियों और पूंजी दोनों की कमी है। इस सम्बन्ध में विदेशी सरकारों से हमें जो सहायता प्राप्त हो रही है उसके लिये हम उनके आभारी हैं।

अब मैं खनिज के विकास के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। लौह-अयस्क हमारे लिये विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली और मूल उद्योगों का विकास करने वाली प्रमुख धातु है। हम ने अभी देश के सारे संसाधनों का सर्वेक्षण नहीं किया है। ऐसा कहा जाता है कि मयूरभंज जिले तथा अन्य स्थानों पर लौह-अयस्क के अतिरिक्त अन्य खनिज भी उपलब्ध हैं। यहां सर्वेक्षण किया जाना चाहिये।

इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स द्वारा ऐसी प्रक्रिया तैयार की जा रही है जिससे निम्न श्रेणी के लौह-अयस्क का निर्यात किया जा सकता है तथा यहां भी उसका उपयोग किया जा सकता है। मंत्री महोदय को चाहिये कि इस कार्य को इस्पात तथा भारी उद्योग मंत्रालय अथवा किसी अन्य संस्था के सहयोग से जल्दी ही आरम्भ करे। इस से हमें विदेशी मुद्रा तो उपलब्ध होगी ही साथ ही छोटे-छोटे उद्योगों का विकास भी हो सकेगा।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी): इस मंत्रालय का कार्य कई दिशाओं में किया जा रहा है इसलिये इसके कार्य में कोई प्रगति नहीं हो रही है। विशेषतया तेल के सम्बन्ध में यह कार्य कई संस्थाओं--आइल इंडिया लि०, इंडियन आइल कम्पनी आदि, द्वारा किया जाता है। यह सब समवाय स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तेल हमारे लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण पदार्थ है, इसलिये इसके सम्बन्ध में कार्य का संकेन्द्रण आवश्यक है।

आपातकाल को छोड़ कर तेल की मांग कितनी है? चीनी आक्रमण के पूर्व इसका अनुमान १.४ करोड़ टन का लगाया गया था। अब इसका अनुमान १.७ करोड़ टन का है। किन्तु गैर-सरकारी विशेषज्ञों के अनुसार १९७१ के अन्त तक तेल की मांग ३.०० करोड़ टन हो जायेगी। किन्तु मैं सरकारी अनुमान को ही आधार मान कर इस पर चर्चा करूंगा। हमारे सरकारी और निजी क्षेत्रों के तेल का उत्पादन कुल ९० लाख टन ही होगा। शेष आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार होगी? मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में कार्य करने वाली संस्थाओं का पुनर्गठन हो।

इंडियन आयल कम्पनी में ३ करोड़ रुपया लगाया गया था। इस में १७ लाख रुपये की हानि हुई है। इसके कार्य का खर्चा भी अधिक है। यह संभरण, आयात और अधिष्ठापनों के निर्माण आदि के सम्बन्ध में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी है। किसी-किसी मामले में इसका कार्य अपने लक्ष्य से ४५ प्रतिशत कम रह गया है। इस ने बम्बई की एक फर्म, हिन्दुस्तान आर्गेनाइजर (प्रायवेट) लि० के साथ एक संदेहपूर्ण सौदा किया है। मेसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी के साथ भी ऐसा ही सौदा किया गया है। १ अप्रैल, १९५६ के पुनरीक्षित औद्योगिक नीति संकल्प में यह कहा गया है निजी क्षेत्र में किसी को भी क्रोम, मेंगनीज़ अथवा लौह अयस्क के सम्बन्ध में लाइसेंस नहीं दिया जायेगा। १९५६ के बाद सरकार ने इन खनिजों के सम्बन्ध में किसी को लाइसस नहीं दिया; किन्तु १९५९ में मेसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कं० को यह लाइसेंस दिया गया है। मुझे पता चला है कि राज्य सरकार इस बात का विरोध कर रही थी; किन्तु केन्द्रीय सरकार ने उस विरोध की पर्वाह किये बिना इस फर्म को वह लाइसस दे दिया।

इसके बाद भी उस फर्म को मेंगनीज़ अयस्क के सम्बन्ध में २ लाइसेंस दिये गये। इन लाइसेंसों पर कटक के उच्च न्यायालय में आपत्ति उठाई गई थी, किन्तु सरकार ने सरकारी रहस्य अधिनियम,

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेम बरुआ]

के उपबन्धों को आड़ लेकर सम्बन्धित कागज़-पत्र प्रस्तुत करने से इन्कार कर दिया । १९४८ के बाद से इस फर्म ने क्रोम, लौह अयस्क और मेंगनीज पर स्वामित्व नहीं दिया । जब राज्य सरकार ने स्वामित्व वसूल करने के लिये इस फर्म के विरुद्ध कार्यवाही करनी आरम्भ की तो केन्द्रीय सरकार ने हस्तक्षेप करके राज्य सरकार से कहा कि फर्म को समय की कुछ छूट दी जाये ।

२५ फरवरी को श्री मालवीय ने मेसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी का एक आवेदन-पत्र वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को भिजवाया । उस में यह प्रार्थना की गई थी कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को चेकोस्लोवाकिया से इस फर्म के मेंगनीज़ के बदले २ करोड़ रुपये की मशीनें मंगाने का लाइसेंस दिया जाये । पहली बात तो यह थी कि इस फर्म का मेंगनीज़ उस किस्म का नहीं था जिसके निर्यात किये जाने की आज्ञा थी । इसके अतिरिक्त मेंगनीज़ के बदले लोहा ही मंगाया जा सकता था, जब कि यह फर्म मशीनें मंगवा रही थी । इस फर्म को इन मशीनों के चलाने का अनुभव भी नहीं था ।

श्री मालवीय ने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने १९५७ में बस्ती से उनके दल के एक उम्मीदवार के चुनाव लड़ने के लिये इस फर्म से १०,००० रुपये लिये थे । इस निर्वाचन क्षेत्र से श्री मालवीय ने ही चुनाव लड़ा था । और यह रुपया वसूल करने के लिये श्री मालवीय के निजी सेक्रेटरी श्री नायर गये थे और उसे हस्ताक्षर-युक्त एक रसीद दी थी ।

मेरे हृदय में किसी के प्रति पक्षपात नहीं है किन्तु मैं निवेदन करता हूं कि जो रसीद श्री मालवीय ने प्रस्तुत की है उसका, यह देखने के लिये कि वह किस समय दी गई थी, रसायनिक परीक्षण कराया जाये ।

श्री सिराजुद्दीन अत्यन्त चतुर व्यक्ति हैं । उनके खाते को देखने से पता चला है कि उन्होंने कई बड़े लोगों को, जिन में एक राज्य के उप-मुख्य मंत्री श्री मित्रा (Shri Mitra) भी हैं, अंशदान दिये थे । किन्तु उनके खाते में इसे 'अत्रिम' (Atrim) लिखा हुआ है । यदि आप मित्रा (Mitra) शब्द के अक्षरों को जरा इधर-उधर कर दें तो वह 'अत्रिम' (Atrlm) हो जायेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : अत्रिम 'मित्रा' कैसे हो सकता है ?

†**श्री हेम बरुआ :** यदि थोड़ी बुद्धि और कल्पना का प्रयोग किया जाये तो ऐसा होना सम्भव प्रतीत होने लगेगा ।

मुझे श्री मालवीय के साथ पूरी सहानुभूति है । कभी-कभी मेरा दिल करता है कि उनका अनुयायी हो जाऊं ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** भगवान न करे ।

†**श्री हेम बरुआ :** मुझे पता है कि आप को दुःख होगा । श्री मालवीय भी इसी तरह बदकिस्मत व्यक्ति हैं । जहां भी वह हाथ रखते हैं वहीं आग लग जाती है । उन्होंने चीनी सहकारी संस्थाओं पर हाथ डाला । क्या फल हुआ ?

श्री के० दे० मालवीय : आग लग गई ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हेम बरुआ :** उन्होंने मेसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी पर हाथ डाला। क्या फल हुआ ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** आग लग गई।

†**श्री हेम बरुआ :** श्री सिराजुद्दीन पुलिस की हिरासत में हैं।

†**एक माननीय सदस्य :** आप जरा सम्भल कर रहें।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं कौशल से काम लूंगा। उनके हाथ लगाने से पहले ही मैं भाग खड़ा होऊंगा।

इसलिये इन परिस्थितियों को देखते हुए श्री मालवीय को चाहिये कि अपने पद से त्याग-पत्र दे दें और यदि वह इन आरोपों से बच जायें, जैसी कि मुझे आशा है, तो फिर मंत्रिमंडल में चले आयें। इस से प्रशासन के कार्य में फिर से नैतिक स्वस्थता लाई जा सकेगी, जिसका कि अभी अभाव है। यदि वह ऐसा करने के लिये तैयार न हों तो मैं प्रधान मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह उन्हें कार्य-भार से मुक्त कर दें जिस से यहां का प्रशासनीय स्तर ऊंचा उठ सके।

†**श्री के० दे० मालवीय :** यदि मैंने यह सिद्ध कर दिया कि श्री हेम बरुआ ने जो आरोप लगाये हैं वह अनुचित, असत्य और दोषपूर्ण हैं तो क्या वह अपने दल से त्याग-पत्र दे देंगे ?

†**श्री हेम बरुआ :** यदि श्री मालवीय यह सिद्ध कर दें कि जो १०,००० रुपये की राशि उन्होंने बस्ती क्षेत्र के उम्मीदवार . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। (**अन्तर्बाधायें**)। यह औचित्य सिद्ध करने का प्रश्न नहीं है। उन्होंने आप से यह कहा है कि यदि वह आरोप गलत हों तो क्या आप त्याग-पत्र दे देंगे ?

†**श्री हेम बरुआ :** मैंने यह आरोप लगाये हैं कि . . . .

†**श्री के० दे० मालवीय :** उन्हें उन आरोपों का पुनरीक्षण न करने दिया जाये। उन्होंने पहले ही कोम खनन आदि के सम्बन्ध में आरोप लगाये हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** यदि एक तटस्थ आयोग द्वारा खुली जांच की गई और सारे कागजपत्र प्रस्तुत किये गये और फिर यदि श्री मालवीय बच गये तो मैं अपने दल से त्याग-पत्र दे दूंगा। यह मामला अत्यधिक अन्यायपूर्ण है। एक मंत्री अपने दल के लिये रुपया वसूल करता है। आप देश के एक विशिष्ट पुरुष हैं किन्तु श्री सिराजुद्दीन आप को १०,००० रुपया नहीं देंगे, क्योंकि आप उन्हें लाइसेंस नहीं दे सकते। इस की खुली जांच की जाये। यदि मेरे आरोप गलत सिद्ध हुए तो मैं संसद् से त्याग-पत्र दे दूंगा।

†**श्री भागवत झा आजाद :** प्रजा समाजवादी दल भी भारतीय धन से ही चुनाव लड़ता है। (**अन्तर्बाधायें**)।

†**श्री हेम बरुआ :** प्रशासन में अनाचार फैला हुआ है। और श्री नेहरू देश के विकास के लिये इतनी मेहनत कर रहे हैं। श्री मालवीय समाजवादी विचारों के हैं और वह एक ऐसी फर्म से, जिसकी साख नहीं है, १०,००० रुपया लेते हैं। इस का औचित्य वह किस प्रकार सिद्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

करेंगे ? वह एक भ्रष्ट मंत्री हैं। १०,००० रुपये की राशि यह सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है कि वह भ्रष्ट है। मैं उन के त्याग-पत्र की मांग करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री वेंकटासुब्बया।

†**श्री पैं० वेंकटासुब्बया** (अडोनी) : श्रीमान्, इस मंत्रालय के विषय में काफ़ी विवाद हुआ है। श्री हेम बरुआ ने मंत्री महोदय के कार्यों के विषय में बहुत कुछ कहा है। इस प्रकार प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों पर व्यक्तिगत आरोप लगाने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। दुर्भाग्यवश देश में ऐसी ही प्रवृत्ति चली हुई है। हमारे प्रधान मंत्री ने भी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में भाषण देते हुए कहा था कि कुछ विपक्षी, जिन्हें हमारी नीतियों और कार्यक्रमों के विरुद्ध कहने के लिए कुछ नहीं मिलता इसी प्रकार के आरोप लगाते रहते हैं। कुछ हितबद्ध समाचार पत्र भी उन का समर्थन करते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि राजनैतिक क्षेत्र में जिम्मेदार व्यक्ति मामले की छानबीन किये बिना इस प्रकार की गैर-जिम्मेदारीपूर्ण बातें कहते हैं।

इस मंत्रालय ने सराहनीय कार्य किया है। स्वतंत्रता के बाद से इस ने कार्य आरम्भ किया था और अब तक इस ने काफ़ी प्रगति कर ली है। भूमि के गर्भ में करोड़ों रुपये के खनिज छिपे पड़े हैं। इन खनिजों को खोजने और निकालने का कार्य इस मंत्रालय के पास है। सब से अधिक विदेशी मुद्रा की आय हमें इसी मंत्रालय द्वारा होती है। इस ने तेल और खनिज क्षेत्र में प्रगति के लिए काफ़ी प्रयास किया है।

तृतीय योजना के अन्त तक कोयला उत्पादन का लक्ष्य ९.८५५ करोड़ निर्धारित किया गया था। १९६२-६३ के लिए यह लक्ष्य ६.२८ करोड़ टन था किन्तु उत्पादन ६.४ करोड़ टन का हुआ।

सिंगारेनी कोयला खान कम से कम दक्षिण भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस का कोयला उत्पादन का लक्ष्य ३२ लाख टन था और अब तक २८ लाख टन पैदा किया जा चुका है। इस के सम्बन्ध में केन्द्रीय और राज्य सरकार के बीच चल रहे विवाद का हल शीघ्र ही कर लिया जाना चाहिये। इस की शीघ्रता से प्रगति की जानी चाहिये। इस में अधिक विनियोजन की आवश्यकता है, जिस से दक्षिण भारत की कोयले की आवश्यकतायें पूरी हो सकें। जब दक्षिण भारत में इतना कोयला उपलब्ध है तो दूसरे प्रदेशों से मंगाने की क्या आवश्यकता है।

इस के प्रबन्ध कार्य के सम्बन्ध में भी काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है। केवल इसी मंत्रालय के कारण राज्य सरकार और केन्द्र में इस विषय में समझौता नहीं हो पाया है। इसलिए न तो केन्द्र सरकार ही इसे ऋण देती है और न ही सरकारी उपक्रम होने के कारण, यह बैंकों इत्यादि से ऋण ले सकता है। यदि राज्य सरकारें इस खान का कार्य केन्द्र को नहीं सौंपतीं तो केन्द्र वहां की दूसरी खानों का कार्य अपने हाथ में ले सकता है। इस प्रकार वहां के इस उद्योग का विकास कर के वहां के लोगों की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है।

अब मैं खनिज रियायत नियमों के सम्बन्ध में बोलूंगा। खनिज रियायतों के कार्य की मंद गति के कारण वहां कार्य करने वाले उद्योगपतियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

लाइसेंस लेने के लिए तीन चार वर्ष तक लग जाते हैं। इन नियमों को अधिक सरल बना दिया जाये।

मैं इस मंत्रालय को सराहनीय कार्य के लिए बधाई देता हूँ। उन्हें चाहिए कि खनिज उद्योग के विकास के लिए हर संभव प्रयत्न करें जिस से भारत समृद्ध हो, विदेशी मुद्रा अर्जित करे और तेल और खनिज में आत्म-निर्भर हो सके।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : श्रीमान् आज सभा में चुनौतियां दी गई हैं। मैं समझता हूँ यहां व्यक्तियों के विषय में चर्चा कर के हमें सभा की प्रतिष्ठा कम नहीं करनी चाहिये। कुछ ऐसे मामलों का उल्लेख कर के जिन का अभी न्यायिक या वैधिक फैसला किया जाना है हमें किसी व्यक्ति की ख्याति पर आघात नहीं करना चाहिये।

श्री बरुआ और श्री मालवीय ने कहा कि वह त्यागपत्र दे देंगे। यदि श्री हेम बरुआ ने त्याग-पत्र दे दिया तो यह बुरा होगा क्योंकि वह एक अच्छे सँसद्विज्ञ हैं, किन्तु यदि श्री मालवीय ने त्यागपत्र दे दिया तो यह संसद्, उन के मंत्रालय और देश तीनों के लिये बुरा होगा।

मैं माननीय मंत्री से एक बात कहूंगा। इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स सन्तोषजनक कार्य कर रहा है। इस के कार्य में अधिक प्रगति की जानी चाहिये क्योंकि हमें जहां देश में लोहा, इस्पात, कोयले और तेल की आवश्यकता है वहां उन अन्य छोटे खनिजों की भी आवश्यकता है जिन के बिना इन में से कुछ खनिजों का कोई महत्व नहीं रह जाता।

भारत में खनिजों की कमी नहीं है। किन्तु जिस गति से इन्हें खोजने और निकालने का कार्य किया जा रहा है उसे देखते हुए इन्हें हमारे उद्योगों को उपलब्ध कराने में काफ़ी समय लगेगा। इसलिये इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स के काम में तेजी लाने के लिए इस के कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी जानी चाहिये, इस के लिये अधिक धन का उपबन्ध किया जाना चाहिये और इस का कार्य-क्षेत्र भी बढ़ा दिया जाना चाहिये जिस से भारत शीघ्र ही आत्म-निर्भर हो सके।

सोने को ही लीजिये। हमें देश में इस की बहुत आवश्यकता है। भारत में सोना काफ़ी मात्रा में मिल सकता है। किन्तु हमने वाणिज्य स्तर पर इसे खोलने का प्रयास नहीं किया है।

श्री मालवीय को विवादास्पद व्यक्ति कहा गया है। हमें राजनीति में ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता है। क्योंकि राजनीति में नीति बनाने और उसे कार्यान्वित करने का ही कार्य होता है।

अब हमें देखना है कि श्री मालवीय की कौनसी नीति रही है। भारत में तेल का कार्य १८२५ में आरम्भ हुआ था ; किन्तु १९५४ या १९५६ तक १३० वर्षों में हम इस क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं कर पाये। श्री मालवीय के मंत्री बनने के बाद उन्होंने इस कार्य में काफ़ी प्रगति की है। अब इस क्षेत्र में भारत संसार भर में प्रसिद्ध है।

पिछले ४–५ साल में कई तेलशोधक कारखाने स्थापित किये गये हैं। हर राज्य में प्रगति हो रही है। आसाम, गुजरात, बंगलौर, सब स्थानों पर कुएं खोदे जा रहे हैं। यदि मेरे प्रान्त में इतनी प्रगति नहीं हुई है। ज्वालामुखी कार्य सफल नहीं हुआ है, होशियारपुर में भी कोई विशेष

†मूल अंग्रेजी में

सफलता नहीं मिली है । किन्तु हम यदि कुल परिस्थितियों पर विचार करें तो हमें यह जान कर हर्ष होगा कि देश भर में कई कुएँ खोदे गये हैं और कई तेल शोधक कारखाने स्थापित किये गये हैं ।

यह कहा गया है कि इस क्षेत्र में कई संगठन कार्य कर रहे हैं । उन का एकीकरण किया जाना चाहिये । किन्तु प्रजातंत्र में नीति का एकीकरण होता है और संगठनों का विकेन्द्रीकरण । श्री मालवीय ने इस दिशा में जो कार्य किया है वह उचित ही है । उन्हों ने दूसरे देशों से सहायता प्राप्त करने में भी पक्षपातरहित रुख अपनाया है । जिन राष्ट्रों से भी सहायता मिल सकी है, उन सब से उन्होंने सहायता ली है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करें ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के विषय में भी बहुत कुछ कहा गया है क्योंकि इसने निजी क्षेत्र की कोयला खानों के साथ प्रतिस्पर्धा की है । इस निगम की कुछ सीमायें हैं । यह सच है कि यह अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सकी है ; किन्तु इसे स्थापित हुए ही कितना समय हुआ है ?

इस निगम को चाहिये कि अपने कर्मचारियों का अधिकाधिक ध्यान रखे । इसने कर्मचारियों के लिये इतना नहीं किया है जितना कर सकती थी । मैं ब्यौरे में जाना नहीं चाहता । मंत्री महोदय को चाहिये कि इस के कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधा पर विचार करने के लिए इस सभा की समिति नियुक्त करें ।

खनिज नियमों के विषय में भी बहुत कुछ कहा गया है । मेरा विचार है कि इन से किसी सरकारी कर्मचारी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया । यह उन पर लागू होते हैं जो कोयला निकालते हैं । और यह सरकारी कर्मचारी नहीं, वरन् व्यापारी हैं । अगर इन नियमों में कोई अनियमितायें हैं तो उन के लिए वही उत्तरदायी हैं । मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि श्री मालवीय और श्री नेहरू को शक्ति दे जिस से वह शीघ्र ही समाजवादी ढंग के समाज की रचना कर सकें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री मरँडी :

†**श्री दी० चं० शर्मा** : एक शब्द और ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : लन्दन के पत्र 'इकोनोमिस्ट' का मत है कि तेल के क्षेत्र का कार्य श्री मालवीय जैसे योग्य पुरुष के हाथ में होना भारत के लिये सौभाग्य की बात है । यदि विदेशियों का यह विचार है तो हमें छोटे-छोटे मतभेदों के आधार पर ऐसी बातें कहना शोभा नहीं देता ।

श्री मरण्डी (राजमहल) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप ने इस मंत्रालय की बजट मांगों के ऊपर बोलने का जो अवसर दिया है उस के लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूँ । मैं बिहार के एक पिछड़े हुए संथाल परगना जिले से आता हूँ । मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा । मैं केवल अपने प्रदेश व जिले की जो समस्याएँ हैं उन को सरकार और मंत्री महोदय के सामने पेश करूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारे दक्षिण बिहार में बहुत खानें हैं और उन में काम करने वाले अधिकतर आदिवासी लेबरर्स हैं। दुःख की बात है कि लेबर के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है और उन को स्कूल, दवादारू, मकान आदि की आवश्यक सहूलियतें नहीं मिलती हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि वहां के लेबरर्स को सब आवश्यक सुविधाएं दी जायें। आज जहां हमारे फ़ौजी जवान देश की सुरक्षा के ख़ातिर मोर्चों पर तैनात हैं और चीन के संभावित आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए तैयारी कर रहे हैं वहां मजदूर भाई खानों में रात दिन काम कर के देश के विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। आज की घड़ी में हमें देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है क्योंकि ऐसा कर के ही हम देश को अधिक मजबूत और समृद्ध बना सकते हैं और इस नाते हमारे यह मज़दूर और श्रमिक बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और सरकार को इन्हें सभी आवश्यक सहूलियतें देनी चाहिएँ।

हमारे संथाल परगना में बहुत सी छोटी-छोटी खानें हैं। वहां जो प्राइवेट कम्पनीज़ हैं वे मनमाने तरीक़े से काम करती हैं। मैंने वहां की खानों के सम्बन्ध में मंत्री महोदय से प्रश्न किया था और मुझे उनके मंत्रालय से जो उत्तर प्राप्त हुआ वह यह कि वहां दो खानें बन्द हैं और एक खान में केवल पांच लेबरर्स काम कर रहे हैं। मुझे मंत्री महोदय का यह जवाब पाकर बड़ा दुःख हुआ क्योंकि हर्रा खान हमारे घर के बग़ल में हैं और हम रोज़ाना देखते हैं कि वहां पर क़रीब ३०० मन कोयला डेली सेल होता है। वहां क़रीब १०० मज़दूर काम करते हैं जब कि मंत्री महोदय की ओर से हमें यह जवाब मिलता है कि केवल पांच मजदूर काम करते हैं। उन के इस तरह के जवाब से हमें बड़ा दुःख पहुंचता है यह सरकारी कर्मचारी मंत्री महोदय की आंखों में इस तरह से धूल झोंकते हैं कि उनको सही हालत पता ही नहीं होती है। मेरा निवेदन है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमें इस देश को मज़बूत करके आगे बढ़ाना है। हमने इस देश में जन्म लिया है, इस देश का नमक खाया है और इस देश का जल पीते हैं और एक दिन इसी भारत भूमि में मरेंगे भी, तो हम सब को छोटे बड़े को अमीर व ग़रीब को सभी संभव प्रकार से देश की सेवा करनी है। अगर हम देश की आजादी ख़तरे में नहीं डालना चाहते तो हमें देश की उत्पादन शक्ति को बढ़ाना होगा और उसके लिए आवश्यक है कि श्रमिकों को आवश्यक सहूलियतें दी जायें। इन छोटी छोटी खदानों में काम करने वाले श्रमिकों की हालत के सम्बन्ध में मैंने मंत्री महोदय को चिट्ठी भी लिखी कि वे उनके लिए क्या कर रहे हैं लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है कि वे क्या करने का इरादा रखते हैं? मैं पुनः मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि हर्रा खान के वास्ते जो मैंने उनको लिखा है तो उधर वे ध्यान दें और वहां की व्यवस्था सुन्दर होनी चाहिए। वहां से देश की उन्नति के लिए काफ़ी कोयला मिल सकता है। इसलिए उस कोयला खान में सुधार कार्य किया जाय।

उस खान में काम करते हुए एक औरत का बेटा मारा गया लेकिन अभी तक सरकार को उस की कोई जानकारी नहीं मिली है। उस के लिए उस गरीब मां को कोई मुआविज़ा नहीं मिला है। अब होता यह है कि वहां के सरकारी कर्मचारी उस खान के सम्बन्ध में सरकार को झूठी रिपोर्ट देते हैं और सही-सही जानकारी नहीं देते हैं।

वहां की लेबर एक छोटी नदी का पानी पीती है। उसका पानी ख़राब है और तन्दरुस्ती के लिए नुक़सानदेह होता है। यह कितने अफ़सोस का विषय है कि वे मज़दूर जो कि ज़मीन के नीचे इन खानों में जी तोड़ कर और अपनी जान को ख़तरे में डाल कर काम करते हैं उन के लिए पीने के पानी का, मकान और दवादारू का कोई बन्दोबस्त नहीं है। इसके अलावा उनको बोनस भी नहीं मिलता है। वहां जो ज़मीनें एक्वायर की जाती हैं उनके लिए लोगों को मुआविज़ा नहीं मिलता है।

मैं मंत्री महोदय से पुनः अनुरोध करूंगा कि हर्रा खान का सुधार होना चाहिए। क्योंकि वहां से देश को बहुत अधिक कोयला उपलब्ध हो सकता है। इसके अलावा मेरे प्रदेश में अन्य भी जितनी छोटी-छोटी खानें हैं उनकी ओर सरकार ध्यान दे और उनमें सुधार करे। इस तरह से काफ़ी मात्रा में उसे कोयला और दूसरे खनिज पदार्थ उपलब्ध हो सकते हैं।

मिट्टी के तेल के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि इसे ग़रीब लोग अधिकतर इस्तेमाल करते हैं लेकिन दुःख का विषय है कि मिट्टी के तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं जिससे कि ग़रीबों को बहुत कठिनाई पेश आ रही है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि मिट्टी के तेल की क़ीमत न बढ़ायी जाय ताकि ग़रीब जनता को और अधिक दिक्कत पेश न आये। बस मैं इतना कह कर समाप्त करता हूं।

†**खान और ईंधन मन्त्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या)**: उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने जो कि बोले हैं, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा देश में कोयले के उत्पादन की ओर निर्देश किया है।

वर्ष १९६२ के लिये सरकार ने ६२० लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया था। मैं सभा को सूचना दे सकता हूं कि अब तक लक्ष्य से २० लाख टन अधिक उत्पादन की संभावना है, और कुल उत्पादन ६४० लाख टन है। वर्ष १९६२–६३ के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का लक्ष्य ९४ ५ लाख टन का था। अब तक इस का उत्पादन ८५ लाख टन हुआ है। ९ लाख टन की कमी है जिसमें से ७ लाख टन बिहार क्षेत्र में से और शेष दूरस्थ क्षेत्रों में से है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में कोयले के लक्ष्य के अनुसार उत्पादन में कमी के कारण मैं सभा को बताना चाहता हूं। कादनापुरा में खानों के बाहर कोयला जमा हो गया था क्योंकि वैगनों की कमी थी; इस लिये नहीं कि वैगन उपलब्ध नहीं थे बल्कि इस लिये कि किसी विशेष रेलवे लाइन की क्षमता पर्याप्त नहीं थी। इसका कारण यह है कि खानों के बाहर जमा कोयले को उठवाने के लिये निगम ने घटिया प्रकार के कोयले के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। तीसरा कारण यह है कि तालचेर और द्वेलबारा पर रेलवे साइडिंग पूरा नहीं हो पाया है। चौथा कारण कुछ खानों में, विशेषकर विश्रामपुर में, कोयले का घट जाना है।

द्वितीय योजना का लक्ष्य १३५ लाख टन का था। तृतीय योजना के लिये अतिरिक्त लक्ष्य लगभग १२० लाख टन है। खान और ईंधन मंत्रालय की धारणा है कि उन्हें तीसरी योजना की कालावधि में ३२२.६२ लाख टन का उत्पादन करना चाहिए जिस के लिये उन के पास ३३ योजनायें हाथ में हैं। ऐसा करके ही वह ३२२.६२ लाख टन उत्पादन कर सकते हैं। निगम को विश्वास है कि वह २०७.२० लाख टन उत्पादन कर सकेगा और शेष ११५.४२ लाख टन का उत्पादन कुछ ऐसी बातों पर निर्भर करता है जो निगम के हाथ से बाहर है, जैसे कुछ नई खानों और वर्तमान खानों के विस्तार का संबंध कुछ वाशरियों के साथ जोड़ा जाना, और कुछ का संबंध तापमान विमुक्त स्टेशनों से और कुछ का रेलवे लाइनों से जोड़ा जाना।

उदाहरणार्थ, मैं आप को कुछ महत्वपूर्ण खानें बता सकता हूं जिन का संबंध रेलवे से है। सिंगरौली खानों में २५ लाख टन उत्पादन का प्रस्ताव है परन्तु भूखण्ड और खराब भूमि के कारण वर्ष १९६४ के अन्त तक वहां रेलवे लाइन उपलब्ध नहीं होगी। इस लिये, इन खानों में २५ लाख टन उत्पादन के लिये यह आवश्यक है कि रेलवे लाइन हो

†मूल अंग्रेजी में

जो कि १९६४ तक तैयार हो सकेगी । इसीलिये निगम ने इन कोयला खानों का संबंध रेलवे स्टेशन से स्थापित करने के उद्देश्य से एक सड़क बनाई है। इस के बावजूद भी वह सड़क द्वारा अधिक कोयले का परिवहन नहीं कर सके, फलतः २५ लाख टन में से हमें केवल ५ लाख टन उत्पादन कर पाने की आशा है ।

इसी तरह एक अन्य खान जगननाथा है । इस से उत्पादन का १० लाख टन का प्रस्ताव है परन्तु इस का संबंध प्रस्तावित तालचेर विद्युत् स्टेशन से होगा जो १९६४ में चालू होगा। यदि इस स्टेशन के चालू करने में विलम्ब हो जाय तो स्वभावतः इन खानों से जितने उत्पादन की आशा है उतना नहीं हो सकेगा ।

इसी प्रकार अन्य खानें हैं जिन का संबंध वाशरीज़ से है और यदि वाशरीज़ निर्धारित समय पर चालू नहीं हो पातीं तो उत्पादन में भी हम कुछ देर तक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते । उदाहरणार्थ, रामगढ़ रामगढ़ वाशरी से सम्बद्ध है । इस वाशरी के चालू होने का निर्धारित समय लगभग १९६५ है, परन्तु हमें सन्देह है कि यह वाशरी १९६५ तक चालू नहीं हो सकेगी, अतः ५ लाख टन का उत्पादन शायद चौथी योजना के आरम्भ में पूरा हो सकेगा ।

इसी प्रकार चलकारी खानें करगली वाशरी से सम्बन्धित हैं । इस वाशरी की विस्तार संबंधी योजना विचाराधीन है, और क्योंकि यह अब भी विचाराधीन है इसलिये सम्भव है कि उत्पादन लक्ष्य तृतीय योजना के अन्त तक प्राप्त न किये जा सकें । ऐसी आशा है कि हम इन लक्ष्यों को चौथी योजना के आरम्भ में प्राप्त कर सकेंगे ।

कुछ अन्य खानें भी नई वाशरियों और रेलवे लाइनों से संबंधित हैं । इन में से एक उमरेर खानें हैं। इन खानों में १० लाख टन उत्पादन का प्रस्ताव है। इतना उत्पादन इन खानों में संभव भी है परन्तु इन खानों का संबंध नागपुर छोटी लाइन से है और इस लाइन की क्षमता बहुत सीमित है। १० लाख टन कोयले को ढोना इस लाइन के लिये असंभव है।

इस प्रकार जैसा कि मैंने पहले कहा कि उत्पादन बहुत सी अन्य बातों पर निर्भर है। हो सकता है कि उत्पादन लक्ष्यों में पूर्ण सफलता न मिले। यद्यपि निगम भरसक प्रयत्न कर रहा है कि तीसरी योजना के अन्त तक १७० लाख टन का लक्ष्य प्राप्त हो जाय, फिर भी हो सकता है कि चौथी योजना के आरम्भ तक ११० लाख टन ही उत्पादन हो सके। इस का यह अर्थ नहीं है कि हम अपने उत्पादन लक्ष्यों का पुनरीक्षण कर रहे हैं अथवा निगम के अन्तर्गत किन्हीं योजनाओं का त्याग कर रहे हैं ।

मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि तृतीय योजना में जो १७० लाख टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे निगम द्वारा पूरा किया जायेगा, और उस लक्ष्य का पाने के लिये निगम की योग्यता और विश्वास में सन्देह नहीं होना चाहिये ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कोयले के संभरण की चर्चा की है। विभिन्न महत्वपूर्ण उद्योगों, प्रतिरक्षा उद्योगों, रेलवेज़ तथा इस्पात संयंत्रों को कोयले का संभरण लक्ष्यों के अनुसार हो रहा है, और कोयले की जितनी मांग इन के द्वारा कोयला विभाग से की गई वह अब तक पूरी पूरी स्वीकार की गई। प्रतिरक्षा उद्योगों अथवा रेलवेज़ अथवा इस्पात उद्योगों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कोटा प्राप्त करने में किसी कठिनाई का अनुभव नहीं किया गया ।

श्री महेश्वर नायक ने रविवार के दिन कोयला खानों में काम का उल्लेख किया। उत्पादन की गति को निरन्तर रखने के लिये और उद्योगों को कोयले के संभरण की गति निरन्तर रखने की

[श्री तिम्मय्या]

दृष्टि से रविवार के दिन कोयला खानों का खुला रहना बहुत आवश्यक समझा गया है। इसलिये कोयला नियंत्रक कोयला उत्पादन संघों के प्रतिनिधियों से मिले हैं और वह उन संगठनों को यकीन दिलाने में सफल हुए हैं कि कोयला खानों में रविवार भी काम जारी रखा जाय। मैं यह नहीं कहता कि सभी खानों में रविवार के दिन कार्य किया जाता है। कुछ खानों में व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण रविवार के दिन काम करने पर बाध्य नहीं किया जा सकता। कुछ अन्य खानों में उन्होंने श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया है और विभिन्न वर्गों को अलग अलग दिनों में छुट्टी दी जाती है, ताकि सप्ताह के सभी दिन कार्य होता रहे और खानें सप्ताह के सभी दिन कार्य करें।

आंध्र प्रदेश के श्री पें० वेंकटासुब्बया ने सिंगरेनी खानों की ओर निर्देश किया। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि सिंगरेनी कोयला खानों में वर्ष १९६२–६३ से निर्धारित लक्ष्य से अधिक उत्पादन हुआ है। वह लक्ष्य ३२ लाख टन था परन्तु वास्तविक उत्पादन ३२.२ लाख टन हुआ है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया ने राज्य सरकार और केन्द्र के बीच कुछ मामलों में जो अड़चन है उसका भी उल्लेख किया। हम नहीं समझते कि ऐसी कोई अड़चन है।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** तो फिर विस्तार क्यों नहीं हो रहा ? केन्द्रीय सरकार ऋण क्यों नहीं दे रही ?

†**श्री तिम्मय्या :** हमने ३ करोड़ तक ऋण दिया है। राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले ब्याज के बारे में कुछ मतभेद है और उस ब्याज का निर्णय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाना है न कि खान और ईंधन मंत्रालय द्वारा। राज्य सरकार वित्त मंत्रालय के पास मामला ले जा सकती है और जिस ब्याज पर रुपया मिल सके वह ले सकती है। इसलिय राज्य सरकार और केन्द्र में कोई अड़चन नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : कोयले के मूल्यों के बारे में क्या हुआ ?

†**श्री तिम्मय्या :** माननीय मंत्री इस के बारे में सूचना देंगे। माननीय सदस्यों ने कहा कि कोयले के मूल्यों का ८ बार पुनरीक्षण किया गया है। कोयला खनक और मालिक तक भी यह कहते हैं कि अब भी मूल्य कम हैं, आदि आदि। यह एक पेचीदा समस्या है जिस की चर्चा माननीय मंत्री करेंगे।

एक माननीय सदस्य ने खानों में प्रयोग में आने वाले यंत्रों का उल्लेख किया। मशीनरी, सामान और तकनीकी कर्मचारियों की कुछ कमी के बावजूद भी मैं कह सकता हूं कि निगम अपनी ओर से जो कुछ संभव हो सकता है कर रहा है और निगम इस वर्ष, के अगले वर्ष के और तृतीय योजना के उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर रहा है। उत्पादन का झुकाव और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कार्य सम्पादन को देखते हुए कहा जा सकता है कि तृतीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों को आवश्य प्राप्त कर लिया जायेगा।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं इस डिमांड पर बोलूं, मैं मंत्री जी से कह देना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं कि उन के ऊपर, या उनकी

†मूल अंग्रेजी में

मिनिस्ट्री के ऊपर दो तरफ से एटेक हो रहा है। एक एटैक सरमायादार लोगों की तरफ से है और उन के अखबारों की तरफ से। उन अखबारों के एडिटोरियल्ज को पढ़ने ही से मालूम होगा कि उनकी नीति क्या है। आज ही सुबह, जब मैं यहां आने की तैयारी कर रहा था, तो एक अखबार मिला **आबजर्वर**। उस में लिखा है : "टूल्ज नीडिड टु कम्बैट कामरेड प्रैस"। "कामरेड प्रैस" मीन्ज **पेट्रियट एंड लिंक**। वे समझते हैं कि चूंकि श्री मालवीय का उन से संबंध है, इसलिये उनको एटैक करना है। केवल सरमायादार लोग ही नहीं हैं। उन के हाथ बहुत दूर दूर तक जाते हैं। सूडो--सरमायादार भी हैं---जो सरमायादार हो रहे हैं। ये जो सरमायेदार अभी हो रहे हैं इनका भी हाथ इसमें है और मिल कर बड़ी खूबी से वे लोग एटैक करते हैं। दूसरा एटैक उन लोगों की तरफ से है जो फास्टेटिड पालिटिशयंज हैं जिनको इलैक्शंज में जनता ने थ्रो आफ कर दिया था, जिनकी पार्टी को थ्रो आफ कर दिया था। वे चाहते हैं कि किसी तरह से कोई न कोई शोशा छेड़े रखें ताकि उनका नाम चमके। जिस पार्टी के लोग आज बहुत जोरों से बोल रहे हैं और उनके दोस्त हम पर एटैक कर रहे हैं, वे वे लोग हैं जिन के नेतागण कभी भी इस हाउस में नहीं आ सकते थे जब तक वे कांग्रेस के साये में वे नहीं आ जाते। हमारे बिहार में ही उनके लिये जगह थी।

आज सुबह आपने देखा है कि एडजोर्नमैंट मोशन भी ये सब मिल कर नहीं ला सके। जितने माननीय सदस्यों की उसके पक्ष में उपस्थिति आवश्यक थी, वे उन्हें पूरे नहीं मिल सके। यह लोगों का उनकी तरफ एटीट्यूड है। लोग क्या चाहते हैं, इसको वे समझ नहीं पाते हैं। अभी पांच बाई इलैक्शन हुये हैं, इनमें लोगों ने उन पर कितना विश्वास व्यक्त किया है, इसको वे अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बावजूद भी वे हमें गाली देते जा रहे हैं, कांग्रेस को गाली देते जा रहे हैं और इंशीडियस प्रापैगंडा करते जा रहे हैं। वे समझते हैं कि गाली देकर वे आगे बढ़ सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि गाली देने से कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, झूठमूठ दोषरोपण से कोई आगे नहीं बढ़ सकता है।

आयल इंडिया रिफाइनरीज़ के बारे में दो इंस्टेंसिस दिये गये हैं। कोई आर्गेनाइतार या नाम की कोई कम्पनी है। मैं जहां तक जानता हूं उस कम्पनी से रूस के साथ तब एग्रीमेंट हुआ था जब आयल इंडिया को इसका गुमान भी नहीं था और इंडियन रिफाइनरीज़ एस्टेबलिश भी नहीं हुई थी। गवर्नमेंट ने उस एग्रीमेंट को कैंसल कराया और उनको जो सप्लाई करना था, उसको अपने हाथ में लिया। न मालूम इस में कौन सी बड़ी बात हुई जिससे इतना वे बिगड़ पड़े।

एक सराजुद्दीन की यहां चर्चा है। कौन है वह मैं यह भी नहीं जानता हूं। बहुत गलत बातें कही जा रही हैं। कभी कहा जाता है कि मिनिस्टर ने अपने हाथ से रुपया लिया और कभी कहा जाता है कि उनके प्राइवेट सैक्रेट्री ने लिया। कई तरह की बातें कही जाती हैं और उनमें कोई स्थिरता नहीं है। बात यह है कि हम लोग भी किसी आदमी की मदद करना चाहते हैं तो उसको चिट्ठी लिख कर दे देते हैं।

श्री ब्रजराज सिंह (बरेली) : इन्होंने कैंडीडेट को पैसा दिलाया था।

श्री द्वा० ना० तिवारी : कैंडीडेट खुद गया था और उसने पैसा लिया। मैं कहना चाहता हूं कि मालवीय जी को सचेत होना चाहिये सरमायेदारों की तरफ से, सूडो-सरमायेदारों की तरफ से भी और फ्रस्ट्रेटिव पालिटिशयंज की तरफ से भी। ये सब मिल कर आपको बदनाम करना चाहते हैं।

आप जानते हैं कि कुछ महीने पहले हमारे देश में कुछ लोगों का ख्याल था कि वे लीडरशिप को बदल सकते हैं। उन्होंने लीडरशिप पर ही जबर्दस्त एटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन

[श्री द्वा० ना० तिवारी]

जब उन्होंने देखा कि यह नहीं चल सकता तो सोचा इन पर नहीं तो दूसरों पर ही सही। उनका मतलब यह नहीं है कि मालवीय जी पर अटैक किया जाये, फलां पर किया जाये, उनका मकसद तो यह है कि कोई न कोई शिगूफा छेड़ते रहो ताकि गवर्नमेंट बदनाम होती रहे. .

†**श्री कपूर सिंह** : क्या फिरोज गांधी ने भी यही काम किया था।

श्री द्वा० ना० तिवारी : आप फिरोज गांधी का नाम ले रहे हैं। कहां राजा भोज और कहां भुजवा तेली।

अब मैं इस मंत्रालय के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं इस मंत्रालय को बधाई देता हूं कि उसने जो टारगेट्स अपने सामने रखे थे, उनको पूरा करने के लिये पूरी पूरी कोशिश की। कोल का टारगेट उसने पूरा किया है। दूसरे प्लान में कोल का टारगेट पूरा नहीं हुआ था, उसमें कुछ शार्टफाल था। उस शार्टफाल को पूरा कर दिया गया है और इस साल उसका टारगेट पूरा ही नहीं हुआ बल्कि टारगेट से भी हम आगे बढ़ गये हैं। इसके लिये वह बधाई के पात्र है। जो प्राइवेट सैक्टर है वह भी बधाई के पात्र है कि उन्होंने जो टारगेट था, उसको पूरा किया। मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट ने उसकी मदद की और उस मदद से फायदा उठा कर उन लोगों ने टारगेट्स को पूरा किया। हम चाहते हैं कि जो टारगेट फिक्स किये जायें वे न केवल पूरे हों, बल्कि उनको हम एक्सीड कर जायें। प्राइवेट सैक्टर में जितना काम हुआ है उससे कम आज पब्लिक सैक्टर में काम हुआ है। जैसा हमारे पार्लियामैंटरी सैक्रेट्री ने कहा कुछ डिफिकलटी थी जिसके कारण कुछ शार्टफाल हुआ पब्लिक सैक्टर में। हम आशा करते हैं कि उस डिफिकलटी पर वह काबू पायेंगे और उसको दूर करेंगे।

एक बात बड़ी सन्देहजनक मालम होती है। हम काफी कोयला पैदा कर रहे हैं। वैगन पोजीशन भी बहुत इम्प्रूव हुई है। इसके लिए रेल मन्त्रालय धन्यवाद का पात्र है और यह मन्त्रालय भी। लेकिन हम देखते हैं कि जितना हम पैदा करते हैं उतना बाहर नहीं भेज सकते हैं। १९६१ में ५५.२८ मिलियन टन पैदा हुआ था लेकिन बाई रेल भेजा गया ४६.३ और बाई रोड ४ मिलियन टन यानी कुल ५०.३ मिलियन टन। इसका मतलब यह हुआ कि करीब ५.२५ मिलियन टन पिट हैड्ज पर रह गया। कैसे यह क्लीयर होगा और कब क्लीयर होगा, पता नहीं। इस तरह से तो शार्टफाल होगा ही। मैं चाहता हूं कि इस पोजीशन को मन्त्री महोदय क्लीयर करें।

१९६२ में भी प्राडक्शन हुआ ६१ मिलियन टन का और भेजा गया बाई रेल ४९.२ मिलियन टन और बाई रोड ५ मिलियन टन, यानी कुल ५४.२ मिलियन टन और बैलेंस रहा ७–८ मिलियन टन। यह किस तरह क्लियर होगा यह समझ में नहीं आता। इसके लिए स्पेशल एफर्ट करना होगा जिसमें हम इसको क्लियर कर सकें और डिस्पैच कर सकें।

दूसरी बात एक्सपोर्ट के बारे में है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे एक्सपोर्ट की तादाद कम हुई है। हमने सन् १९६१ में १.३ मिलियन टन कोयला बाहर भेजा था, लेकिन सन्, १९६२ में यह १.२ मिलियन टन ही बाहर गया। इसको अधिक होना चाहिए था। इसके कम होने का कारण हमको मालूम करना चाहिए और आगे ज्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए।

एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। मन्त्रालय ने बतलाया है कि कुछ इलाकों में नदियों से कोयला भेजा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र बोर्ड महीने में ८०० से लेकर एक हजार टन तक कोयला नदी से भेजता

†मूल अंग्रेजी में

है। ऐसे एरिया में जैसे नार्थ बिहार है, जहां वैगन पोजीशन अच्छी नहीं है, नदी द्वारा कोयला भेजने की स्कीम को एक्सलेरेट करना चाहिए नहीं तो यह स्कीम फेल हो जाएगी।

वाशरीज की हमारे यहां बहुत कमी है और इसकी वजह से अच्छा कोयला कम पैदा हो पाता है जिससे हमारे स्टील प्रोडक्शन का दाम बढ़ जाता है। मेरी प्रार्थना है कि जितनी जल्दी हो सके बाशरीज को बढ़ाया जाए ताकि खर्च में किफायत हो सके और मशीनें भी अच्छी तरह से चल सकें।

एस्टीमेट कमेटी ने यह सजेशन दिया है कि जितनी रिफाइनरीज हैं उनको आइल इण्डिया के साथ अमलेगमेट कर दिया जाए। इससे एफीशेंसी बढ़ेगी और खर्चा भी कम होगा। मेरा ऐसा विचार नहीं है। आगे दिनों में रिफाइनरीज़ का नम्बर बढ़ेगा और आइल इंडिया का बिजनेस भी बढ़ेगा। ऐसी अवस्था में दोनों को मिला देने से एफीशेंसी बढ़ जाएगी ऐसा मैं नहीं समझता। हम देखते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एग्रीकल्चर के लिए और इण्डस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग फाइनेंस कारपोरेशन बना रखे हैं। यह काम रिजर्व बैंक ही कर सकता था और उसमें खर्चा भी कम होता लेकिन अलग-अलग फाइनेंस कारपोरेशन रखने से एफीशेंसी ज्यादा होती है। वैसे ही मैं समझता हूं कि रिफाइनरीज और आइल इंडिया को अलग अलग रखने से ज्यादा एफीशेंसी रहेगी। उनको एक साथ कर देने से खर्चे में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा पर एफीशेंसी कम हो जाएगी। बर्मा शैल वगैरह का नाम लिया जाता है। लेकिन उनकी बात कुछ और है। उनके कारटेल हैं और उनकी मानापली है। लेकिन अभी हमारे यहां प्रारम्भिक काल में अलग अलग कम्पनियों की अलग अलग कंट्रोलिंग एजेंसीज़ होनी चाहिए, नहीं तो हमारी उतनी एफीशेंसी नहीं रहेगी।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** (महासमन्द) : मैं इस मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। मन्त्री महोदय ने अत्यन्त कुशलता से काम किया है जिसके फलस्वरूप पेट्रोलियम और खनिज उत्पादन में क्रान्ति आ गई है।

श्री हेम बरुआ ने जिस प्रकार अचानक ही श्री मालवीय पर कुछ आरोप लगाये यह आश्चर्य-जनक है। उन्हें श्री मालवीय से मिल कर पहले पूरी सूचना प्राप्त करनी चाहिए थी और उनसे बातचीत के पश्चात् कुछ कहना चाहिए था। परन्तु उस प्रकार सब बातें प्रैस के हाथ में दे देना अत्यन्त खेदजनक है। उनके आरोप सारहीन और अनुचित हैं। मुझे आशा है कि श्री हेम बरुआ इस गलती को फिर नहीं दुहरायेंगे।

तेल की खोज श्री मालवीय की सबसे बड़ी सफलता है। श्री मालवीय के कुशल तथा सफल प्रयत्नों के फलस्वरूप अब हम भविष्य में इस खनिज पदार्थ में आत्मनिर्भर होने का स्वप्न ले रहे हैं। उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं।

मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय सभा को सूचित करेंगे कि क्या निगम ३२० लाख टन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। देश की अर्थ व्यवस्था के लिये कोयला उत्पादन अनावश्यक विषय है और बहुत से उद्योग इस पर निर्भर करते हैं। यदि निगम महसूस करता है कि निर्धारित लक्ष्य निश्चित समय में समाप्त नहीं किये जा सकते थे तो इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए। कोयले के उत्पादन के विकास के लिये दूरस्थ कोयला क्षेत्रों का विकास आवश्यक है। मन्त्री महोदय हमें बतायें कि उनके विकास के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं।

इस्पात तथा पैट्रोलियम के उत्पादन से सम्बन्धित कोयला तथा खनिजों के क्षेत्र में औद्योगिक नीति संकल्प को सन्तोषजनक ढंग से कार्यान्वित किया गया है, परन्तु अन्य खनिजों को दृष्टि में रख

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री विद्याचरण गुप्त]

कर कहा जा सकता है कि इस संकल्प को ठीक से कार्यान्वित नहीं किया गया । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने अपने वृहत् कर्तव्यों की दृष्टि से सन्तोषजनक काम नहीं किया है । केन्द्रीय सरकार राज्यों में ऐसे निगम स्थापित करने सम्बन्धी प्रोत्साहन देने में असफल रही है । जिन राज्यों में ऐसे राज्य निगम हैं वह भी उचित सक्रियता से कार्य नहीं कर रहे हैं । अतः यह केन्द्र का कर्त्तव्य है कि कोयला विकास के क्षेत्र में औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार राज्यों को कार्य करने के लिये उचित प्रोत्साहन दे और उन्हें इस संकल्प को कार्यान्वित करने के लिये बाध्य करे ।

इस औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार कुछ आवश्यक खनिजों सम्बन्धी कार्य राज्य द्वारा सम्भाला जाना था । परन्तु वास्तव में इस संकल्प को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा । यही नहीं बल्कि न तो निजी क्षेत्र में लोगों को इन आवश्यक खनिजों के बारे में कार्य करने दिया जा रहा है और न राज्य स्वयं इन कार्यों में विकास के लिये कोई कदम उठा रहे हैं । भारतीय खान कार्यालय ने आंकड़े देकर बताया है कि वर्ष १९६० में देश में खनिजों की खोज सम्बन्धी केवल ४२ क्रियायें की गईं जहां कि गत वर्षों में हजारों व्यक्ति ऐसी खोजों सम्बन्धी क्रियायें करते थे ।

एक अन्य उदाहरण इस ढील का यह है कि वर्ष १९६० में २०१ नई खानें खोदी गईं जिनमें से राजकीय क्षेत्र में केवल ४ थीं ।

भारत में फैरस वर्ग में खनिजों का मूल्य वर्ष १९४८ में २७० लाख रुपये था जो वर्ष १९५६ में बढ़ कर १७१० लाख रुपये हो गया । यदि उस संकल्प को अच्छी प्रकार कार्यान्वित किया जाता तो यह और अधिक बढ़ सकता था । इसका कारण केवल यह है कि निजी क्षेत्र के लोगों को खनिज व्यापार से बाहर निकाल दिया गया और स्वयं सरकार ने इसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया; फलतः खनिज उत्पादन का विकास और इसके मूल्य में वृद्धि उचित नहीं रही ।

वर्ष १९४८ से १९५६ तक अलौह धात्विक खनिज का उत्पादन बढ़ गया था परन्तु १९६० में, जब सरकार ने उसे अपने हाथ में लिया, यह कम हो गया । इन खनिज पदार्थों का बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है । मैं समझता हूं कि यदि सावधानीपूर्वक इस क्षेत्र की ओर ध्यान दिया जाय तो अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है । भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण का प्रतिवेदन देख मुझे विश्वास हो गया है कि यदि उचित ध्यान इस ओर दिया जाय तो निश्चय ही हम इसमें आत्म-निर्भर हो सकेंगे ।

जब से राज्य व्यापार निगम ने इसका भार सम्भाला है खनिजों का निर्यात कम हो गया है । मैं सुझाव देता रहा हूं कि निर्यात व्यापार के लिये एक अलग निगम स्थापित किया जाय क्योंकि वर्तमान निगम इसका भार सम्भालने में असफल है ।

श्री विश्वनाथ रायः (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मिनिस्टरी ऑफ माइंस एण्ड फ्यूल के बजट अनुदानों पर बहस होते समय विरोधी पार्टियों की तरफ़ से उसकी सफलताओं, असफलताओं, उसकी कार्यक्षमता या कमज़ोरियों पर आक्रमण या विवाद होने के बदले यह विवाद व्यक्तिगत ही हो गया है । इसके सम्बन्ध में कुछ कहने के पहले मैं इस हाउस के सामने पुनः इस बात को दुहरा देना चाहता हूं कि अभी अभी प्रजा समाजवादी पार्टी के एक नेता श्री हेम बरुआ ने जो आक्षेप लगाया है वह अगर सत्य निकले और उसके उत्तर में जो मैं कह रहा हूं वह अगर असत्य निकले तो मैं अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफ़ा देकर उनकी पार्टी के किसी भी सदस्य से अपने क्षेत्र में दुबारा व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं ।

इसके पहले कि मैं कुछ इस सम्बन्ध में आगे बढ़ूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मन्त्रालय ने जो काम भारत में किया है वह न केवल अपने देश से सम्बन्धित है बल्कि भारत के बाहर के उस आर्थिक आधिपत्य से भी सम्बन्धित है जिससे आयल कम्पनियों द्वारा उस कमोडिटी के आधिपत्य के नाम पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करने का प्रयत्न किया जाता है।

मैं इसके उत्पादन, वितरण या आगे के कार्यक्रम की चर्चा करने से पहले यह कह देना चाहता हूं कि इस मन्त्रालय द्वारा भारत सरकार की आर्थिक नीति की जो सफलता देश के सामने आई है वह ऐसी है जिसको राजनीति का साधारण भी विद्यार्थी जो होगा वह भी उससे इंकार नहीं कर सकता है। लेकिन इस सदन में विरोधी दल के जिम्मेदार नेता कहलाने वाले माननीय सदस्य भी इस तरह से आक्षेप करते हैं जैसे कि सूर्य के ऊपर बच्चे धूल फेंकते हैं और अपनी आंखों में ही उस धूल को डाल लेते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बतलाना चाहता हूं कि भारत में स्वराज्य होने के समय से या उसके बाद भी प्रथम पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने के समय तक जितना उत्पादन तेल का इस देश में होता था उसके मुक़ाबले में अब यहां कई सौ प्रतिशत अधिक तेल का उत्पादन हो रहा है।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : दाम भी चौगुना हो गया है।

श्री विश्वनाथ राय : जब ख़र्च बढ़ेगा, तो दाम भी ज्यादा होगा और वह देना पड़ेगा।

विदेशी कम्पनियों का जो आधिपत्य भारत पर और भारत के बाहर भी था, उसको भी हिलाने का प्रयत्न इस मंत्रालय ने किया। यद्यपि इस मंत्रालय को जितनी सहानुभूति, जितनी सहायता और जितना धन मिलना चाहिये था, उतना उसको प्राप्त नहीं हुआ, तब भी उसके द्वारा उत्पादन बढ़ाये जाने और आगे के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग के कार्यक्रम चलाए जाने के फलस्वरूप उन कम्पनियों का आधिपत्य ज़रूर ढीला हुआ। यही नहीं कि वे कम्पनियां यहां पर अपना प्रयास करती रहीं, बल्कि मुझे खद के साथ कहना पड़ता है कि भारत के कुछ समाचारपत्र ऐसे भी हैं, जो राष्ट्रीय हित पर ध्यान न दे कर विदेशी कम्पनियों के साथ कोलेबोरेशन के लिए, विदेशी पूंजी के साथ काम करने के लिए, विदेशी कम्पनियों के हित के दृष्टिकोण से भी कभी-कभी चर्चा करते हैं। यदि इस देश में अपने आर्थिक स्वार्थ के कारण अख़बारों में इस तरह की बातें आ सकती हैं ---चाहे जान में, चाहे अनजान में---जिनसे अपने राष्ट्रीय प्रयास को धक्का लगे, तो यह सही है कि ऐसे विरोधी दलों के इस तरह के ग़ैर-ज़िम्मेदार आक्रमण को भी हम आश्चर्यजनक नहीं समझते हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

बहरहाल, विदेशी कम्पनियों की बात को यहां पर ही छोड़ कर मैं कहना चाहता हूं कि तेल का उत्पादन, रिफ़ाइनरीज़, एक्सप्लोरेशन का कार्यक्रम, यह सब जितना कुछ इस समय हो रहा है, क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय कोई इस तरह की बात थी ? इस के बारे में माननीय सदस्य आंखें बन्द न करें। यह सत्य तो सब के सामने है। कई साल पहले इसी सदन में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से बताया गया था कि १९४७, बल्कि १९५१ में तेल का जितना उत्पादन हो रहा था, उस से कई सौ प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है।

कोयले के बारे में कई माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि एन० सी० डी० सी० के द्वारा जो कोयला निकाला जा रहा है, वह टारजेट से कुछ कम रहा है। लेकिन जितना उत्पादन बढ़ा है और जो सफलता इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई है, उसको वे भूल जाते हैं। १९६२-६३ का कोयले के उत्पादन का टारजेट ६२०.८ लाख टन था, लेकिन उस टारजेट से बीस लाख टन अधिक उत्पादन हुआ है।

[श्री विश्वनाथ राय]

यह कोई कही-सुनी बात नहीं है, यह सरकारी आंकड़ों का अनुमान है। जहां तेल का उत्पादन कई सौ प्रतिशत बढ़ा है, वहां कोयले का उत्पादन भी बढ़ा है।

यह कहा जा सकता है कि कोयले के वितरण में कुछ कमज़ोरी है, कोयले की खानों पर घोयला पड़ा रहता है और उसको हटाने के लिए पर्याप्त वैगन नहीं मिलते हैं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश की आर्थिक व्यवस्था बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है और उस बढ़ते हुए उत्पादन के लिए अधिक यातायात के साधनों की भी आवश्यकता है। यातायात के साधन बढ़ रहे हैं, लेकिन उत्पादन को दृष्टि में रखते हुए वे पर्याप्त नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि एन० सी० डी० सी० के साधनों में क्या कमी है, उसके सामने क्या कठिनाई है और टारजेट में जो बहुत थोड़ी सी, नाम-मात्र की, कमी रही है, वह क्यों हुई है। सम्भव है कि आगे जो रिपोर्ट आए, उस में यह कमी भी पूरी हो जाये।

जहां तक ट्रांस्पोर्ट का सम्बन्ध है, दो रोज़ पहले ट्रांस्पोर्ट मंत्रालय की डिमांड्ज़ पर बोलते हुए मैंने कहा था कि ट्रक्स वग़ैरह का विशेष इन्तज़ाम कर के नदियों और सड़कों से भी कोयला भेजने का इन्तज़ाम किया जाये। उस सम्बन्ध में मैं ज़रूर अपने क्षेत्र की कठिनाइयों के बारे में मंत्रालय से शिकायत करूंगा। उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका आज से नहीं, बहुत दिनों से पिछड़ा हुआ है। १९५२ से इस सदन में मैं अनेक बार, हर साल, हर सेशन में, सरकार का ध्यान इस तरफ़ आकर्षित करता रहा हूं। उस तरफ़ अभी पर्याप्त कोयला नहीं मिल रहा है, जो एक ग़रीब इलाका है और जहां हर साल बाढ़ आती है।

इसके बाद मैं माननीय सदस्य, श्री हेम बरुआ, द्वारा कही गई कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूं : उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी के प्राइवेट सेक्रटरी ने जा कर सराजुद्दीन एंड कम्पनी से रुपया लिया। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि अगर वह इस बात को साबित कर दें, तो मैं भी इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस के जिन सदस्यों के लिए रुपया लिया गया, उनमेंसे एक शिड्यूल्ड कास्ट्स के उम्मीदवार थे, एक मुसलमान थे और एक जेनेरल सीट के उम्मीदवार थे। यह नहीं कि दस हज़ार रुपये ले कर वे बैठ गए। उन्होंने भाई-चारे के नाते वह रुपया आपस में बांट लिया और चुनाव लड़े। उनको ऐसा इसलिए करना पड़ा कि उनको अमरीका से रुपया नहीं मिल सका। माननीय सदस्य १९५७-५८ की बात करते हैं, वह १९६२ की बात नहीं करते हैं, जब कि अमरीकन पैसा ख़र्च किया गया और पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र के लिये एक इटलियन जर्नलिस्ट कहलाने वाली महिला के द्वारा वह रुपया प्राप्त किया गया।

कहा जाता है कि हमारे सदस्य किसी पूंजीपति से रुपया मांगते होंगे। अवश्य मांगते हैं। आज से नहीं, हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता के लिए चलाए जाने वाले विप्लवी क्रान्तिकारी आन्दोलन के समय से---जिसका एक छोटा-मोटा सदस्य होने का मुझे भी अवसर मिला था---कांग्रेस का यह इतिहास रहा है कि हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों से या ग़रीबों से पैसा ले कर आन्दोलन चलायें, चुनाव लड़ें या और सार्वजनिक काम करें या अपने खाने के लिए भी लें। लेकिन विदेशी पूंजी को ले कर हिन्दुस्तान का कोई आन्दोलन चलाना और चुनाव लड़ना राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है और इसको उस ने कभी नहीं किया। यह चुनौती है। अगर वह इसको ग़लत साबित कर दें, तो जो कुछ मैंने अभी कहा है, मैं उस के लिए तैयार हूं।

†**श्री सुरेनथ द्विवेदी** : वह चुनौती दे रहे हैं कि अमरीकन राशि . . . .

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री विश्वनाथ राय : माननीय सदस्य बैठ जायें । मैं कोई ग़लत बात नहीं कह रहा हूं । मैं ज़िम्मेदारी के साथ हाउस में ये बातें कह रहा हूं ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** यह अत्यन्त गहन आरोप हैं ।

श्री विश्वनाथ राय : यह राष्ट्रीय हित की बात है । यदि कोई भी पार्टी विदेशी पूंजी को ले कर बढ़ना चाहेगी और अपने आप को सबल बनाना चाहेगी, तो वह देश के सामने गिरेगी और ज़रूर गिरेगी ।

हम मानते हैं कि हमारे सदस्य ग़रीब होंगे और उन्होंने रुपया लिया है । जहां तक श्री मालवीय का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने उनके बारे में मिनिस्टर के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप में कहा । वह जानते हैं कि वह एक कान्ट्रोवर्शल फ़िगर हैं । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने आज से नहीं, बल्कि १९२१ से बचपन में ही ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में काम करना शुरू किया और वह इस सदन में बम फेंकने वाले भगतसिंह के दल के सदस्य थे । उस समय से ले कर १९४६ तक वह ब्रिटिश साम्राज्य के ख़िलाफ़ व्यक्तिगत रूप से भी लड़ते रहे । माननीय सदस्य को शायद मालूम नहीं होगा, इसलिए मैं उनको याद दिला दूं कि १९४२ में यू० पी० में जो सब से बड़ा आन्दोलन चला, उसके बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि "केशव देव मालवीय उत्तर प्रदेश की गड़बड़ के लिये उत्तरदायी थे" ऐसे जब-जब कंट्रोवर्सी हुई तब तब-वह ऊंचे उठे--नीचे नहीं गिरे ।

लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पूंजीवादी अख़बारों और तबकों के आक्षेपों और अमरीकी पूंजीपतियों के पैसे से चलने वाली पार्टी के प्रचार के बावजूद उनकी स्थिति ऊंची हुई है और देश का विश्वास उन पर बढ़ा है । उनके मंत्रालय ने जो सफलता देश के सामने रखी है, उस पर भले ही कीचड़ उछाला जाये, लेकिन जो उत्पादन बढ़ा है, उस से इन्कार नहीं किया जा सकता है । हम ने माननीय सदस्य को चुनौती दी है कि वह अपनी बात को साबित कर के दिखायें ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** प्रेस में यह सूचना थी कि माननीय सदस्य के निर्वाचन-क्षेत्र में एक अमरीकन दूतावास की स्त्री ने धन खर्च किया था । मैंने प्रधान मंत्री को भी इस बारे में सूचित किया था और उन्होंने केवल यह बताया कि अमरीकन स्त्री द्वारा धन व्यय करने वाली बात गलत थी, परन्तु दूसरी बात के बारे में उन्होंने जांच कराने का वादा किया था । अभी उन का उत्तर नहीं आया है । **(अन्तर्बाधायें)**

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति ।

श्री डागड़ी : अध्यक्ष महोदय, खान और ईंधन मंत्रालय की खर्च की मांगों पर काफी देर से चर्चा चल रही है । इधर से भी और उधर से भी मालवीय जी, जो हमारे मंत्री हैं, की बहुत इज्ज़त अफ़ज़ाई हो रही है । मैं तो उनको बड़ा आदमी समझता हूं । उनके बारे में मैं आप की मार्फत सदन से अर्ज़ करना चाहता हूं कि उन बेचारों का क्या दोष है, क्या गुनाह है, क्यों माननीय सदस्य उनके पीछे पड़े हैं । फ़र्ज़ करो कोई दोष है और उन्होंने दस हज़ार रुपया किसी कम्पनी से ले लिया है तो यह कोई बड़ी रकम नहीं है जिसके लिए उनकी इतनी नुक्ताचीनी की जाये । यह बहुत छोटी बात है । अगर इस तरह से दस हज़ार की रकम लेना जुर्म समझा जाता है तो वह प्रधान मंत्री जी के सामने आ चुका है । अगर यह पाप है तो फिर मालवीय जी का पाप नहीं है । अगर रिश्वत है, भ्रष्टाचार है तो यह रिश्वत और भ्रष्टाचार रहेगा ही । यह चीज़ कबिनेट में आ चुकी है, पार्टी मीटिंग

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बागड़ी]

में आ चुकी है और अगर इसको रिश्वत और भ्रष्टाचार समझा जाता है तो मैं समझता हूं कि मालवीय जी से ज्यादा हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री इसके लिए जिम्मेवार हैं जिन्होंने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया और उनको खुद को इस्तीफा दे देना चाहिये। अगर यह जुर्म है तो इस पर उन को इस्तीफा दे देना चाहिये। इस जुर्म की जिम्मेवारी प्रधान मंत्री पर आ जाती है और उनको त्यागपत्र देना चाहिये। अब तो सारी बात उनके सामने है।

इस पर ज्यादा न कहते हुए मैं दूसरे विषय पर आता हूं। न इस्तीफा लो और न दो। अगर इस को मान लिया जाये कि दस हज़ार रुपया लिया गया है तो किसी इलेक्शन में कोई भी एम० एल० ए० पांच हज़ार से अधिक खर्च नहीं कर सकता है। अब अगर उसने किया है तो इसके खिलाफ इलेकशन पेटीशन हो नहीं सकती है। अब इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए कि क्या लिया है और क्या दिया है। मैं अर्ज़ करूंगा कि जो खानें हैं उनकी क्या हालत है, उनमें जो काम करने वाले हैं, उनकी क्या हालत है, इसको आप देखें, उनके अन्दर मजदूरों की हालत बड़ी खराब है। मालवीय जी सोशलिस्ट हैं, कांग्रेस के अन्दर वह इस नाम से जाने जाते हैं . . .

श्री तुलशीदास जाधव (नांदेड़) : अध्यक्ष महोदय, उनको मालवीय जी कह कर सम्बोधित नहीं किया जाना चाहिये, बल्कि माननीय मालवीय जी कहा जाना चाहिये। यह तरीका पुकारने का सही नहीं है। यह सम्माननीय हाउस है।

अध्यक्ष महोदय : इस में सब से ज्यादा कसूरवार मैं ठहराया जाऊंगा क्योंकि मैं हमेशा बागड़ी जी कहता हूं। अच्छा हो अगर हम एक दूसरे को ज्यादा सम्मानपूर्वक बुलायें। इस में हमारी अपनी इज्ज़त है।

श्री बागड़ी : हमारे मालवीय जी को सोशलिस्ट शब्द से बहुत स्नेह है और कांग्रेस में और सरकार में भी वह अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं। उन्होंने एक सोशलिस्ट फोरम भी बना रखा है कांग्रेस में। मैं उन से निवेदन करूंगा कि खानों के अन्दर जो मजदूर हैं, उनकी हालत को सुधारने की तरफ वह विशेष ध्यान दें। पाताल में रह कर वे लोग काम करते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई का भी कोई सन्तोषजनक प्रबन्ध होना चाहिये। उनकी सेहत का जितना खयाल होना चाहिये, नहीं हो रहा है। बिहार में जो शराब के ठेके की दुकानें हैं वे मजदूर जहां काम करते हैं, उनके सामने हैं। जिस दिन उनको तनख्वाह मिलती है, वे गरीब लोग शराब खरीदने चले जाते हैं। सुना है कि केन्द्रीय सरकार ने बिहार की सरकार को लिखा था कि ये जो ठेके हैं, इनको आगे से वहां से हटा दिया जाय और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो कम से कम तनख्वाह वाला दिन तो ड्राई दिन घोषित किया जाए, सूखा दिन घोषित किया जाय। लेकिन बिहार की सरकार ने इसको नहीं माना है। बिहार की सरकार को जो पैसे का मोह है, जो माल का लोभ है, उसको वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उस को फिक्र है कि उस में कमी न पड़ जाय। यहां पर गरीब लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है, वहां उनको माल में कहीं कुछ फर्क न पड़ जाय, इसका फिक्र है। यह जो चीज़ है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

मैं यह भी चाहता हूं कि प्राइवेट जो कम्पनियां हैं, चाहे वह कोयले की हों, तेल की हों, पेट्रोल की हों, सब को नैशनलाइज़ कर दिया जाये।

बातें तो हमारी सरकार सोशलिज्म की बहुत करती है, तकरीरें तो बहुत होती हैं, लेकिन इसका पैमाना हमारी सोशलिस्ट सरकार में यह है कि वह महकमा तरक्की कर गया जिसकी कीमत बढ़ गई, जिस चीज़ से उसका सम्बन्ध है, उस चीज़ की कीमत बढ़ गई या जो चीज़ मिलनी

बन्द हो गई। जब तेल मिलना मुश्किल हो गया तो तेल तरक्की कर गया, तेल की कीमतें बढ़ गईं तो वह तरक्की कर गया। कोयला मिलना मुश्किल हो गया या उसकी कीमतें बढ़ गईं या उसकी दुकानों के सामने लम्बी-लम्बी कतारें लगनी शुरू हो गईं तो वह तरक्की कर गया। आप देखें कि एक तरफ तो कोयला खानों में पड़ा है और दूसरी तरफ लोगों को मिलता नहीं है और वह तरक्की कर गया। अगर आप सोशलिस्ट अपने को कहते हैं तो सोशलिज्म का कोई काम करो, जिस से सोशलिज्म आये, उस का कोई तरीका ढूंढो, कोई समाजवादी तरीका अपनाओ। ये जो पम्प हैं, ये जो डिपो हैं इनको जो आप ने दो ढाई सौ कुनबों को दे रखा है और उनका ही आप पेट भर रहे हैं इस के बजाय गरीब आदमियों की, दलित वर्गों की, हरिजनों की सोसाइटीज़ बना कर के उन लोगों को आप दो।

जो जमीनें एक्वायर की जाती हैं और इस में जिन लोगों को उजाड़ा जाता है उनको ठीक तरह से दुबारा बसाया नहीं जाता है, उनको ठीक कम्पेंसेशन नहीं दिया जाता है। मद्रास के अन्दर पांच हज़ार को आप ने उजाड़ा और उन में से केवल छः सौ को ही बसा पाये। इस हिसाब से तो आठ दस साल हमारी सोशलिस्ट सरकार को लगेंगे तब जा कर वह उनको बसा पायेगी। खुदा ही हाफ़िज़ है, ऐसी सोशलिस्ट सरकार का। मैं चाहता हूं कि एक तो उनको जल्दी से ठीक तरह से बसाया जाना चाहिये और दूसरे उनको पूरा मुआवज़ा देने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

पैट्रोलियम गैस के बारे में अब मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में यह जाया जाती है। जैसलमेर की साइड में, राजस्थान में, पाकिस्तान की सरहद के नज़दीक यह गैस मिल सकती है और उसको आप अपने काबू में कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाय।

नहरों से कोयला ढोने की बात भी की जाती है। कब यह काम पूरा होगा और कैसे पूरा होगा, कुछ पता नहीं। पुल ऐसे बन रहे हैं जो इस काबिल नहीं हैं। अगर यह स्कीम बनती है तो इन पुलों को दुबारा तोड़ा जायेगा। कब यह स्कीम कामयाब होगी, कब सिरे चढ़ेगी, कुछ पता नहीं। मेरा सुझाव है कि दरियाओं और नदियों पर जो पुल आप बनायें वे इस बात को ध्यान में रख कर बनायें कि वहां से जहाज़ों और किश्तियों से आप को कोयला भेजना है और वह वहां से जा सके।

समाजवाद की एक और बात मैं कहना चाहता हूं। जिन को पंद्रह सौ टन से अधिक कोयला लेना होता है, वे तो खानों से ही ले सकते हैं लेकिन जिनको इस से कम लेना होता है वे वहां से नहीं ले सकते हैं, उनको इसकी इजाज़त नहीं होती है। कैसा यह समाजवाद है, पता नहीं चलता है। क्या इसका मन्तक है, समझ में नहीं आता है। छोटे लोगों को सहूलियत दो, कम शक्ति वाले को सहारा दो, तब जा कर समाजवाद आयेगा। जोरावरों को मदद देने से समाजवाद नहीं आ सकता है।

तेल की जो कीमतें बजट में मुकर्रर की गई हैं, उसके पहले और उस दौरान में कितना पैसा ब्लैक में गया है, कितना पैसा जनता का लूटा गया है, इस को भी आप देखें। इस से बड़ा धोखा शायद किसी भी जनतांत्रिक राज्य में नहीं हो सकता है। जनतांत्रिक राज्य तो क्या किसी भी फासिस्ट राज्य में, किसी भी शहनशाही राज्य में नहीं हो सकता है। इतना बड़ा डाका गरीब आदमियों की जेब पर नहीं डाला जा सकता है, जितना इस बीच में डाला गया है। मैं हिसार की बात कहता हूं। वहां पर हज़ारों गैलन मिट्टी का तेल एक रात में गायब हो गया। एम० पी० लोगों को भी दो तीन दिन तक एक बोतल भी तेल की नहीं मिली थी। इस तरह से जो मुनाफा बड़े लोगों ने उठाया उसकी भी आप को रोकथाम करनी चाहिये थी।

[श्री बागड़ी]

मालवीय जी के इस्तीफे का जहां तक सम्बन्ध है, इसको लेने देने की बात बन्द कर दो और अगर इस्तीफा लेना ही है तो प्रधान मंत्री का लो क्योंकि वह जिम्मेवार हैं, उनके सामने सारी बात आ चुकी है। विदेशों से विपक्ष वालों को कौन पैसा देने वाला है और अगर कोई दे तो ले लो। अमरीका मदद दे रहा है और उसको आप ले ही रहे हैं। लक्ष्मी मेनन विदेशों से अनाज मांगती फिरती थीं। विपक्ष को कौन देने वाला है और आप को अगर कोई दे तो ले लो।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कहां से मिलेगा।

†**श्री पु० र० पटेल** (पाटन) : जिस प्रकार गत पांच वर्षों में इस मंत्रालय ने तेल के क्षेत्र में कार्य किया है उसके लिये मैं बधाई देता हूं। विदेशी तेल और विदेशी सार्थों पर अब हमें कम निर्भर करना पड़ रहा है।

गुजरात राज्य को देश की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है। हम बम्बई तेल शोधनालय को प्रति दिन १२०० टन तेल भेज रहे थे। १-१२-६२ से हम १५०० टन तेल सम्भरित कर रहे हैं। प्रतिवेदन के अनुसार मार्च १९६३ में २००० टन तेल भेजना आरम्भ किया जायेगा।

देश की रक्षा की दृष्टि से तेल अत्यन्त महत्वपूर्ण पदार्थ है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि गुजरात में खुदाई के कार्यों की गति और बढ़ाई जाय। सूरत-पालनपुर क्षेत्र में तेल के कुएं मिलने की आशा है।

मैंने सुना था कि कोयाली शोधनालय में गुजरात सरकार का भी १५ अथवा २५ प्रतिशत अंश होगा, परन्तु अब यह कहा जा रहा है कि यह अंश नहीं दिया जायेगा। मैं अनुरोध करता हूं कि गुजरात सरकार को इस शोधनालय में अंश अवश्य दिये जायें।

मैंने सुना है कि कालोल में चार कुओं का परीक्षण हो रहा है। इस विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध की जानी चाहिये।

इनरोदा में एक कुएं की खुदाई हुई थी। पूछने पर मुझे बताया गया था कि वहां पर कुछ तेल पाया गया है। परन्तु इस शब्द "कुछ" से कितनी मात्रा का अभिप्राय है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसका कुछ स्पष्टीकरण दिया जाय।

ये दो स्थान गांधी नगर में हैं, जिसे कि गुजरात सरकार ने अपनी राजधानी के लिए चुना है। वहां दो कुओं की खुदाई में दो वर्ष से अधिक लग गये हैं। यदि इस गति से काम होता रहा, तो मालूम नहीं कितना समय लगेगा। मैं मंत्रालय से कहूंगा कि वह गुजरात को अपनी नई राजधानी बनाने की अनुमति दे दे।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि मेहसाना और ओरपद पर तेल निकाले जाने की क्या संभावना है।

अंकलेश्वर में पाई जाने वाली प्राकृतिक गैस का अवश्य उपयोग होना चाहिये और इसका मूल्य भी उचित निर्धारित किया जाना चाहिये। मैं यह जानना चाहूंगा कि आसाम में दी जाने वाली गैस का मूल्य क्या है और मंत्रालय गुजरात में गैस देने के क्या मूल्य लेना चाहता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : मैं खान और ईंधन मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। मंत्रालय के प्रतिवेदन और मंत्री के काम को देखते हुए, मुझे यह कहने में हर्ष होता है कि वर्तमान मंत्री ने अपना काम उचित रूप से किया है। उन्होंने देश में तेल की खोज के लिए कदम उठाये हैं और प्रयत्न किया है कि हमारे अपने तेलशोधक कारखाने लगाये जायें, ताकि हम अपने संसाधनों पर निर्भर हो सकें।

भूगर्भीय सर्वेक्षण के सम्बन्ध में, मराठवाड़ा के उस भाग में, जिसे विदर्भ कहा जाता है, अग्रेतर सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां खनिज पदार्थ मिलने की संभावना है।

यवतमाल के जिले में पेनगंगा और वर्धा के बीच और राजूर में यदि उन पुराने स्थानों का उचित सर्वेक्षण किया जाये, तो कई स्थानों पर कोयला मिल सकता है। लोहा अयस्क और अन्य खनिज भी मिल सकते हैं। राजूर में एक सीमेंट का कारखाना लगाया गया था, किन्तु ये अब छोड़ दिया गया है। मैं इन स्थानों की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं और चाहता हूं वहां जो कुछ मिल सकता है, उसके लिए, सर्वेक्षण किया जाये।

†**श्री राजेश्वर पटेल** (हाजीपुर) : खान और ईंधन मंत्रालय ही एक ऐसा मंत्रालय है जो काफी समय से सरकारी क्षेत्र के विकास की आवश्यकता पर जोर देता रहा है। यह गैर-सरकारी क्षेत्र के इस प्रयत्न का विरोध करता है कि वह खनन उद्योगों और तेल की खोज में अधिक हिस्सा प्राप्त करे। इसलिए हमें आश्चर्य हो रहा है कि चौथा तेल शोधक कारखाना गैर-सरकारी क्षेत्र में क्यों लगाया जा रहा है। कहा गया है कि एक विदेशी समवाय को इसलिए इससे सम्बद्ध किया गया है क्योंकि विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं थी। यदि सरकार के पास इस उद्योग के लिए भी विदेशी मुद्रा नहीं है, तो औद्योगिक विकास कार्यक्रम कैसे पूरा किया जायेगा। एक निजी कम्पनी——डकन ब्रदर्ज को पूंजी ढांचे में काफी हिस्सा दिया गया है। यदि उस का हस्तक्षेप अधिक नहीं होगा, फिर भी प्रबन्ध में उन का बड़ा हाथ होगा।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों में कहा गया है कि कई गुटों, व्यक्तियों और हितों ने मंत्रालय के सरकारी क्षेत्र के कार्यों में बाधा डाल दी है। इंडियन आयल कम्पनी को घाटा हो रहा है, जबकि वितरण करने वाले लाखों का लाभ कमा रहे हैं।

स्थानों के चुनाव के विषय में, बरौनी तेल शोधन कारखाने को २ करोड़ रुपये की हानि हुई है। दूसरी बात यह है कि योजना ठीक समय पर नहीं बनाई जाती, जिस के कारण न केवल सूद की बल्कि सामान के आयात के मामले में भी हानि होती है।

हाल ही में कोयला आयुक्त ने एक निदेश जारी किया है कि खानों में प्रयोग किये जाने वाले धड़ाके वाले पटाखों का संभरण न किया जाये। इस के परिणामस्वरूप अभ्रक उद्योग को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। सरकार को यह प्रकट करना चाहिये कि कोयला आयुक्त ने किसके अधिकार से यह निदेश जारी किया है।

*श्री **इम्बिचिबाबा** (पौन्नाणि) : दक्षिण में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में, मैं कहूंगा कि केरल में कोचीन इस के लिए बहुत उपयुक्त स्थान है। सरकार को इस आशय की एक घोषणा कर देनी चाहिये, ताकि लोगों के मन में अब भी जो संदेह है, वे दूर हो जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

*मूल मलयालम के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित

[श्री इम्बिचिबाबा]

केरल में खनिज संसाधनों का पता लगाने के लिये पूरी खोज करने की आवश्यकता है। कोचीन के समुद्र तट के साथ साथ नराक्कल के स्थान पर तेल के निक्षेपों की भी खोज की जानी चाहिये। ग्रैफाइट की खोज त्रिवेन्द्रम जिले में की जानी चाहिये। इस तरह राज्य के अन्य भागों में अभ्रक, जिप्सम और लौह-अयस्क के मिलने की संभावना है। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि राज्य में पाये जाने वाले खनिज पदार्थों की खोज के लिए कदम उठाये जायें। केरल में चीनी मिट्टी के खनन में एक संकट आ गया है, क्योंकि वहां बहुत सी मिट्टी जमा हो गई है। यह मिट्टी बहुत बढ़िया किस्म की है। सरकार को विदेशी मिट्टी के आयात पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये। ताकि केरल में उपलब्ध मिट्टी का औद्योगिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाये और खनन उद्योग की रक्षा की जा सके।

†**श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा** (खम्मम) : मैं माननीय मंत्री को उन के काम के लिए बधाई देती हूं। मैं उन का ध्यान आंध्र प्रदेश की ओर दिलाना चाहती हूं, जो कि खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस राज्य में पाये जाने वाले कुछ खनिज राष्ट्रीय महत्व के हैं और इन को विकसित किया जाना चाहिये। इनमें से एसबेस्टोस, जरकोनियम, कोयला, सोना, तांबा, ग्रैफाइट, अभ्रक, लोह-अयस्क कुछ एक हैं।

सिंगारेनी कोयला खानों का विस्तार किया जाना चाहिये। इन खानों के उत्पादन से दक्षिण रेलवे की सारी आवश्यकतायें पूरी नहीं हो सकीं उसके लिए बिहार और बंगाल की खानों से कोयला मंगवाना पड़ता है। यदि आंध्र की कोयला खानों का उत्पादन बढ़ा दिया जाये, तो दक्षिण रेलवे की आवश्यकतायें पूरी की जा सकती हैं।

आंध्र प्रदेश की आवश्यकता तीसरी योजना के अन्त तक २० लाख टन हो जायेगी। इसलिए कोयला खान उद्योग के विस्तार के लिए एक दीर्घकालीन योजना की आवश्यकता है। यदि अनन्तपुर जिले में रामगिरि क्षेत्र का पूरा पूरा सर्वेक्षण किया जाये, तो हमारी सोने की आवश्यकतायें पूरी हो सकती हैं।

खनिज पदार्थों की खोज के लिए सूराख करने के उपकरणों की कमी है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिये।

आंध्र प्रदेश में गैस के संसाधन भी बहुत हैं। आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा किये गये प्रयोगों से यह प्रकट होता है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को उस स्थान पर खोज कर के प्रयोग करने चाहियें जहां पर विश्वविद्यालय ने किये हैं।

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं सत्तारूढ़ दल तथा विरोधी दलों के उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया है और निर्धारित नीति को क्रियान्वित करने का अनुरोध किया है, यद्यपि इस की कई दिशाओं से आलोचना की गई है। मुझे विश्वास है कि इस सभा के द्वारा बनाई गई नीति के सम्बन्ध में हम ने जो कदम उठाये हैं, उन्हें सभा का बहुमत से समर्थन प्राप्त है, चाहे कुछ सदस्य गुस्से में आ कर जो चाहें कह दें।

सरकार की समाजवादी नीति को क्रियान्वित करने का महत्वपूर्ण कार्य न केवल मेरे मंत्रालय का है, बल्कि अन्य मंत्रालयों का भी है। हम मानते हैं कि कई बार हम गलतियां करते हैं और मतभेद होते हैं, जिस से हम तेजी से अपने लक्ष्य की ओर उतनी तेजी से नहीं बढ़ सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुझे एक विवादास्पद व्यक्ति समझा जाता है । किन्तु मैं इस आरोप को भी मानता हूं क्योंकि मुझे इससे यह शक्ति मिलती है कि मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि मैं इस नीति पर चलता रहूं, जब तक कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में कुछ ठोस काम नहीं कर पाता ।

मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं कि कांग्रेस के आदेशों से प्रेरित हो कर, मैं और मेरे जैसे व्यक्ति समाजवाद की नीति पर चलते रहेंगे चाहे हमारे ऊपर अन्दर से या बाहर से आक्षेप किये जायें और हम किसी की धमकियों से डर कर झुकेंगे नहीं ।

समाजवाद का प्रश्न हमारे लिये जिन्दगी और मौत का प्रश्न है । यह सिद्धान्तों का प्रचार करने या उपदेश देने का प्रश्न नहीं है । मुझे शक नहीं है कि देश की और लोगों की वर्तमान अवस्था में कोई दूसरा तरीका नहीं जो हमें विपत्ति, गरीबी और गड़बड़ी से बचा सके ।

मैं यह बताना चाहूंगा कि पिछले ६ या ७ या ८ वर्षों से हम ने देश के खनिज संसाधनों की खोज और उपयोग में प्रशंसनीय काम किया है । १९५१ में खनिज का उत्पादन ८५२ लाख रुपये का हुआ । १९५६ में यह १०६९ लाख रुपये का था । १९६२ में इनका मूल्य १,७४३ लाख रुपये हो गया था । १९५६ में लोहा अयस्क का उत्पादन ४९.७ लाख टन था और १९६२ में यह १३८ लाख टन हो गया था । कोयले का उत्पादन ५०५ लाख रुपये से १,१७३ लाख रुपये हो गया है । आज कोयले का अभिलिखित उत्पादन ६२० लाख टन से भी अधिक हो गया है । मेरा अपना अनुमान है कि वास्तविक उत्पादन इस से ४० लाख टन अधिक है । यह पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों से ५० या ६० लाख टन अधिक है ।

भारतीय खान ब्यूरो में १९५९ में कुल टेक्नीशियनों की संख्या ५९ थी । मार्च, १९६३ में इनकी संख्या बढ़ कर ३८४५ हो गयी । भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण में १९५१ में ६५० भूतत्ववेत्ता तथा सहायक इंजीनियर इत्यादि थे । मार्च, १९६२ में इनकी संख्या बढ़ कर ६,५७६ हो गयी । भारतीय सर्वेक्षण विभाग विश्व के सबसे कुशल विभागों में से एक है । इसे विदेशियों की भी प्रशंसा प्राप्त हुई है ।

पहिले कोयला उत्पादन की सारी प्रणाली ही त्रुटिपूर्ण थी । उससे कोयला उद्योग को हानि पहुंचती थी । भूमि के नीचे जो कोयला जला दिया जाता है उससे बहुत बर्बादी होती है । कोयले की इस बर्बादी का कारण यह था कि कुछ लोग कोयला उत्पादन में निजी कारणों से दिलचस्पी रखते थे उन्हें राष्ट्र हित में कोई दिलचस्पी नहीं थी । उस समय कोई खान नियम, प्रदर्शक सिद्धान्त नहीं थे । परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय ईंधन और शक्ति की भयंकर हानि हुई । फलस्वरूप हमें कई नियम तथा उपनियम बनाने पड़े हैं क्योंकि यदि हम नियम नहीं बनायेंगे तो इससे खनन हानिकारक तथा असफल होगा ।

अतः जब हम खनन उद्योग तथा खानों का मशीनीकरण कर रहे हैं तो हमें चाहिये कि नियमों तथा विधियों के पाबन्द हों जिससे कि कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके । कोयला उद्योग की हालत बहुत जटिल है अतः हम वहां मिश्रित अर्थव्यवस्था को लाने का प्रयत्न कर रहे हैं । हम कोयला उद्योग को अधिकाधिक प्रोत्साहन दे रहे हैं । तथा सभा को कुछ बुनियादी तथ्यों की ओर ध्यान देना चाहिये ।

भारत में लगभग ९०० कोयला खानें हैं । इन में केवल २०० या ३०० खानें इतनी बड़ी हैं जहां यंत्रों का प्रयोग होता है तथा अनुशासन का पालन कर सकती हैं । अतः हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि इन छोटी कोयला खान के मालिकों में बुद्धि आये तथा वे इन कोयला खानों का इस प्रकार संचालन करें कि इस उपयोगी पदार्थ का देश के हित में अधिकाधिक उपयोग हो सके तथा बर्बादी कम से कम हो ।

[श्री के० दे० मालवीय]

प्राक्कलन समिति ने भारतीय तेल समवाय की आलोचना की है, एक विरोधी सदस्य ने यह कहा हैं कि उन्होंने कुछ गलत सौदे किये हैं। उदाहरणार्थ भारतीय तेल समवाय और हिन्दुस्तान आर्गेनाइजर्स समवाय के बीच एक ऐसा ही सौदा हुआ है। निस्संदेह प्राक्कलन समिति ने इस सम्बन्ध में कई बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। हम आगामी कुछ महीनों या सप्ताहों में प्राक्कलन समिति के सुझावों पर विचार करेंगे। उन्होंने जिस सम्बन्ध में मुख्य आलोचना की वह इसे समवाय का हिन्दुस्तान आर्गेनाइजर के साथ समझौता है। समझौते में कोई असाधारण बात नहीं थी। जो भी समझौता किया गया उससे भारतीय तेल समवाय को भी उतना ही लाभ मिल जितना कि उस कम्पनी को।

भारतीय तेल समवाय मई १९६० में नियमित किया गया था। तथापि इसे टेंक सुविधा पहिले पहल १९६० में प्राप्त हुई। यह बम्बई के एन्टच पहाड़ पर स्थित प्रतिरक्षा विभाग के टेंक थे। समवाय को दिसम्बर, १९६१ में कांडला व बम्बई में टेंकों की सुविधायें प्राप्त हुईं। अतः यदि हमें कुछ तेल प्राप्त करना होता तो हमें टेंक सुविधा चाहिये थी। १९५९ में हिन्दुस्तान आर्गेनाइजर्स ने भारतीय तेल समवाय से यह समझौता किया कि वह मिट्टी तेल व एच० एस० डी० वही की मात्रा खरीदने को तैयार है इसके बदले में वे समवाय द्वारा खरीदी गयी वस्तुओं की बिक्री, गोदामोंमें रखने तथा उस की निकासी का कार्य करेंगे। भारतीय तेल समवाय के रूसी संगठन से कोई समझौता करने के पूर्व हिन्दुस्तान आर्गेनाइजर्स ने बिग सरकार की मंजूरी के सीधे आयात के लिए उनसे समझौता कर लिया। सरकार की नीति के विरुद्ध होने पर सरकार ने इस फर्म को लायसेंस जारी करने से इंकार कर दिया। जब रूस के अधिकारियों के समक्ष इस मामले का स्पष्टीकरण किया गया तो उन्होंने सरकार के रुख की प्रशंसा की तथा फलस्वरूप सीधे आयात समझोते को क्रियान्वित नहीं किया गया।

भारतीय तेल समवाय ने रूस के निर्यात सँगठन से १९६० में समझौता किया। उस समय समवाय के पास काफी वितरण या गोदाम क्षमता नहीं थी। इस समझौते के फलस्वरूप भारतीय तेल समवाय को रूस से वस्तुओं के आयात करने तथा उन्हें देश में वितरित करने का अधिकार मिल गया।

यहां यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि हिन्दुस्तान आर्गेनाइजर्स ने रूस के साथ हमसे पहिले ही समझौता कर लिया था। उन के पास बन्दरगाह में टेंक सुविधायें थी। तथा रूस की सरकार उन को कुछ चीजें बेचने को इच्छुक थी। मुझे इन चीजों का कोई पता नहीं था क्योंकि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय व्यापार संतुलन में दिलचस्पी रखता था तथा वे नीचे ही नीचे मेरे मंत्रालय से बातचीत कर रहे थे। जब मुझे यह बात मालूम हुई तो मैंने यह बात तुरंत अस्वीकार कर दी कि एक गैर-सरकारी फर्म को किस प्रकार एक विदेशी सरकार के साथ व्यापार में एकाधिकारिता दी जा रही है। मैंने इस सँबँध में रूस के राजदूत से बातचीत की तथा इस समझौते का पुनरीक्षण करना पड़ा। तथा उसे अमल में नहीं लाया गया।

[अ यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उस समय हम इतना ही कर सकते थे कि उन्हें आयात का लायसेंस दिया जाये। तथा हमने उस की शर्तों को अधिक से अधिक अपने अधीन बनाने की कोशिश की जिससे कि भविष्य में भी रूस का सहयोग व सहकार बना रहे।

इस समझौते से हमें तत्काल ही बहुत लाभ प्राप्त हुआ। हमने हिन्दुस्तान आर्गेनाइजर्स की टेंक सुविधाओं का उपयोग किया। हिन्दुस्तान आर्गेनाजर्स को किया जाने वाला कुल आयात उनके ही तटीय संस्थापनाओं पर भी उतरना था तथा भारतीय तेल समवाय को इन मुख्य सँस्थापनाओं

प्रशासन तथा वितरण में बिल्कुल भी व्यय नहीं करना पड़ा अतः हिन्दुस्तान आर्गेनाइजर्स को उत्पादों पर बिक्री में ३ प्रतिशत का कमीशन देना उपयुक्त समझा गया। अतः यह कहना गलत है कि उन्हें बहुत मुनाफा दिया गया। इसके साथ में भारतीय तेल समवाय को रूस के साथ समझौते पर अमल करने दिया गया। इसके लिए हम हिन्दुस्तान आर्गेनाइजर्स के कृतज्ञ हैं।

भारतीय तेल समवाय की इस कारण भी आलोचना की गई है कि उसने हिन्दुस्तान आर्गेनाइजर्स को ६ महीने तक ऋण संबंधी सुविधायें दीं। भारतीय तेल समवाय को ये रियायतें रूस से प्राप्त हुई थीं।

इसके अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं था तथा यह कार्य बुरी नीयत से नहीं किया गया था। १९६० में समवाय की स्थिति के अनुसार, समवाय इससे अच्छी शर्तें नहीं प्राप्त करती थी। कई कठिनाइयां थी जैसेकि टेंक सुविधाओं का निर्माण करना अतः हमें इस प्रकार का समझौतापूर्ण रवैया अख्तियार करना पड़ा।

१९६१-६२ में समवाय की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी हो गयी थी। फल यह हुआ कि हिन्दुस्तान आर्गेनाइजर्स को एच० एस० डी० का सँभरण बँद कर दिया गया तथा मिट्टी के तेल पर रियायत ८ प्रतिशत कम कर दी गई।

हिन्दुस्तान आर्गेनाइजर्स पुरानी शर्तों को कायम रखना चाहते थे। लेकिन हमने इन्कार कर दिया। इससे मुकदमेबाजी हुई तथा साथ साथ बातचीत भी चलती रही। परिणामस्वरूप हमने उनसे एच० एस० डी० का वितरण ले लिया तथा रियायत को x से घटा कर x–३ कर दिया।

अतः मैं दूसरी बात को लेता हूं यह कहा गया कि हिन्दुस्तान आर्गेनाइजर्स को सहकारिताओं के बराबर रियायतें दी गयी हैं। उस समय भारतीय तेल समवाय सहकारी समितियों से २०५ रु० किलो लिटर के हिसाब से लेती थी। तथापि भारतीय तेल समवाय हिन्दुस्तान आर्गेनाइजर्स से १०३.३७ नये पैसे लेता था अर्थात १०१.६३ नये पैसे कम लेता था इस का यह कारण था कि उन्हें रु० ६८.६५ नये पैसे भाड़े के, तथा अन्य व्यय ९५.८३ रु० देने होते थे इस प्रकार उन्हें जो लाभ होता था वह केवल रु० ५.८० नये पैसे होता था। दायले कमीशन ने जो लाभ राशि निश्चित की थी वह रु० ८.७७ नये पैसे थी जबकि हिन्दुस्तान आर्गेनाइजर्स को केवल रु० ५.८० नये पैसे दिया जाता है।

जैसे ही हम अपने पैरों पर खड़े होने लगे उन्होंने हमसे मुकाबला करना शुरू कर दिया तथा एच० एस० डी० को उठाने से इन्कार कर दिया। जब उन्होंने समझौते का उल्लंघन करना शुरू किया तो समवाय ने यह समझौता रद्द कर दिया। तब मुकदमा हो गया। अन्त में उन्हें समझौता करने पर राजी होना पड़ा। उक्त करार को संदिग्ध और धांधलीपूर्ण कहा गया है मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य इसे समझ गये होंगे तथा अब वे इसे नहीं दुहरायेंगे। अतः इस सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की राय उचित नहीं थी।

अब मैं शोधनशालाओं के प्रश्न को लेता हूँ। हम अनुसूचि से पीछे हैं। तथापि इस कार्यक्रम को गतिशील करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। तथापि हम अब भी देश के कई गैर-सरकारी क्षेत्रों से कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। अभी हम इस क्षेत्र में केवल १० वर्ष से काम कर रहे हैं। अतः उसकी इतनी कटु आलोचना नहीं की जानी चाहिये। यदि आप हमें १० वर्ष का और समय दें तो हम आप को दिखा सकते हैं कि हम न केवल देश में बल्कि विश्व में सबसे कुशलतापूर्वक काम कर सकते हैं। हमारे नवयुवक टेक्नीशियन बहुत शीघ्र ही काम सीखते हैं। अतः इस प्रकार की आलोचनाओं से उन्हें हतोत्साह करना ठीक नहीं है। आप भले ही मुझे कुछ भी कहें। अतः हमें सरकारी क्षेत्रों के प्रति इतना अनुदार नहीं होना चाहिए। हमें आलोचना का भय नहीं है। हम समाजवादी ढांचे के समाज पर विश्वास करते हैं।

[श्री के० दे० मालवीय]

नूनमती शोधनशाला में कई कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। मिट्टी तेल का एकक ठीक से काम नहीं कर रहा है। हम त्रुटियां दूर करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। तथापि यह बड़ी टेक्नीकल समस्या है। इस का कारण यह है कि अशोधित तेल तथा शोधनशाला के रूपांकन में बुनियादी भेद हो गया है। वस्तुतः टेक्नीशियनों को भी पता नहीं लगा है कि त्रुटि कहां पर है। उनका परस्पर मतभेद है। प्राक्कलन समिति भी इस का पता नहीं लगा सकती है।

†**एक माननीय सदस्य** : वे भी राजनीतिज्ञ हैं।

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां, वे भी राजनीतिज्ञ हैं। मुझे आशा है कि हम इन त्रुटियों को दूर कर देंगे और यदि इसके लिए आवश्यकता हुई तो हम किसी की सहायता भी लेंगे। हमें आशा है कि कुछ ही सप्ताह में तेल शोधक कारखानों में सामान्य रीति से काम होने लगेगा।

एन० सी० डी० सी० की आलोचना में यह कहा गया है कि कोयले के निजी उद्योग में सरकारी उद्योग की अपेक्षा अधिक उत्पादन हुआ है। इसमें कोई सँदेह नहीं। हम इस का सराहना करते हैं कि उन्होंने लक्ष्य से अधिक उत्पादन किया है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश का कोयला घटिया है और उस में राख बहुत अधिक होती है और हम छोटी खानों से यह अनुरोध नहीं कर सकते कि वे कोयले को साफ करें और अधिक अच्छा बनायें। अतः एन० सी० डी० सी० के लिए बहुत जटिल समस्या है क्योंकि उसे आधुनिक उपायों के अनुसार खानों को यंत्रीकृत करना है, काफी पैसा लगाना है और यातायात को आधुनिक बनाना है। गैर-सरकारी उद्योग पचास साठ या सत्तर वर्ष से काम कर रहा है। उसे तो केवल आस पास के क्षेत्र में खानों का विस्तार करना है और उत्पादन में वृद्धि करनी है जब कि हमें प्रारम्भ से शुरू करके आधुनिक तकनीक को अपनाना है। अतः हमें कुछ और समय लगेगा तो भी हमारा उत्पादन केवल ८.७ लाख टन कम है। मेरा निजी विचार है कि हम तीसरी योजना के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकेंगे किन्तु फिर भी योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो जायगी। हम आजकल ६६० या ६७० लाख टन कोयले का उत्पादन कर रहे हैं और हमें केवल ३०० या ३१० लाख टन की वृद्धि करनी है। मुझे विश्वास है कि एन० सी० डी०सी० और गैरसरकारी उद्योग प्रयत्न करके ९७० लाख टन के लक्ष्य से अधिक उत्पादन कर देंगे। हम पौलेंड, अमरीका और इँग्लैंड के विशेषज्ञों की सहायता से खानें खोदने का प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु आज जिस खान को शुरू किया जाय वहां पूरे जोरों पर काम ७ वर्ष बाद होगा। एन० सी० डी० सी० की करनपुर की खान में पूरे जोरों पर काम शुरू हो गया है और वहां ६० या ६५ लाख टन कोयले का उत्पादन हो सकता है किन्तु क्योंकि रेलवे प्रतिदिन ७ $^{१}/_{२}$ रेक का संभरण नहीं कर सकती अतः हम वहां से सारा कोयला नहीं उठा सकते। वे योजना के अन्त तक लाइनों इंजनों आदि का काम पूरा कर लेंगे। इस प्रकार खानों के तैयार होने और रेल व्यवस्था में कुछ असँतुलन है। दोनों कार्यों में समन्वय तो है और हम वर्ष प्रति वर्ष अधिक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। यह कार्य ५, ६ वर्ष पहले आरम्भ हुआ था और यातायात को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। यातायात पाइप लाइनें बिछाई जा रही हैं और नदी परिवहन आदि भी शुरू किया जा रहा है। आशा है शीघ्र ही एन० सी० डी० सी० अधिक विश्वास के साथ कह सकेगा कि वह लक्ष्य को पूरा कर लेगा।

यदि कोयला धोने के कारखाने स्थापित नहीं होते तो भी कोयले का उत्पादन बढ़ाने का कोई लाभ नहीं। एन० सी० डी० सी० कई खानों में उत्पादन बढ़ा सकता है किन्तु वह कोयला घटिया होगा और इस्पात कारखानों के लिए उपयोगी नहीं होगा। अतः रेलवे, कोयला साफ करने के कारखानों

†मूल अंग्रेजी में

और खानों के विकास का कार्य साथ साथ होना चाहिये । हम इस कार्यक्रम को त्रुटिहीन बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और चौथी योजना के आरम्भ में निश्चित रूप में सरकारी उद्योग क्षेत्र का काम संतोषजनक हो जायगा ।

तेल उद्योग के सम्बंध में सामान्य नीति के बारे में मुझे कुछ शब्द कहने हैं । श्री पु० र० पटेल ने गुजरात और रुद्रसागर में इस सम्बंध में काम का उल्लेख किया था । तेल की खोज का काम तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कर रहा है । चौथी और पांचवी योजनाओं में ३००, ४०० या ७०० लाख टन तेल के प्रयोग की संभावना है । इसलिए हम जोरदार खोज कर रहे हैं । गुजरात में कुछ सफलता मिली है । वहां कुछ मात्रा में तेल उपलब्ध हुआ है ।

श्री पटेल ने कलोल के बारे में जानकारी देने के लिए कहा था । वहां चार पांच कुएं खोदे गए हैं और उन सब में तेल मिला है । ३० जून तक काफी कुएं खुद चुके होंगे और फिर बैठक होगी । तब अंदाजा लग सकेगा कि कितना तेल उपलब्ध होने की संभावना है और तब मैं इस बारे में कुछ कह सकूंगा ।

उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और कावेरी के मैदान में इस कार्य को बढ़ाया जा रहा है । हमने इटेलियन और जर्मन पार्टियों से बातचीत की है । रूसियों ने भी कुछ काम करने की सहमति दे दी है । इस प्रकार अनेक पार्टियां और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग इस सम्बंध में काम करेगा ।

श्री जे० आर० मेहता ने जेसलमेर के काम के विलम्ब का उल्लेख किया था । मरुभूमि में खोज कार्य अत्यधिक विशेषज्ञतापूर्ण होता है । सीमा पर पाकिस्तान में कुछ गैस उपलब्ध हुई है और हमें इस ओर के प्रदेश में अधिक आशा है और कुछ समय बाद फ्रांसीसी पार्टियों के साथ बातचीत सफल होने पर काम आरम्भ हो जायेगा । यदि यह बातचीत सफल न हुई तो और पार्टियां ढूंढेंगे । मैं कह नहीं सकता कि कब यह विलम्ब दूर होगा ।

तेल शोधन की क्षमता की समस्या विवादास्पद है जिस के कारण मुझे दुःख है। मेरे अनेक योग्य साथियों और विपक्षी दल के लोगों को इस नीति की प्रभावशीलता के बारे में संदेह है । मैं जानता हूं कि मेरे योग्य साथी यह समझते हैं कि सरकारी तेल शोधक कारखानों में विस्तार करना बुद्धिसंगत नहीं है किन्तु सरकार का यही निर्णय है और हम औद्योगिक नीति संकल्प का अनुसरण करते हुए तेल सम्बंधी नीति के महान प्रयोजन के हेतु कार्यान्वित करेंगे । यह दृष्टिकोण सैद्धान्तिक नहीं है किन्तु ठोस कारणों पर आधारित कुछ भावनाएं हैं । आप यह नहीं कह सकते कि तेल का राजनीति से सम्बंध नहीं । इस सम्बंध में दूसरे देशों का इतिहास देखें कि वहां क्या हुआ है । किन्तु मैं तेल और राजनीति को नहीं मिलाना चाहता । हम तो हर व्यक्ति की जो औद्योगिक नीति संकल्प के ढांचे को मानने के लिए तैयार हैं, सहायता चाहते हैं । एक अमरीकी कम्पनी ने इसे स्वीकार कर लिया है ।

मुझे यह बताते हुए हर्ष होता है कि हमको चीन में अमरीकी फर्म फिलिप्स इंटरनेशनल के सहयोग से तेल शोधक कारखाना स्थापित कर रहे हैं । इस करार के गुणावगुणों के बारे में एक खामोश आन्दोलन चल रहा है ।

इस करार की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं । उन्होंने हमारा ५१ प्रतिशत हिस्सा स्वीकार कर लिया है उन का हिस्सा २८ प्रतिशत होगा और शेष हिस्सा अभी हमें बांटना है ।

इसके और भी कई लाभ हैं जिन्हें मैं अभी बताना नहीं चाहता । मेरे विचार में यह सब से अधिक लाभदायक विचार है और करार पर हस्ताक्षर हो जाने पर सभा को विश्वास हो जायगा कि हमें इस सौदे में लाभ हुआ है और हमने उन लोगों के लिए अवसर उपलब्ध कर दिये हैं जो हमारी

[श्री के० दे० मालवीय]

औद्योगिक नीति को स्वीकार करना चाहते हैं । यह सराहनीय कार्य है और सफलता मंत्रालय में मेरे सहयोगियों की सहायता के कारण प्राप्त हुई है ।

हमें अशुद्ध तेल अधिक सस्ता मिलेगा तेल वितरण के स्वतंत्र अधिकार मिलेंगे इस के खाते में अधिक तेल मिलेगा और अनेक लाभ होंगे जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ ।

मैं दो बड़े तेल समवायों का बड़ा आभारी हूं किन्तु वे इस बात पर नाखुश हैं कि मैंने उन्हें बम्बई में विस्तार क्षमता नहीं दी । मैं ऐसा नहीं कर सकता । देश के हित और समाजवाद को मान्यता देने वाले कोई तीन सदस्य मुझ से मिल लें । मैं उन्हें विश्वास दिला दूंगा कि इन शोधन कारखानों को विस्तार की अनुमति देने से कम्पनी और बरौनी के तेल शोधक कारखानों को बहुत हानि पहुंचती ।

किन्तु लोगों को मुझ से नाराज नहीं होना चाहिये । मेरे विचारों पर अविश्वास नहीं करना चाहिये और नीति के विरुद्ध गलत धारणाएं नहीं फैलानी चाहियें । साम्यवादी मित्र कुछ भी कहें किन्तु हमें अपनी शान्ति, लोकतंत्र और तटस्थता की नीति पर गर्व है और हम इस आक्रमण काल में उन सब देशों से सहयोग की कामना करते हैं जो हमारी नीति को स्वीकार करते हैं । किन्तु यदि हमारी इच्छा पर संदेह किया जायेगा तो और स्वार्थपूर्ण राजनीति को इस में प्रविष्ट किया जायगा तो हम उस का विरोध करेंगे । सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे हमारी नीति को गलत न समझें और हमारी सहायता करें जिस से अन्य देश औद्योगिक नीति संकल्प को स्वीकार कर लें । कुछ समाचारपत्र निरन्तर हमारी नीति के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं किन्तु वे एक दिन अनुभव करेंगे कि वे अज्ञानवश गलती पर थे । शेख मुहम्मद की तेल योजना नामक लेख में लिखा है :

"यह निश्चित खतरा है जिस की पर्याप्त पूर्ति श्री मालवीय को सूली पर चढ़ा देने से भी नहीं होगी" ।

वे सभवत: पश्चिम एशिया के तेल क्षेत्र के किसी शेख मुहम्मद से मेरी तुलना कर रहे हैं और उस दिन की प्रतिक्षा में हैं जब मेरी भी मुहम्मद जैसी हालत होगी । यह "फाइनेंशल एक्सप्रेस" का लेख है । मैं आलोचना का स्वागत करता हू । मैं उन्हें उत्तर भी देता रहा हूं किन्तु उन का कहना है कि सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम का पूरा होना एक चमत्कार होगा । वे सरकार की सचाई, योग्यता और क्षमता पर अविश्वास करते हैं । उन्हें संदेह है कि सरकार ४७·५ लाख से बढ़ा कर ७२·५ लाख उत्पादन कर लेगी या नूनमाटी में ७·५ से १२·५ लाख टन, बरौनी और नेवेली में २० से ३० लाख टन और कोचीन में २५ लाख टन तक उत्पादन वृद्धि हो सकेगी । ये पत्र भद्दी भाषा में गलत लक्ष्य दे कर आलोचना कर रहे हैं । दिल्ली के कुछ दैनिक पत्र कुछ विदित स्वार्थों की खातिर झूठा प्रचार कर रहे हैं । "एनल्स आफ कलेक्टिव एकानिमी" नामक पुस्तक में एक अर्थशास्त्री श्री देवड़े ने लिखा है कि युद्धोत्तर काल में राष्ट्रीयकृत उद्योगों के संबध में जनता की यही धारणा रही है कि ये उद्योग रूढ़िवादी दल के शक्ति सम्पन्न लोगों के हाथ में रहेहैं और रूढ़िवादी मंत्री उन पर लगाये गये आरोपों से उनकी रक्षा करते रहे हैं और सरकारी धन से लोकमत को प्रभावित करने का प्रयत्न करते रहे हैं । यदि मैंने कभी सरकारी धन को इसहेतु प्रयोग किया है तो मैं इस अपराध को निश्शंक स्वीकार करूंगा । हम इस प्रकार की आलोचना से परिचित हैं और यह अनेक रूपों में होगी । किन्तु मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इन तेल शोधक कारखानों का विस्तार किया जायेगा और इन का उत्पादन लक्ष्य बढ़ाया जायगा । इसे प्राप्त करने में ही सरकारी उद्योग क्षेत्र की प्रतिष्ठा है । आप का सहयोग अपेक्षित है । यदि यह मिल जाय तो फिर यदि कोई अपरिहार्य संकट उपस्थित न हुआ तो हम आवश्यक कार्य को सम्पन्न कर दिखायेंगे । श्री हेम बरुआ मुझ पर क्रुद्ध हुए थे किन्तु मैं उत्तेजित नहीं था । किन्तु मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं ।

†**श्री हेम बरुआ :** मैंने व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। मैंने तो उन की अभ्यर्थना ही की थी। यदि मैंने उत्तेजना में कुछ कहा है तो मुझे उस के लिए खेद है।

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं इसे भूल जाऊंगा। उन्होंने उड़ीसा सिराजुद्दीन के मामले में आरोप लगाया था। संभवत: श्री हेम बरुआ को उनके मित्रों ने गलत परामर्श दिया था अत: मैं इस गलत धारणा को दूर करना चाहता हूं। उन के आरोप थे कि उड़ीसा की राज्य सरकार क्रोम की खान का पट्टा देने के विरुद्ध थी किन्तु हमने कहा कि भारत सरकार अनुसूचित धातु के लिए पट्टा देना चाहती है। दूसरे राजस्व की वसूली के सम्बध में राज्य सरकार अपने विनियम लागू करना चाहती थी किन्तु भारत सरकार ने उनसे वसूली का समय बढ़ा देने के लिए कहा था।

मैं इन के बारे में बहुत कुछ कह सकता हूं। ये आरोप सर्वथा गलत हैं। श्री बरुआ और श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी को तो नहीं क्योंकि उनके भाव अब द्वेषपूर्ण हैं किन्तु मैं प्रजा सोसलिस्ट पार्टी के सदस्य श्री नाथपाई को खुली छूट देता हूं कि वे इस मामले सम्बंधी फाइल को देख सकते हैं और यह जान सकते हैं कि वसूली का समय बढ़ाने का क्या कारण था। वे विधि सम्बंधी पहलू से जांच कर राय बना सकते हैं और यदि आप चाहें तो इन बातों को समझने में सहायता दे सकते हैं।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर): मेरे प्रति इस निष्ठा के लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं किन्तु मैं महान्यायवादी के संवैधानिक कार्यों में दखल नहीं देना चाहता।

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं इन सामान्य समस्याओं को यहां नहीं लेना चाहता था, जिन के बारे में प्रधान मंत्री को लिखा गया है कि वे महान्यायवादी को परामर्श दें। श्री हेम बरुआ ने किसी के परामर्श से ऐसी बात कही थी कि सभा ने यह अब ग्रहण किया होगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। अत: मैं अपने आचरण का स्पष्टीकरण दे रहा हूं ताकि मैं माननीय सदस्य जिन के लिए मेरे मन में अगाध सम्मान का भाव है फाइलों को देख कर इन लोगों को बता दें कि आरोप अनुचित था।

बरौनी के सम्बंध में मुझे खेद है कि वहां गड़बड़ हुई और काम रुका हुआ है मैं ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले श्रमिकों से अपील करता हूं कि वे काम को बंद न करें क्योंकि बरौनी की प्रगति रुक जायेगी। हम श्रमिकों की मांगों को समझते हैं। उन्हें कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। हम सीमित सुविधाओं से संतुष्ट नहीं और काफी सुविधाओं का निर्माण कर रहे हैं। बिहार सरकार विवाद के न्यायिक निर्णय के लिए तैयार हो गई है। अत: श्रमिकों को काम पर आ जाना चाहिये। यदि फिर भी कोई बात होगी तो मैं बिपक्षी दल के कुछ मित्रों को ले कर वहां जाऊंगा और आपस में बैठ कर फैसला कर लेंगे। किन्तु यदि काम की प्रगति को कायम रखना है तो इस संकट के समय अधिक दबाब नहीं डालना चाहिये।

इंडियन आयल कम्पनी के सम्बंध में समिति ने कुछ अच्छी बातें कही हैं और यह कम्पनी विकसित होगी। १९६२-६३ की बिक्री बहुत अच्छी रही है। गत वर्ष की अपेक्षा बिक्री तीन गुना हो गई है। उपभोगता पक्ष ७६ से बढ़ा ४०३ कर दिये गये हैं और डिपुओं की संख्या १४ से बढ़ा कर ६६ कर दी है। १९६१-६२ में मुख्य स्थापनाओं की क्षमता १,३२,००० टन थी जो मार्च १९६३ में ३,१५,००० टन हो गई थी। संचालन लागत ४०·०६ रुपये प्रति किलोमीटर से घटा कर दामले समिति की सिफारिश से अधिक अर्थात् २८ रुपये कर दी है। प्रशासन में सुधार कर दिया गया है और बिक्री सम्बंधी प्रशिक्षण कार्य जोरों पर है।

यह कम्पनी केवल सरकारी विभागों और सरकारी उपक्रमों को ही तेल का सामान नहीं देती बल्कि देश की रक्षा के लिए भी सामान देती है और सीमा सड़क संगठन और हवाई अड्डों पर इस का

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० दे० मालवीय]

काम हो रहा है। लगभग दो वर्ष में हम शेष कम्पनी को छोड़ कर सब से अधिक तेल की वस्तुओं का संभरण करने लगेंगे। व्यय भी बढ़ेगा। इस वर्ष भी इतना पैसा बच गया है जिस से सरकार के कर दिये जा सकेंगे।

†**डा० रानेन सेन :** क्या फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी के साथ करार करने से पूर्व अन्य सरकारों से भी ऐसे करार के बारे में पूछा गया था ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** करार की घोषणा के समय मैं परिस्थितियों के बारे में बताऊंगा। मैं समझता हूं इस से अच्छा करार नहीं हो सकता था।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा खान और इंधन मन्त्रालय की लिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७८	खान और इंधन मंत्रालय	२२,७८,०००
७९	भूतत्वीय सर्वेक्षण	३,८०,८०,०००
८०	खान और इंधन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	११,२२,४५,०००
१३६	खान और इंधन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	४८,०६,८२,०००

सदस्य की रिहाई

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें हैदराबाद से आन्ध्र प्रदेश की सरकार के उप-सचिव से दिनांक ६ अप्रैल, १९६३ का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिस में यह बताया गया है कि श्री कोल्ला वेंकय्या को, जिन्हें २१ मार्च, १९६३ को १५ दिन के पैरोल पर जेल से रिहा किया गया था, ६ अप्रैल, १९६३ से ५ दिन तक और पैरोल पर रहने की अनुमति दे दी गई है।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, १३ अप्रैल, १९६३/२३ चैत्र १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, ११ अप्रैल, १९६३ / २१ चैत्र, १८८५ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३९८३—४००९
	तारांकित प्रश्न संख्या	
८२१	स्वास्थ्य बीमा योजना	३९८३—८४
८२२	विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन	३९८४—८६
८२३	कोपिली जल विद्युत् परियोजना	३९८६—८७
८२४	नेफा में अस्पताल	३९८७—८९
८२५	दिल्ली में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा	३९८९—९१
८२६	बनारस के लिये पीने के पानी का सम्भरण	३९९२—९५
८२७	सोने का तस्कर व्यापार	३९९५—९७
८२८	सुनारों द्वारा आत्महत्या	३९९७—९९
८२९	भारत में नदी बेसिन सर्वेक्षण के लिये अमरीका के विशेषज्ञ	४०००—०२
८३०	मकान बनाने के लिये ऋण	४००२—०४
८३१	व्यापार यात्रा के लिये विदेशी मुद्रा	४००४—०५
८३२	नर्मदा घाटी प्राधिकार	४००५—०६
८३३	दिल्ली में फालतू बिजली	४००६—०८
८३४	ब्रिटेन से तीन करोड़ पौंड का ऋण	४००८—०९
८३५	उड़ीसा के लिये सोना	४००९
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	४०१०—४०३७
	तारांकित प्रश्न संख्या	
८१९	विदेशी मुद्रा की रक्षित निधि	४०१०
८२०	वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट	४०१०
८३६	केन्द्रीय आवास बोर्ड	४०११
८३७	सोने के आभूषणों का निर्माण तथा निर्यात	४०११—१२
८३८	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक औषधालय	४०१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१७४५	उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	४०१२
१७४६	निवृत्ति वेतन के संराशिदान के नियम	४०१२–१३
१७४७	उद्योगों के लिये तरल सोना	४०१३
१७४८	१४ कैरेट के सोने को लोकप्रिय बनाना	४०१३--१४
१७४९	सिंचाई और जल-निस्सारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस	४०१४
१७५०	केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के दौरों पर व्यय	४०१४
१७५१	उड़ीसा में मध्यम सिंचाई परियोजनायें	४०१५
१७५२	उड़ीसा में आवास	४०१५
१७५३	उड़ीसा में हैजा और प्लेग	४०१६
१७५४	उड़ीसा में केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनायें	४०१६
१७५५	उड़ीसा में राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास	४०१७
१७५६	अन्दमान द्वीप समूह में आवास योजना	४०१७
१७५७	तुंगभद्रा जलाशय	४०१८
१७५८	आवास योजनायें	४०१८
१७५९	राज्य वित्त निगम	४०१८–१९
१७६०	मैडिकल कालेज, बीकानेर	४०१९
१७६१	सरकारी कार्यालयों का स्थानान्तरण	४०२०
१७६२	विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिये भारत का अंशदान	४०२०
१७६३	स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों के साथ व्यापार में भारत का भुगतान शेष	४०२०–२१
१७६४	मद्रास में बकाया आयकर	४०२१
१७६५	केरल में साइलेट घाटी परियोजना	४०२१
१७६६	चोनी सिक्कों का पकड़ा जाना	४१२१–२२
१७६७	भविष्य निधि	४०२२
१७६८	चंडीगढ़ के निर्माण के लिये केन्द्रीय सहायता	४०२२
१७६९	होशियारपुर में अल्प बचत	४०२२
१७७०	कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	४०२३
१७७१	गुड़गांव नहर	४०२३
१७७२	पान में खजूर की गुठली का प्रयोग	४०२३
१७७३	पुनर्वास अनुदान	४०२४
१७७४	कस्टम हाउस के एजेण्ट	४०२४–२५

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१७७५	वारंगल मैडिकल कालेज	४०२५
१७७६	नगरीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम	४०२५
१७७७	बर्मा से आने वाले भारतीयों के लिये भारतीय मुद्रा	४०२५–२६
१७७८	पंजाब में आयुर्वेदिक विकास	४०२६
१७७९	दिल्ली में चोरी से लाये गये सामान की बरामदगी	४०२६
१७८०	नागार्जुन सागर परियोजना	४०२६–२७
१७८१	ओवरा (उत्तर प्रदेश) में बिजली-घर	४०२७
१७८२	आन्ध्र प्रदेश पीने का पानी सप्लाई करने की योजनायें	४०२७
१७८३	कनाड़ा के लिये भारतीय उद्योगपतियों का शिष्टमंडल	४०२८
१७८४	भारत में तार्पाय बिजलीघर	४०२८
१७८५	चाय पर सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	४०२८--२९
१७८६	गंगा नहर का पानी	४०२९
१७८७	अमृतसर के पास माल का चोरी छिपे व्यापार	४०२९–३
१७८८	केरल में नगरीय जलपूर्ति योजनायें	४०३०
१७९०	ग्रामीण क्षेत्रों के लिये चिकित्सा स्नातक	४०३१
१७९१	दिल्ली को पंजाब और उत्तर प्रदेश से पानी	४०३२
१७९२	केरल को निवेली से बिजली का दिया जाना	४०३२
१७९३	देहली विद्युत् संभरण संस्थापन	४०३३–३७

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों को ध्यान दिलाना— ४०३७

अध्यक्ष महोदय ने नागा विद्रोहियों द्वारा रेलवे लाइन के उड़ाये जाने और रेल गाड़ी पर गोली चलाये जाने के कथित समाचार के बारे में, जिसके फलस्वरूप ६ व्यक्तियों को मृत्यु हो गई और २७ व्यक्तियों को चोटें आयीं, एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना सर्वश्री स० मो० बनर्जी और हेम बरुआ ने दी थी, पेश करने की अनुमति दे दी ।

तत्पश्चात् श्री स० मो० बनर्जी ने प्रस्ताव पेश करने के लिये सभा की अनुमति मांगी और आपत्ति उठाये जाने पर अध्यक्ष महोदय ने उन सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाने के लिये कहा जो अनुमति दिये जाने के पक्ष में थे । चूंकि पचास से कम सदस्य खड़े हुए अतः अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि सदस्य को सभा की अनुमति प्राप्त नहीं हुई ।

विषय		पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र—		४०३७—३८
(१) विभिन्न अधिवेशनों में, जो प्रत्येक के सामने बताये गये हैं, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्न-लिखित विवरणों की एक-एक प्रति :—		
(एक) विवरण संख्या १	चौथा सत्र, १९६३ (तीसरी लोक-सभा)	
(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ४	दूसरा सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)	
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ६	दूसरा सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)	
(चार) अनुपूरक विवरण संख्या ९	पहला सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)	
(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या ७	सोलहवां सत्र, १९६२ (दूसरी लोक-सभा)	

(२) सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत, सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधि-सूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ३० मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ५३० ।

(दो) दिनांक ३० मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ५३१ ।

(तीन) दिनांक ६ अप्रैल, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ५९८ ।

(३) सीमाशुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केंद्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत, दिनांक ३० मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५३२ की एक प्रति, जिसमें दिनांक १९ जनवरी, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १०१ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(४) सीमाशुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

विषय **पृष्ठ**

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(जारी)

(क) दिनांक ३० मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ५३३ ।

(ख) दिनांक २८ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ५६९ ।

(ग) दिनांक २९ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ५७० ।

(घ) दिनांक ३० मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ८९१ ।

(ङ) दिनांक ६ अप्रैल, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ५९९ ।

(च) दिनांक ६ अप्रैल, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ६०० ।

समिति के लिये निर्वाचन . . . ४०३८—३९

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) ने यह प्रस्ताव किया कि चिकित्सा विज्ञान संस्था के सदस्य के रूप में काम करने के लिये लोक सभा के सदस्य अपने में से एक सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नुदानों की मांगें . . . . . ४०३[illegible]·८०

खान और ईंधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई और समाप्त हुई । मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

शनिवार, १३ अप्रैल, १९६३ / २३ चैत्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि—

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार तथा गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विचार ।